लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. X contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

अंक 4, गुरुवार, 23 फरवरी, 1978/फाल्गुन 4, 1899 (शक)

No. 4, Thursday, February 23, 1978/Phalguna 4, 1899 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिम उत्तर	**Oral Answers to Questions :**	
*तारांकित प्रश्न संख्या 42, 44 और 46 से 48	*Starred Questions Nos. 42, 44 and 46 to 48	1—12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 41, 43, 45, 49 से 53, 55, 56 और 58 से 60	Starred Questions Nos. 41, 43, 45, 49 to 53, 55, 56 and 58 to 60 .	12—20
अतारांकित प्रश्न संख्या 375 से 447, 449 से 462, 464, 465, 467 से 492, 494 से 498, 500 से 502 और 505 से 550	Unstarred Questions Nos. 375 to 447, 449 to 462, 464, 465, 467 to 492, 494 to 498, 500 to 502 and 505 to 550	20—116
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the table	116—119
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance	119—122
निकोबार द्वीप समूह के तिलांगचांग नाम द्वीप पर विदेशियों द्वारा अधिकार किए जाने का समाचार	Reported occupation by some foreign Nationals of an Island Tilnagchange of the Nicobar Group of Islands	119
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . . .	119
श्री प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh . . .	119
श्री मनोरंजन भक्त	Shri Manoranjan Bhakta . .	120
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta . .	120
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under rule 377	
(एक) गन्ने तथा गुड़ के गिरते हुए मूल्य	(i) Falling prices of sugarcane and gur	121
(दो) कानपुर में स्वदेशी काटन मिल का बंद होना	(ii) Closure of Swadeshi Cotton Mills, Kanpur . . .	122
(तीन) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी	(iii) Payment of Bonus to LIC employees	122

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ
(चार) अफ्रीका से आने वाले लोगों द्वारा भारत में लासा ज्वर के कीटाणु लाए जाने का कथित समाचार	(iv) Reported import of Lassa fever by travellers from Africa .	122
बाल (संशोधन) विधेयक	Children (Amendment) Bill	123—129
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री आर० कोलनथाइवेलु	Shri R. Kolanthaivelu .	123
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	123
श्री आर० वेंकटारमन	Shri R. Venkataraman . .	124
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi .	125
श्री हुकम देव नारायण यादव	Shri Hukmdeo Narain Yadav	126
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand .	126
श्री राम देनी राम	Shri R. D. Ram . . .	127
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder	127
खण्ड 2 से 19 और 1	Clauses 2 to 19 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass as amended .	
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder .	129
वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक	Merchant Shipping (Amendment) Bill	130—137
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	130
श्री चांद राम	Shri Chand Ram . .	130
श्री विनोदभाई बी० शेठ	Shri Vinodbhai B. Sheth .	130
श्री मनोरंजन भक्त	Shri Manoranjan Bhakta .	131
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav	132
श्री आर० के० अमीन	Prof. R. K Amin	132
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao .	133
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu	133
खण्ड 2 से 8 और 1	Clauses 2 to 8 and 1	135—136
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	136
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen .	136
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen . .	137
श्री चांद राम	Shri Chand Ram . . .	137
पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कंपनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबंध विधेयक	Public Sector Iron and Steel Companies Restructuring and Miscellaneous Provisions Bill. . . .	137—145
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	137
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik . . .	137
श्री रामचन्द्र मलिक	Shri Ramachandra Mallick .	138
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . . .	138
श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा	Shri Mritunjay Prasad Verma .	139
श्री आर० कोलनथाइवेलु	Shri R. Kolanthaivelu . .	139
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand . . .	140
श्री वेणुगोपाल गौंडर	Shri Venugopal Gounder . .	140
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh . . .	140
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan . .	141

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 23 फरवरी, 1978/ 4 फाल्गुन, 1899 (शक)

Thursday, February 23, 1978/Phalguna 4, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 41, डा० कलदते । वह अनुपस्थित हैं ।

विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर्नाटक से आया हूं ।

श्री पी०जी० मावलंकर : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । क्या मैं उनकी ओर से कुछ पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । किन्तु फिर भी मैं किसी अन्य को इसके बारे में पूछने की इजाजत नहीं दे सकता हूं । अगला प्रश्न ।

पश्चिम जर्मनी की पत्रिकाओं में भारत को अपमानजनक रूप में दिखाया जाना

*42. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी जर्मनी की पत्रिकाओं में प्रकाशित उन विज्ञापनों की ओर दिलाया गया है, जिनमें तीसरे विश्व के देशों के लिए सहायता की मांग की गई है और जिनमें भारत को अपमानजनक रूप में दिखाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार यह मानती है कि इस विज्ञापन में भारत को प्रदर्शित करना आपत्ति की बात हो सकती है, भले ही इस अभियान का उद्देश्य जर्मन संघीय गणराज्य में "तीसरे विश्व" देशों को सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता ही बढ़ाना हो । बोन स्थित भारतीय राजदूतावास ने जर्मन संघीय गणराज्य के प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया था और यह समझा जाता है कि ये विज्ञापन या तो बन्द किए जाएंगे या उनमें पर्याप्त संशोधन किया जाएगा ।

अद्यतन जानकारी के अनुसार जो कि मुझे प्राप्त हुई है, पश्चिमी जर्मनी सरकार ने इस बात को ध्यान में रख लिया है और इस तरह के विज्ञापनों को बन्द कर दिया है ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : वैसे मंत्री जी ने अद्यतन जानकारी दे दी है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह विज्ञापन हमारे लिए अच्छा नहीं है । दिनांक 13 जनवरी, 1978 के "न्यूजवीक" के पृष्ठ 22 पर जर्मनी भाषा में विज्ञापन प्रकाशित हुआ है । उसका अनुवाद इस प्रकार है । भारतीय

खाद्य की कमी के बारे में शिकायत क्यों करते हैं जबकि उनकी सड़कों पर गाय रहती है और एक गाय तथा एक अर्द्ध नग्न भारतीय का चित्र विज्ञापन के रूप में निकाला गया है ताकि भारत को सहायता मिल सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में किसी अन्य सरकार को इस तरह का विज्ञापन छापने की अनुमति दी जाएगी। मैं इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि जर्मनी की सरकार ने ऐसा विज्ञापन न छापने का निर्णय ले लिया है। उन्हें यह विज्ञापन भी वापस लेना चाहिए। मेरा विदेश मंत्री से निवेदन है कि वह हमारे दूतावासों को अनुदेश जारी करें ताकि कोई विकसित या धनी देश इस तरह के विज्ञापन न छापें और किसी भी देश को विकासशील देश का अपमान नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने समूचे तीसरे विश्व का अपमान किया है। वे विज्ञापन में पूछते हैं : क्या हमें अफ्रीकी देशों को सहायता देनी चाहिए क्योंकि उनकी पत्नियां गहने पहने होती हैं। वे कह रहे हैं कि "हमें उन्हें सहायता देनी चाहिए ताकि वे आपस में लड़ें।" और फिर वे यह भी कहते हैं "यहां देखिए, हमें उन्हें सहायता देनी चाहिए, हमें अपनी विदेशी सहायता बढ़ानी चाहिए क्योंकि वे गरीब लोग हैं।" मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति न हो। विश्व में किसी भी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र का अपमान करने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मेरा ख्याल है कि अब किसी तरह का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं से मैं सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई अन्य सम्पूरक प्रश्न पूछना चाहता है ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : नहीं, इस आश्वासन के बाद।

प्रो० पी०जी० मावलंकर : मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर की सराहना करता हूं। उन्होंने उपलब्ध अद्यतन जानकारी दी है। क्या मैं उन्हें पूछ सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने पश्चिमी जर्मनी में हमारे दूतावास को इस मामले की जांच के लिए कहा है, केवल पश्चिम जर्मनी में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में हमारे दूतावासों को पर्याप्त कदम उठाने के लिए कहा है ताकि भारत और विकासशील देशों के प्रचार की आवश्यकता पूरी हो सके। विदेश प्रचार डिवीज़न में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही भारत को समूचे विश्व में सम्मानजनक दर्जा दिलाने की आवश्यकता भी है इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या मंत्री जी इस बारे में प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इन बातों का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रो० पी०जी० मावलंकर : इन बातों का मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : विदेश प्रचार डिवीज़न में सुधार किया जा रहा है, किन्तु ऐसे मामलों में प्रचार अन्य देशों द्वारा किया जाता है। और उन्हें सलाह दी जा रही है।

प्रो० पी०जी० मावलंकर : आप स्वयं प्रचार करके इस तरह के प्रचार का कैसे सामना करते हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : ऐसा नहीं हो सकता। हमारे संसाधन सीमित हैं। किन्तु हम विदेशी सरकारों को कह रहे हैं कि वे इस तरह का प्रचार करें जिससे कि हमारी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। और उन देशों में जनमत को भली भांति अवगत करा दिया है।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, the reply just now given by the Hon. Minister is not satisfactory. He has visited foreign countries. The image of India in foreign Countries is so bad that they think Indians are starving and are nude. Films are being scree

about the Indians and wrong propaganda is being done. Our Embassies do not protest against such actions.

I want to know whether the Minister of External Affairs has instructed our Embassies in foreign Countries that they should present right image of India and some action should be taken to stop wrong propaganda of India in foreign countries so that our image may improve abroad ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Now there is not such image of India in foreign countries that India is facing starvation. The world knows that we have adequate stock of food-grains, and we are in a position to export to the needy countries after meeting our internal demand.

But it is a fact that the newspapers publish such news which are not factual. This is not being done only by the foreign newspapers but our own newspapers also are doing the same thing. When I used to work in newspaper I also did this very same thing.

Mr. Speaker, if the dog bites a man it is not a news but if a man bites a dog then it becomes an interesting news. But we have asked our Embassies that they should make their publicity machinery more competent and effective. I hope the results will come soon before us.

Shri Hukam Deo Narain : The wrong propaganda being done in foreign countries against India should be stopped. But if the real image of rural India is shown abroad where people are economically poor and are being exploited, then it will be a shameful matter for us. Foreign loan has been asked for in the name of development but there has been no development.

अध्यक्ष महोदय : आप मूल प्रश्न से असंगत बातें कर रहे हैं।

Shri Hukam Deo Narain Yadav (CFD) : What is wrong if the foreigners says that there was no development in India and foreign aid was not properly utilised ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रासंगिक नहीं है।

बेरोजगारों की संख्या तथा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान

*44. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976, 1977 और 1978 में पहली जनवरी को सभी रोजगार दफ्तरों में कितने लोगों के नाम पंजीकृत थे और पंजीकृत में से कितने लोग बेरोजगार थे;

(ख) सरकार के अनुमानानुसार उन सभी बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है जिनके नाम रोजगार दफ्तरों में भी नहीं लिखे हुए हैं और रोजगार दफ्तरों में इनके नाम न लिखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत सभी लोगों को न्यूनतम निर्वाह मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए तो कितना व्यय होने का अनुमान है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) :

(क) 1974, 1975, 1976 और 1977 वर्ष के 31 दिसम्बर को रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 84.33, 93.26, 97.84 और 109.24 लाख थी। पंजीकृतों में बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1972-73 वर्ष के दौरान आयोजित किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 27वें राऊंड के अनुसार, रोज़गार कार्यालयों में पंजीयन न कराने वाले बेरोज़गार व्यक्तियों की प्रतिशतता लगभग 65 (अनन्तिम) थी। पंजीयन क्योंकि स्वेच्छा पर निर्भर है, इसलिए सभी बेरोज़गार व्यक्तियों द्वारा रोज़गार कार्यालय में पंजीयन करवाना आवश्यक नहीं है।

(ग) वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति देखते हुए सभी बेरोज़गार व्यक्तियों को बेरोज़गारी भत्ते की अदायगी करना व्यावहारिक नहीं जान पड़ता। अतः अगर रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्तियों को न्यूनतम निर्वाह मासिक बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है, तो खर्च होने वाले व्यय का अनुमान केवल काल्पनिक होगा।

Shri Vijay Kumar Malhotra : The Hon. Minister has stated that 109.24 lakh persons were on the live register of employment exchanges and it is also correct that 65 percent people do not register their names in the employment exchanges. There are three to four crore of unemployed persons in the country. The Janta Party has promised to remove unemployment within ten years. Presently four crore persons are unemployed in the country and there is addition of about 50 lakh unemployed persons every year. What measures are being taken to deal with this explosive situation.

Dr. Ram Kirpal Sinha : The Government consider that unemployment is a serious problem and that is why a time bound programme of ten years has been evolved to deal with this problem. This problem will be tackled in many ways. We want to pay more attention on agriculture for which allocations are being increased. We hope to solve this problem through agriculture, irrigation, village roads, agriculture based industries, cottage industries, etc. etc.

Shri Vijay Kumar Malhotra : According to Government figures there is annual addition of some 50 lakh unemployed persons. One crore additional jobs are needed to be created every year. What steps are being taken to create one crore additional jobs every year in case Government want to banish unemployment within ten years. The Hon. Minister says that the Government is not in a position to pay any unemployment allowance, but the Janta Party has promised that it will bring the income ratio upto 1 : 10 within ten years. Income of the unemployed person is zero at present. What steps are being taken by the Government in this direction ? There is a provision of right to work in our constitution and have also pledged the same in the manifesto. What steps are proposed to be taken by the Government in this direction ?

Dr. Ram Kirpal Sinha : As stated earlier, the Government is preparing the draft of the 6th Five year plan. We do not want to take any ad-hoc decision in this connection. We do not believe in slogans and say that we will provide employment to that much number of persons within a year. The scheme of the Government is to create maximum oppurtunities of employment and for that purpose 8 sectors have been fixed. These are textiles, sugar, rice and oil milling, wood products, building material and metal fabrication. So we are trying our best to solve this problem.

श्री के० मायातेवर: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षित तथा अशिक्षित वर्गों में बेरोज़गार लोगों की संख्या कितनी है और इन दोनों वर्गों को रोज़गार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

डा० राम कृपाल सिंह : जन, 1977 तक वर्तमान रजिस्टर में शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या 53,90,592 थी।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

डा० राम कृपाल सिंह : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब हम छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों और छोटे-छोटे उद्योगों में रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करेंगे तो इससे बेरोज़गारी की समस्या हल हो जाएगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम किसी तदर्थ नारे में विश्वास नहीं करते जैसे कि आधा लाख रोज़गार के अवसर।

Shri Phirangi Prasad: About one year is being completed since when Janata Party came in power. During this period how many employees have retired and how many person recruited in their place ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सम्बंधित प्रश्न से असंगत है।

श्री हितेन्द्र देसाई : दिए गए उत्तरों से ऐसा लगता है कि जब से जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या बढ़कर 20 लाख हो गई है। क्या सरकार उन्हें काम दिलाने की गारंटी देगी ?

डा० राम कृपाल सिंह : जहां तक काम दिलाने की गारंटी का सम्बन्ध है, जब रोज़गार के इतने अवसर पैदा नहीं हो सकते हैं तो फिर इस तरह की गारंटी नहीं दी जा सकती है।

Shri Chabiran Argal : The names of the educated unemployed persons are entered in the live register, but there are lakhs of unemployed people who are uneducated, their names are not in the register of employment Exchange . I want to know whether the Government would formulate any scheme to give unemployment allowance to the educated unemployed as they had declared in their election manifesto or whether they have given unemployment allowance to some persons or there is any such scheme ?

Dr. Ram Kripal Sinha : Every body can get his name entered in the register of Employment Exchange. Uneducated persons can also get their names entered in Employment Exchange. So far as the second question of the hon. member is concerned, I have already replied to that question.

Shri Nathu Singh : Mr. Speaker, every year about 50 lakhs students come out from Universities. Such a big number is added in the army of educated unemployed. The Janata Government had promised at the time of election that they will solve the problem of unemployment within 10 years. One year is already over. Some persons will cross the age limit by that time. I want to know whether Government propose to extend the age limit of such persons ?

Dr. Ram Kripal Sinha : The hon. member can understand himself as to how far it will be possible to absorb all the educated unemployed in Government services. The age limit is only for Government services, but in Private sector there are some jobs for which there is no age limit.

Shri Vinayak Prasad Yadav : The offices of Employment Exchange are only in cities and the people of rural areas can not get their names entered there. I want to know the number of educated, uneducated people whose names are in the live register.

Dr. Ram Kripal Sinha : It is fact that there are no employment exchanges in rural areas but in District Centres there are employment exchanges and transport facilities are available to reach at such centres. The people from rural areas come in cities and get their names registered in employment exchanges. According to the figures available at present the number of matriculates and above unemployed is 53 lakhs and 30 thousand. Remaining persons are under matric and some of them are totally uneducated.

खेतिहर मजदूरों के बारे में राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन

*46. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 24 जनवरी, 1978 से खेतिहर मजदूरों के बारे में एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस सम्मेलन में प्रतिनिधि बुलाने का क्या आधार था ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : (a) Yes, Sir. A special Conference on Rural Unorganised Labour was held on the 25th January, 1978.

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(b) and (c) (i) Organisation of rural poor—suggestions for the proper growth of rural workers' organisations; and

(ii) Need for a comprehensive legislation for security of employment and welfare of agricultural workers.

2. The Conference decided to set up a Central Standing Committee on Rural Unorganised Labour to advise the Government on matters relating to the conditions of work and life of rural workers and promotion of rural workers' organisations. It was decided that the definition of rural worker should conform to the definition in ILO Convention 141. The consensus at the Conference was in favour of Central Legislation concerning agricultural workers and for the Ministry of Labour to process the matter further in the light of the views expressed at the Conference in regard to security of service; regulation of hours of works; fixation/revision of wages, social security measures and machinery to settle disputes.

In order to have a wide-ranging consultation, some of the institutions/organisations which are known to be functioning in this field were invited. Invitees were : (i) the State Governments; (ii) concerned Central Ministries, such as the Ministry of Agriculture, Deptt. of Rural Development; (iii) workers' organisations, including the Central Workers' Organisations, operating in the rural sector; (iv) Voluntary Organisations/ Institutions/persons interested in the problems of rural labour; (v) Farmers' Associations suggested by the Ministry of Agriculture and (vi) Central Employers' Organisations (as observers).

श्री एस० जी० मुरुगय्यन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने केरल कृषि श्रमिक अधिनियम की तरह एक केन्द्रीय विधान बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की राय जानी है। यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या राय है और विभिन्न राज्यों द्वारा व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

Shri Larang Sai : Mr. Speaker, in a tripartite conference held on 6th and 7th May 1977 a decision was taken that a legislation should be framed to protect the interests of the rural labourers and to give them reasonable wages. That Conference was held only to discuss only these items. That is why we convened a Conference on the 25h January, 1978.

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न।

श्री अरविंद बाला पजनौर : श्रीमान् जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम उत्तर को नहीं समझ पाए हैं क्योंकि यह हिन्दी में था। जब कोई प्रश्न अंग्रेजी में पूछा जाता है तो उसका उत्तर भी अंग्रेजी में होना चाहिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब कोई प्रश्न अंग्रेजी में हो तो उसका उत्तर हिन्दी में भी हो सकता है (**व्यवधान**)

श्री अरविंद बाला पजनौर : श्रीमान् जी, क्या मैं बता सकता हूं.....(**व्यवधान**)। मुझे धमकी मत दीजिए। मैं नहीं बैठूंगा (**व्यवधान**) मैं नहीं बैठूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा आदेश है।

श्री के० गोपाल : श्रीमान् जी, आपको हमारी बात भी सुननी चाहिए।

श्री अरविंद बाला पजनौर : वे मुझे धमकी दे रहे हैं। यह दूसरा अवसर है। मुझे धमकी देने वाले आप कौन होते हैं .....(**व्यवधान**)

श्री के० गोपाल : ऐसा रोज़ ही होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा आदेश है। आपको मेरी बात सुननी होगी। (**व्यवधान**) प्रत्येक मंत्री को अधिकार है कि वह अंग्रेजी या हिन्दी में उत्तर दे सकता है।

श्री अरविंद बाला पजनौर : नहीं।

श्री के० गोपाल : जब श्री वाजपेयी तथा श्री अडवाणी अंग्रेजी में उत्तर दे सकते हैं तो अन्य मंत्री क्यों नहीं दे सकते ?.....(**व्यवधान**)

श्री अरविंद बाला पजनौर : 30 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक हममें से कोई अपनी मातृ भाषा में प्रश्न नहीं पूछ सकता। यह शर्म की बात है। कई सदस्य या तो अंग्रेजी नहीं जानते और कुछ हिन्दी नहीं जानते। वे अपने आपको व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि (**व्यवधान**)

श्री के० गोपाल : क्या हम लोगों के प्रतिनिधि नहीं हैं ?.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में मत रखिए (**व्यवधान**)***

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे सुनेंगे ? कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि हिन्दी में उत्तर नहीं दे सकते....(**व्यवधान**) कुछ मंत्री ऐसे भी होंगे जो कि अंग्रेजी में उत्तर नहीं दे सकते। अतः यदि कोई मंत्री हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में ठीक ढंग से कह सकता है तो वह उस प्रश्न का उत्तर उसी भाषा में दे सकता है, जिस भाषा में प्रश्न पूछा गया हो।

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त सम्मिलित नहीं किया गया।

***Expunged as ordered by the Chair.

लेकिन एक ही रात में कोई हिन्दी नहीं सीख सकता।

श्री अरविंद बाला पजनौर: मैं अपना प्रश्न मातृ भाषा में पूछना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: जहां तक प्रश्नकाल का सम्बन्ध है केवल दो भाषाओं के लिए अनुमति है।

श्री के० गोपाल: क्यों ?

अध्यक्ष महोदय: क्योंकि भाषान्तरकारों के लिए यह सम्भव नहीं। (**व्यवधान**)

श्री आर० बो० स्वामीनाथन: सभा की यह प्रक्रिया रही है कि यदि कोई प्रश्न अंग्रेजी में पूछा गया है तो उत्तर भी अंग्रेजी में दिया जाए और यदि हिन्दी में प्रश्न किया गया है तो उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जाए।

श्री के० गोपाल: मैं मातृ भाषा में बोलना चाहता हूं। मुझे अंग्रेजी में बोलने मे घृणा है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

श्री के० गोपाल: **

अध्यक्ष महोदय: पहले ही इस सभा में अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय दिया गया था कि प्रश्नकाल में 18 भाषाओं में भाषांतर करना सम्भव नहीं होगा। वाद-विवाद के दौरान कुछ भाषाओं के भाषान्तर की व्यवस्था है। प्रश्नकाल में ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। यदि एक सदस्य तमिल में, दूसरा उड़िया में बोले तो भाषान्तर कैसे सम्भव होगा।

श्री अरविंद बालापजनौर: समस्या यह है कि जब मैं अंग्रेजी में प्रश्न पूछूं तो उसका उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिया जाए। आपके यहां अनुवाद ठीक नहीं। मैं समझ नहीं पाया। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है।

अध्यक्ष महोदय: जब कोई मंत्री दोनों भाषाओं का ज्ञाता हो तो उसे अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में और हिन्दी के प्रश्न का उत्तर हिन्दी में ही देना चाहिए। लेकिन कई मंत्रियों को हिन्दी नहीं आती। वित्त मंत्री जी कभी हिन्दी में नहीं बोलते। अतः हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते।

श्री बयालार रवि: बहुत से सदस्य ऐसे राज्यों से आए हैं जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उनके लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। हिन्दी को थोपा न जाए।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी): मैं विदेश मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक साधारण सदस्य के तौर पर बोल रहा हूं। मैं यहां 20 वर्ष से हूं। भाषा की कठिनाई के कारण हमने साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था की है। लेकिन प्रक्रिया यह है कि प्रश्न यदि अंग्रेजी में पूछा गया है तो जिन मंत्रियों को अंग्रेजी नहीं आती उनका भी ध्यान रखा जाए। यदि कुछ सदस्य प्रश्नकाल के बारे में व्यवस्था पर पुनर्विचार चाहते हैं तो ठीक यही है कि वे अध्यक्ष महोदय से मिलकर चर्चा कर लें। आए दिन भाषा का प्रश्न उठाना उचित नहीं। (**व्यवधान**)

प्रो० बी०जी० मावलंकर: ऐसे विषय के लिए जिस पर सहमति नहीं है, जोश में आना ठीक नहीं। हम सभी संविधान तथा संसद् द्वारा स्वीकृत दोनों भाषाओं का आदर करते हैं। मैं अपने मित्रों और देशवासियों से अपील करता हूं कि वे कोई मतभेद पैदा न करें। कई सदस्यों/मंत्रियों को अंग्रेजी नहीं आती तो उनका भी ध्यान रखा जाना है। (**व्यवधान**)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे काफी हद तक पता है कि कौनसा मंत्री हिन्दी बोल सकता है या अंग्रेजी बोल सकता है। जब प्रश्न का उत्तर हिन्दी में दिए जाने की अनुमति देता हूं तो मुझे पता होता है कि मंत्री जी अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं बोल सकते। यह सम्भव नहीं कि प्रतिदिन मंत्री जी खड़े होकर अंग्रेजी में कहें कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए मैं हिन्दी में बोलूंगा। यह तो हास्यास्पद है। यह बात तो अध्यक्ष पर ही छोड़ी जाए कि अध्यक्ष किस मंत्री को किस भाषा में बोलने की अनुमति दें।

श्री एम०एन० गोविन्दन नायर : प्रश्न का उत्तर यदि हिन्दी में हो और जो प्रश्नकर्ता समझ नहीं पाया तो अध्यक्ष महोदय उसका सार बता दें।

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर चर्चा काफी हो चुकी है।

श्री एच० जी० मुरुगय्यन : राज्यों में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार क्या प्रभावी उपाय कर रही है ?

Shri Larang Sai : Sir, I feel whatever work has been done for agricultural workers during the last 30 years, its benefit has not reached them. It was decided in the Tripartite conference held on 6-7th May, 1977, in which the hon. Member has referred to law in Kerala also, that nothing concrete has been done of rural workers and no relief has reached them. So a special conference be called to discuss the steps to protect their interests. In the said conference we had invited their suggestions within 20 days about the various points to be discussed and the names of the persons to be associated for the purpose. We have received their suggestions. The law in Kerala came up in the conference held on 25th January. Some of States held the view that they have no objection to this law in Kerala. Some people said it should be brought in amended form while others were not in its favour. Different views were expressed there.

श्री चित्त बसु : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समूचे देश में लगभग 5 करोड़ कृषि मजदूर हैं और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि कृषि मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी कतिपय न्यूनतम जीवन स्तर और रोजगार की गारंटी उपलब्ध नहीं है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि वे समाज के सबसे कमजोर वर्ग मे हैं, जिनमें अधिकांश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं क्या मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या काम की शर्तें और अधिकार, सेवा की सुरक्षा, वेतन का निर्धारण और पुनरीक्षण, सामाजिक सुरक्षा उपायों और उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने की मशीनरी का विनियमन सुनिश्चित करने हेतु कोई केन्द्रीय कानून बनाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो इस प्रकार का कानून वे कब बनाएंगे ?

Shri Larang Sai : On 25th January it was decided to set up a standing committee and enact law on the basis of its report. They will get minimum wages and will also be provided with employment. We will enact law on the basis of the report of the standing committee to help the states. We will see that they get their due wages in time. All these points will be looked into. We are trying to set up the standing committee as soon as possible.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आप कन्द्रीय कानून बनाएंगे ?

Shri Larang Sai : We will come to conclusion whether to bring legislation or not only on the basis of the report of the standing committee.

Shri Ram Kanwar Berwa : Several Members have raised matters regarding rural Agricultural workers now as well as in the past and government gave assurances about this. This matter has appeared in the manifesto of Janata Party also. May I know when it will be given a final shape ?

Shri Larang Sai : As I have stated earlier that nothing concerte has been done so for rural people, we have now made a beginning. We are going to set up a committee. We will act promptly on receipt of its report.

श्री के०ए० राजन: पहली बार सम्मेलन बुलाने और एक स्थायी समिति बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की मैं प्रशंसा करता हूं। परन्तु मैं उन्हें राज्यों के विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी के बारे में उन्हें बताना चाहता हूं। उदाहरणतया केरल एक ऐसा राज्य है जहां न्यूनतम मजदूरी सबसे अधिक है। दूसरा नम्बर बंगाल का आता है। क्या सरकार इस मजदूरी स्तर को एक समान बनाएगी ताकि हमारे यहां न्यूनतम मजदूरी के बारे में अखिल भारत स्तर एक समान हो ?

Shri Larang Sai : It is a state subject. Every state has got the right to enact its own law for fixation of minimum wages and try to implement them. It is certainly higher in Kerala and Bengal.

You have also suggested to raise the minimum wages in other states. All these facts will be looked into when the report of the committee is received.

Shri Harikesh Bahadur : May I know whether the hon. Minister is aware that even now the rural agricultural workers are not getting the wages which have been fixed by the State governments and whether the Central government propose to give any specific suggestions or instructions to states in this respect on the basis of which it can be ensured that rural workers get wages fixed by state governments ?

Shri Larang Sai : We have been suggesting the State government time and again to implement properly the minimum wages fixed by them. We urge upon them to do so.

इस्पात उद्योग द्वारा गठित अध्ययन दल के प्रतिवेदन

*47 **श्री शिवाजी पटनायक**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में मंत्रालय द्वारा गठित छह अध्ययन दलों के प्रतिवेदनों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रतिवेदनों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा इन प्रतिवेदनों के क्रियान्वयन में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को किस ढंग से सहयोजित किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) अध्ययन दलों के प्रतिवेदन स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सरकार के विचाराधीन हैं। 30 नवम्बर, 1977 को इन अध्ययन दलों के सदस्यों का एक पूर्ण अधिवेशन हुआ था जिसमें ये प्रतिवेदन औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिए गए थे। इस अधिवेशन में यह फैसला हुआ था कि मंत्री महोदय केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के नेताओं की एक छोटी समिति से परामर्श करेंगे ताकि सरकार सिफारिशों पर उचित निर्णय ले सके। इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

श्री शिवाजी पटनायक: ये प्रतिवेदन औपचारिक तौर पर नवम्बर 1977 से स्वीकृत हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार ऐसी कोई स्थायी मशीनरी बनाने का है जहां सिफारिशों को लागू करने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे ?

श्री बीजू पटनायक : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ग्रुपों के सदस्यों के पूर्णाधिवेशन में सदस्यों की यह इच्छा थी कि मैं सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन के कुछ नेताओं की एक बैठक बुलाऊं जिसमें कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर विचार किया जाए और कार्यकारी निर्णय लिए जाएं। जैसा कि मैंने कहा है कि कार्यवाही की गई है। आगे शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवाजी पटनायक : यह बैठक कब बुलाई जा रही है ?

श्री बीजू पटनायक : यह अगले महीने के प्रथम सप्ताह में बुलाई जाएगी।

श्री के० गोपाल : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह अध्ययन दलों के प्रतिवेदनों पर विचार करेंगे। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि क्या वह इन प्रतिवेदनों पर गम्भीरता से विचार करेंगे और उनकी सिफारिशों को लागू करेंगे ?

श्री बीजू पटनायक : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने सरकारी समितियों के बारे में कहा है। यहां पर ये सरकारी समितियां नहीं हैं, ये ग्रुप मजदूरों, देश के तमाम इस्पात मजदूरों ने बनाए हैं। सरकार ने कहा है कि कार्यकारी दलों के सर्वसम्मत निर्णय सरकार को मान्य होंगे, परन्तु किस ढंग से इसे लागू किया जाएगा यह अभी तय होना है और इसी कारण सेन्ट्रल ट्रेड आर्गेनाइजेशन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है।

Shri Ugrasen : Will the hon. Minister be pleased to state the major recommendations made by the 6 working groups regarding workers and Administration ?

श्री बीजू पटनायक : इनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो 6 ग्रुप हमारे बने थे उन्होंने इसके बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं—उत्पादन, उत्पादिता, मजदूर भागीदारी, प्रबन्ध कल्याण और सामाजिक उद्देश्य, विपणन, मूल्य निर्धारण, वित्तपोषण, एक उद्योग में एक संघ का होना और इस्पात उद्योग का विस्तार। इन छः मदों पर ग्रुपों ने काम किया और अपनी सिफारिशें दीं। वे पूर्णाधिवेशन में स्वीकार की गई हैं और यूनियन के सेन्ट्रल नेताओं की समिति द्वारा ब्यौरा शीघ्र तैयार किया जाएगा।

Shri Shiv Narain Sarsonia : On a point of order, Sir. Why the reply to a question given notice of in Hindi is given in English ? We do not want reply in English. It is consipiracy of the english protagonists to keep their hold ministrial posts. We cannot tolerate it.

Bringing Uniformity in Pay Scales of Vaids and Doctors

***48. Shri Jagdish Prasad Mathur :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the difference between the pay scale of "Vaids" of Ayurvedic System of medicine and those of Allopathic Doctors in the various States; and

(b) the advice and the co-operation being extended by the Central Government for bringing about uniformity in the pay scales of Ayurvedic "Vaids" and Allopathic Doctors with a view to promote the Ayurvedic System of medicine and to create respect for it ?

The Minister of State for Health and Family Welfare : (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as it is available.

(b) This matter was placed before the joint meeting of the Central Councils for Health and Family Welfare in their last meeting held in January, 1978 and it was resolved that the

existing disparities in the pay scales between Allopathic doctors and practitioners of Indigenous Systems of Medicine should be reduced and, in the course of time, removed. The resolution has been forwarded to the State Governments for taking appropriate necessary action. This matter is entirely within the purview of the State Governments and they are expected to take necessary action depending on the availability of resources with them.

Minister of State for Health and Family Planning (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : I would like to inform the hon. member that in the C.G.H.S. hospitals pay scales o f Vaids are Rs. 650-1200 and those of the Allopatchic Doctors Rs. 700-1300. Allopathic Doctors are also given non-practising allowance. No non-practising allowance is given to the Vaids. Senior physicians of both the systems are given pay scale of Rs. 1100-1600. Non-practising allowance is given to Allopathic Doctors whereas it is not given to the Ayurvedic Doctors.

Health Minister of Uttar Pradesh told us that equal pay scales have been allowed to the Doctors of Indian system of medicines.

Sh. Jagdish Prasad Mathur : Disparity in the pay scales of Vaids and Doctors have lowered the reputation of vaids in the villages. The Central Government should provide aid to the Vaids in a way 80per cent aid is provided to the College lecturers by the U.G.C. whenever we raise the issue of Vaids, we are told that the State Governments have been advised accordingly. Since State Governments have no resources. In view of this is the Central Government proposing to provide grants for the pay scales of Vaids in a way grant is provided by the U.G.C. to the college lecturers.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The Ayurved has been neglected since the British regime and for the last 30 years. However, some laws were amended and concessions allowed in about 1972 whereafter State and Central Government are thinking of developing this system of medicine. The national Conference recently observed that we can not develop the Indian system of medicine without resources. We are including it in our plan also so that something concrete could be done.

Shri Jagdish Prasad Mathur : What steps are being taken to tap the resources for the development of Ayurved. The Hon. Minister should consult the Finance Minister for tapping such resources because people in the villages pooger Ayurvedic treatment. They can not work satisfactorily without full pay and resources.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The Ayurvedic Doctors are on Strike in Rajasthan on the question of pay scales. I will request the hon. member to persuade these striking Doctors and we on our part are already taking up the matter with the Planning Commission and Finance Ministry.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आप्रवास के बारे में श्रीमती मार्गरेट थैचर का वक्तव्य

41. **डा० बापू कालदाते :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जाति संबंधों के हित में आप्रवास बन्द करने के बारे में ब्रिटेन में विपक्ष को नेता श्रीमती मार्गरेट थैचर द्वारा दिए गए वक्तव्य पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में राष्ट्रमंडल सम्मेलन को कोई पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो श्रीमती मार्गरेट थैचर के वक्तव्य पर सरकार की तथा राष्ट्रमंडल सम्मेलन की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री : (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा कोई भी राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन नहीं है जो किसी सदस्य देश की आप्रवासन की समस्याओं पर विचार कर रहा हो । हाल ही में सिडनी में जो क्षेत्रीय राष्ट्रमंडलीय बैठक हुई थी उसमें भारत सरकार ने श्रीमती थैचर के वक्तव्य के बारे में कोई सूचना नहीं भेजी । सिडनी की इस बैठक में यूनाइटेड किंगडम का किसी भी तरह प्रतिनिधित्व नहीं हुआ ।

(ग) भारत सरकार ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य पर गौर किया है जिसमें उन्होंने आप्रवास कानूनों के बारे में ब्रिटिश सरकार के आश्वासन को दोहराया है और भारत सरकार यह आशा करती है कि ब्रिटिश सरकार अपने वायदों का सम्मान करेगी ।

ग्रामों में डाकघरों में बचत खाते खोलने के लिये प्रोत्साहन देने के उपाय

43. श्री अहमद एम० पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामों में डाकघरों में बचत खाते खोलने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि डाकघरों से अपना रुपया निकालने में ग्रामीण लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या सरकार इस समस्या को हल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत संगठन डाक-तार विभाग के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचतों के प्रचार और उनको प्रोत्साहन देने का काम करता है ।

ग्रामीण डाकघरों में जमा की गई राशि में वृद्धि की जा सके, इसके लिए वहां के शाखा पोस्ट-मास्टरों को प्रचार-सामग्री दी जाती है, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रोत्साहन देने के निमित्त उन्हें कमीशन दिया जाता है ।

(ख), (ग) और (घ) ऐसे कुछ छुटपुट मामले हुए हैं जिनमें लोगों को डाकघर से रुपये निकालने में कुछ कठिनाई हुई है । ऐसी कठिनाइयां दूर करने की दृष्टि से डाक-तार विभाग अब गांव सरपंच, डाकघर को परिचित किसी व्यक्ति, स्कूल के प्रिंसिपल, विधायक संसद-सदस्य और जिला बचत अधिकारी द्वारा किए गए हस्ताक्षरों के सत्यापन को मान्यता देता है । इसके अलावा जमाकर्ताओं को डाकघर बचत बैंक में अपने फोटो देने की इजाजत भी दे दी गई है ताकि उनको आसानी से पहचान करने में सुविधा हो सके । इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में जमाकर्ताओं को निःशुल्क पहचान कार्ड जारी करने का भी प्रस्ताव है ।

कोकिंग कोयले का आयात

***45. श्री सी० एन० विश्वनाथन :**

श्री पी० के० कोडियन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्रों की सप्लाई करने के लिए कोकिंग कोयला आयात किया जाता है अथवा उसका आयात किए जाने का क्या विचार है; और

(ख) कोकिंग कोयला के भारत में उपलब्ध होते हुए इस का आयात करने के क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी, हां । इस्पात कारखानों में इस्तेमाल के लिए कम राख वाले कोककर कोयले की कुछ मात्रा आयात करने का प्रस्ताव है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

निम्नलिखित कारणों से कम राख वाले कोककर कोयले का आयात किया जा रहा है:—

1. इस्पात कारखानों में कोककर कोयले का स्टाक अस्वीकार्य निम्न स्तर तक पहुंच गया है और देशीय आपूर्ति में वृद्धि करके स्टाक को बढ़ाना आवश्यक हो गया है ।
2. वर्ष 1978-79 में बढ़ी हुई आवश्यकताओं के मुकाबले में देशीय कोयले की उपलब्धि काफी कम होने की संभावना है और कोयले की सप्लाई में अनपेक्षित बाधा आने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिनसे बहुमूल्य संयंत्र तथा उपस्करों को क्षति पहुंच सकती है ।
3. राख की कम मात्रा वाले कोयले के आयात से देशीय सप्लाई की क्वालिटी में गिरावट भी रोकी जा सकती है । कोयले में राख की मात्रा बढ़ने से इस्पात कारखानों को गंभीर प्रौद्योगिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।
4. कम राख वाले आयातित कोयले के सम्मिश्रण से इस्पात कारखानों की उत्पादिता और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी ।
5. विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत अच्छी है और हमें इस्पात का, जिसकी मांग बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ाने के लिए इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए । कोककर कोयले का कुछ आयात करने का दूसरा लाभ यह होगा कि इससे हमारे सीमित भंडार, जिन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता, अधिक समय तक चल सकेंगे ।

शिक्षित बेरोजगार

*49. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में 31 दिसम्बर, 1977 को विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितने शिक्षित बेरोजगारों के नाम दर्ज थे और अगले वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को रोजगार दे दिए जाने की संभावना है?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित नौकरी चाहने वालों की संख्या (मैट्रिक और उससे ऊपर) से संबंधित उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30 जून, 1977 को 53.91 लाख थी । अगले वित्तीय वर्ष के दौरान, नौकरी पाने वाले व्यक्तियों की संख्या रोजगार अवसरों के सृजित करने पर निर्भर करेगी । अगली पंचवर्षीय योजना के लिए रोजगार नीति के अनुसार, जो कि निर्माणाधीन है, व्यापक रूप से, सब से अधिक रोजगार, विस्तारित सिंचाई के द्वारा गहन कृषि, सम्बद्ध कार्यकलापों जैसे कि डेरी विकास, उद्यान विज्ञान और वनविद्या, ग्रामीण कार्यों और कुटीर तथा लघु उद्योगों में, प्राप्त

होगा । इनफरास्ट्रक्चर में पूंजी लगाने और कृषि इनपुट्स की व्यवस्था द्वारा और सर्विस सेक्टर में भी, नए काम सृजत किए जाएंगे । अगली योजना के दौरान, अन्यों के इलावा, शिक्षित बेरोजगारों को भी, व्यापक रोजगार अवसर प्रदान करने हैं ।

Achievements in regard to Family Planning

*50. **Shri Sukhendra Singh :**

Shri R. V. Swaminathan :

Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the achievements in regard to the family planning have been much below the targets fixed for the year 1977-78; if so, the reasons therefor;

(b) the policy being adopted to make the family planning a success; and

(c) the present birth rate and the extent to which the Government propose to reduce it by the end of 1980 ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The achievements of expectations in respect of various methods of contraception during the first nine months of the year 1977-78 (April—December) are given below :

Method	Expectations for the year	Achievements 1977-78 (April—December)
Voluntary Sterilisations*	4,000,000	569,031
IUD insertions	1,000,000	184,546**
Other methods	5,000,000	2,713,875

*Voluntary since April, 1977. It was clarified in August, 1977 that the expecte d level of performance in voluntary sterilisation would not be insisted upon.

**Including 25,325 of the newly introduced Copper T.

Widespread complaints of compulsion and coercion in the implementation of the Family Welfare Programme, particularly with regard to sterilisation in some states during the year 1976-77, have led to a serious set-back to the family welfare programme. The recent changes in the Policy which emphasises voluntary acceptance, with equal regard for all methods of contraception, the withdrawal of disincentives and suspension of targets for sterilisation may have also contributed, to some extent, to the decline in the performance of the sterilisation programme as compared to the last year.

(b) The present Government's policy in regard to Family Welfare Programme is that the Programme will be pursued vigorously as a wholly voluntary programme and as an integral part of a comprehensive policy covering education, health, maternal and child care, family welfare, women's rights and nutrition. There will not be any element of compulsion or coercion in the implementation of the programme. Particular attention is being given to the improvement of maternal and child health services. Educational and motivational efforts have been strengthened in order to make the small family norm popular among the people. Efforts are also being made to improve the infrastructure, so that facilities may be readily at hand to those desiring to avail of them.

In order to intensify the programme and to make the masses aware of the new policy of the Government, two Family Welfare Fortnights were observed in October and December

1977 when wide publicity through all medias including the press, radio and T.V., was arranged. Also, in order to revitalise the MCH programme a Conference of State Officers responsible for MCH was arranged and the strategy was adopted. Similarly a Conference of State Media and Education Officers was held to reinvigorate the education and motivation efforts. The progress of the entire programme was reviewed in depth by the Central Council of Family Welfare in January 1978, and a clear re-affirmation of the importance of the programme was made.

(c) The birth rate in the year 1975-76, according to the Sample Registration System of the Registrar-General of India, was 34.4 per thousand population. Taking into account the effect of the Family Welfare Programme, it is expected that the birth rate will be around 33 per thousand of poplulation at present. The Central Council of Family Welfare at its meeting held in January, 1978, has recommended the demographic objective of reducing of birth rate of 30 per thousand of population by 1982-83.

लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना

*51. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के प्रस्ताव को त्याग दिया है;

(ख) क्या लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के अनेक प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं;

(ग) ऐसी अनिर्णीत योजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसी योजनायें कितने समय से स्वीकृति के लिए अनिर्णीत पड़ी हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) सरकार की वर्तमान नीति यह है कि देश में नये लघु इस्पात कारखानों की स्थापना को बढ़ावा न दिया जाए ।

(ख), (ग) और (घ) औद्योगिक लाइसेंस देने के अब केवल दो आवेदनों (1) एक अमृतसर (पंजाब) और (2) दूसरा बड़ौदा (गुजरात)--पर निर्णय लेना बाकी है । ये प्रस्ताव इस्पात पिण्ड और वेलित वस्तुओं के उत्पादन के लिए संयुक्त कारखाने लगाने के लिए हैं । यद्यपि ये कारखाने औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति की अवधि में तैयार हो गए थे तथापि केरी-आन-बिजिनेस लाइसेंस के लिए उनके आवेदनों पर इसलिए विचार नहीं किया जा सका था क्योंकि उन्होंने औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति की अवधि में पूंजी-निवेश के लिए निश्चित की गई सीमा से अधिक पूंजी लगाई थी। औद्योगिक लाइसेंसों के लिए दिनांक अक्तूबर 1977 के उनके आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं ।

Incentive Scheme to Limit size of Families

*52. **Shri Nawab Singh Chauhan :**

Shri Ram Kanwar Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to start some incentive scheme to limit the size of the families under the family welfare scheme;

(b) if so, the details thereof and the date by which it will be implemented;

(c) what efforts, other than propagating and practising of "brahmacharya" and sterilization, are being made by Government and the extent of success achieved;

(d) whether after the adoption of new policy, an assessment of the rise and fall in birth rate has been made; and

(e) if so, the results thereof ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b) Government of India is inviting suggestions from the public on methods of securing a more effective implementation of Family Welfare Policy. Thereafter a decision will be taken on this subject.

(c) A statement is placed on the table of the house.

(d) and (e) The crude birth rate which was about 35 per thousand population at the beginning of the Fifth Plan was sought to be reduced to 30 per thousand population by 1979. It is estimated that the birth rate would come down to about 33 by 1977-78. It has been further assessed that owing to the serious set-back suffered by the programme and the slowing down of the tempo, it will be possible to bring down the birth rate to 30 per thousand only by 1982-83 provided concerted efforts are made to implement the programme and the necessary operational goals are achieved.

Statement

The Government is promoting the acceptance of the small family norm through education and motivation and is giving equal emphasis to all methods of contraception. Under the Family Welfare Programme, IUCD, Oral pills, Nirodh and other mechanical devices are available in addition to the facilities for terminal method. Intensive educational and motivational campaigns have been organised during the two fortnights celebrated during October and December, 1977. As maternity and child health care is the key to the promotion of the Family Welfare Programme, special attention is being given to this aspect and a massive programme for training of traditional birth attendants has been started. The Community Health Worker Scheme is also based on the principle that community participation in Health Care and Family Welfare Schemes is vital for success. Efforts have also been intensified to ensure the cooperation and involvement of voluntary oganisations and institutions in the organised labour sector.

प्रबन्ध में श्रमिक सहयोग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

*53. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनियों के प्रबन्ध में श्रमिकों के सहयोग सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में समिति ने क्या प्रगति की है और इसका प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रबन्ध और इक्विटी में श्रमिक सहभागिता सम्बन्धी समिति की अब तक 23 जनवरी और 3 फरवरी, 1978 को दो बैठकें हुई हैं। समिति की अगली बैठक शीघ्र ही होने वाली है। इसके संमुख विषय के व्यापक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समिति को अपना कार्य पूरा करने और अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पहले कुछ और बठकें भी करनी पड़ सकती हैं।

औद्योगिक संघर्ष रोकने के लिए श्रमिक आचार संहिता

*55. **श्री प्रसन्नभाई मेहता:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार औद्योगिक संघर्ष रोकन के लिए एक श्रमिक आचार संहिता बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों, उद्योगपतियों और मजदूर संघों के साथ बातचीत करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव से देश में श्रमिक अशान्ति जो गत 6 महीनों से बढ़ती जा रही है, दूर करने में सहायता मिलेगी; और

(घ) श्रमिक अशान्ति दूर करने के लिए अन्य किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): (क) और (ख) नियोजकों, कर्मचारियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बार सलाह-मशविरा करने के बाद भारत सरकार व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को अब अन्तिम रूप दे रही है।

(ग) प्रस्तावित विधेयक का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक शान्ति तथा सामंजस्य को बढ़ावा देना है। ऐसी अवस्था में जब कि नष्ट हुए श्रम-दिनों के आंकड़े इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं दर्शाते, यह कहना ठीक नहीं होगा कि औद्योगिक अशान्ति में वृद्धि हो रही है।

(घ) समय-समय पर नियोजकों और कर्मचारियों से अपीलें की गई हैं कि वे सहयोग तथा सलाह-मशवरे का रास्ता अपनाएं न कि संघर्ष का। इन अपीलों का व्यापक स्वागत् हुआ है।

भारत बंगलादेश समुद्री सीमा

*56. **श्री जी०एम० बनतवाला:**

श्री मुख्तियार सिंह मल्लिक:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और बंगलादेश के बीच समुद्री सीमा के बारे में अन्तिम निर्णय करने में अब तक और कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस विवाद के कब तक हल होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) भारत और बंगलादेश के बीच समुद्री सीमांकन पर बातचीत का अन्तिम दौर 29 मार्च से 2 अप्रैल, 1975 तक हुआ। इसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई और इसीलिए आगे कोई प्रगति भी नहीं हुई।

(ख) इस समस्या का परस्पर संतोषजनक कोई हल ढूंढने की दृष्टि से भारत सरकार यथाशीघ्र इन मसले पर बातचीत फिर शुरू करना चाहती है।

औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा मजूरी वृद्धि पर रोक विरोधी दिवस मनाया जाना

*58. **श्रीमति पार्वती कृष्णन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में तथा देश के लगभग सभी औद्योगिक केन्द्रों में औद्योगिक कर्मचारियों ने 20 जनवरी , 1978 का दिन "मजूरी वृद्धि पर रोक विरोधी दिवस" के रूप में मनाया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने देश के कुछ भागों में औद्योगिक श्रमिकों द्वारा "मजूरी वृद्धि पर रोक विरोधी दिवस" के मनाए जाने के बारे में समाचार पढ़े हैं और जिन ट्रेड यूनियनों ने यह दिन मनाने के लिए आवह्‌न किया था, उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नोट कर लिया है।

बागान क्षेत्र में व्यावसायिक मजूरी में असमानताओं सबन्धी सर्वेक्षण के निष्कर्ष

*59. **श्री के० ए० राजन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा किए गए बागान क्षेत्र में व्यवसायिक मंजूरी में असमानताओं संबंधी सर्वेक्षण के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जून और अगस्त, 1976 के बीच उपलब्ध प्रारम्भिक आंकड़ों पर आधारित अध्ययन से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चलता है कि यद्यपि बागान श्रमिकों को मज़दूरी-दरों में अन्तर-क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं, तथापि तीनों दक्षिणी राज्यों में किसी एक बागान में दी जाने वाली मज़दूरी-दरों में कोई असमानता नहीं हैं; और यह कि महिला-श्रमिकों को उस हालत में भी पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा कम दर पर मज़दूरी दी जाती है, जब कि उनके काम का स्वरूप भी एक सा होता है ।

सरकार समान पारिश्रमिक अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता की बात राज्य सरकारों के साथ उठाएगी । सरकार इस बात को भी स्वीकार करती है कि बागानों में मजदूरी-दरें आम तौर पर प्रत्येक राज्य में प्रत्येक बागान-फसलें के सम्बन्ध में द्विपक्षीय समझौता वार्ताओं के आधार पर निर्धारित की जाती हैं ।

स्वेच्छा से नसबन्दी में मामलों के कमी

*60. **श्रीमती मृणाल गोरे :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों (अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1977) में स्वेच्छा से नसबन्दी कराने वालों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1976 और 1977 की इसी अवधि में ऐसे मामलों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) और (ख) अक्तूबर, 1977 से दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान 1977 की पिछली दो तिमाहियों की तुलना में स्वेच्छा से नसबंदी आपरेशन करवाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, अक्तूबर, 1977 से दिसम्बर, 1977 के दौरान स्वेच्छा से नसबंदी आपरेशन करवाने वालों की संख्या 1976 में इसी अवधि के दौरान किए गए नसबंदी आपरेशनों से काफी कम थी। एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया है। आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विरुद्ध विशेषकर देश के कुछ भागों में नसबंदी कार्यक्रम के चलाने में की गई जोर-जबरदस्ती के बारे में लोगों की जो अनेक शिकायतें थीं उनके कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम को गंभीर धक्का लगा है। अब सरकार ने इस कार्यक्रम को सही अर्थों में कल्याण कार्यक्रम बनाने के लिए उपाय किये हैं और इसे लोगों का सहयोग प्राप्त कर उन्हें शिक्षा तथा प्रेरणा देकर चलाया जा रहा है। अब किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती नहीं की जाती है। अब जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं की ओर विशेष बल दिया जा रहा है।

विवरण

भारत में नसबंदी आपरेशनों की (तिमाही-वार) स्थिति

(अन्तरिम आंकड़े)

तिमाहियां	1976	1977
	किये गये नसबंदी आपरेशनों की संख्या	स्वेच्छा से नसबन्दी) आपरेशन कराने वालों की संख्या
अप्रैल-जून	561,096	165,361
जुलाई-सितम्बर	3,352,376	199,733
अक्तूबर-दिसम्बर	3,166,573	203,937
कुल	7,080,045	569,031

सरकारी विभागों में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिक

375. **श्री यशबन्त बोरोले:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों में गत दो वर्ष से लगातार काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है और जिनकी सेवाएं अभी तक नियमित नहीं की गई हैं;

(ख) क्या इस प्रणाली को ही समाप्त करने अथवा उनको नियमित आधार पर नियुक्त करने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार करने हेतु हाल ही में राजधानी में कुछ बैठकों और विचार-विमर्श हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) : यद्यपि इस समय नैमित्तिक श्रमिकों की प्रणाली को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है तो भी इस श्रेणी के श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाले आवश्यक संरक्षण के मामले की जनवरी, 1978 के दौरान श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर-मंत्रालय बैठक में पुनरीक्षा की गई, ताकि इस समस्या की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सके । जनवरी, 1978 के दौरान हुए विचार-विमर्श के बाद एकत्र की जा रही अतिरिक्त सूचना के प्रकाश में इस मामले पर आगे विचार किया जाना है ।

Directorates for Indian System of Medicine

376 **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have asked the State Governments to set up Directorates for Indian System of Medicines; and

(b) If so, the action taken so far in this direction ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) & (b) The Fourth Joint Conference of Central Councils of Health and Family Welfare held at New Delhi from 28th to 31st January, 1978, recommended that in those States/ Territories where no set-up exists for dealing with matters relating to Indian Systems of Medicine suitable organisation should be established most early. This recommendation has been forwarded to the State Governments/Union Territories for implementation.

करोल बाग एक्सचेंज नयी दिल्ली से अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन वापिस लिए जाने पर जमा राशि वापिस किया जाना

377. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए राशि जमा करानी पड़ती है;

(ख) क्या अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन वापिस लिए जाने के बाद जमा राशि वापिस नहीं की जाती है;

(ग) अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान, महीनेवार करोलबाग टेलीफोन एक्सचेंज से कितने अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन वापिस लिए गए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान, महीनेवार उस टेलीफोन एक्सचेंज से कितनी जमा राशि वापस की गई; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान, महीनेवार उस टेलीफोन एक्सचेंज में जमा राशि वापिस करने के कितने मामले अनिर्णीत थे तथा जमा राशि अविलम्ब वापिस करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) जमा की रकमें बकाया रकमों का समायोजन करने के बाद देय होने पर वापस कर दी जाती हैं ।

(ग) अप्रैल 1977 से दिसम्बर 1977 तक करोलबाग एक्सचेंज से 99 अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन वापस ले लिए गए थे । उसका महीनेवार ब्यौरा विवरण में दे दिया गया है।

(घ) अप्रैल 77 से दिसम्बर 77 की अवधि में जमा राशि की कोई वापसी नहीं की गई थी।

(ङ) वांछित सूचना अनुबंध 'क' में दे दी गयी है ।

जहां कहीं जमा धन की वापसी देय हो जाती है, वहां उन रकमों की शीघ्र वापसी के लिए कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं । कुछ मामलों में लेखाओं को अन्तिम रूप देने के लिए उपभोक्ताओं से कागजात मांगे गए हैं । 23 मामलों की स्थिति अन्तिम बिल जारी करने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी ।

विवरण

अप्रैल 1977 से दिसम्बर 1977 तक करोलबाग एक्सचेंज में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों के संबंध में जमा धन की वापसी की महीनेवार स्थिति प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र।

महीना	वापस लिए गए टेलीफोनों की सं०	वापस की गई जमा राशियों की संख्या	रकम वापसी के अनिर्णीत मामलों की संख्या	उन मामलों की सं० जिनमें अन्तिम बिल अभी जारी होने हैं	उन मामलो की सं० जिनमें वसूली की जानी है
अप्रैल, 1977	9	—	4	—	5
मई, 1977	9	—	6	—	3
जून, 1977	8	—	3	—	5
जुलाई, 1977	15	—	7	—	8
अगस्त, 1977	13	—	5	—	8
सितम्बर, 1977	12	—	10	—	2
अक्तूबर, 1977	10	—	5	—	5
नवम्बर, 1977	12	—	—	12	—
दिसम्बर, 1977	11	—	—	11	—
योग	99	—	40	23	36

बहादुरगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज, दिल्ली में पारी बाहर टेलीफोन कनेक्शन लगाया जाना

378. **श्री गोविन्द मुन्डा**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन के अन्तर्गत बहादुरगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 'ओन योर टेलीफोन' की प्रतीक्षा सूची में विशेषकर दर्ज दो नम्बरों 206ए और 206 बी के अन्तर्गत नए टेलीफोन कनेक्शनों को लगाने के लिये उसमें फेर-बदल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या काण हैं; और

(ग) क्या ऐसे पारी-बाहर टेलीफोन कनेक्शन नियमानुकूल हैं और यदि नहीं तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) जी नहीं । प्रतीक्षा-सूची में कोई फेर-बदल नहीं किया गया है । प्रतीक्षा सूची में वरीयता का क्रम संबंधित आवेदकों द्वारा अग्रिम जमा राशि का भुगतान करने की तारीखों के आधार पर रखा जाता है । क्रमसंख्या 206क, 206ख, 207 और 208 के मामलों में भुगतान की तारीखे क्रमशः 5-11-76, 5-11-76, 17-11-76 और 25-11-76 है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पंजीकरण सं० 206क और 206ख के लिए दिए गए कनेक्शन बारी आने पर दिए गए हैं और नियमित हैं। अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है।

अंडमान निकोबार द्वीपसमह में कार्यरत डाक्टर

379. **श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह में बहुत से डाक्टर कई वर्षों से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां पर कितने डाक्टर कार्य कर रहे हैं और कितने वर्षों से,;

(ग) डाक्टरों के कितने पद खाली पड़े हुए हैं; और

(घ) जबकि अण्डमान-निकोबार में डाक्टर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, क्या सरकार ऐसे मामले में तदर्थ नियुक्तियों का अनुमोदन करेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(घ) चिकित्सा अधिकारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति फिलहाल नहीं की जा रही है।

विवरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित पदों पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे चिकित्सा अधिकारियों की संख्या और उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस वर्ष तैनात किया गया।	रिक्त पदों की संख्या जी०डी०ओ० ग्रेड–2
1972 से 2	
1973 से 3	
1974 से 2	
1975 से 4	
1976 से 6	
1977 से 9	
कुल : 26	2
	जी० डी० ओ० ग्रेड–1
शून्य	5
	सुपरटाईम ग्रेड–2
1	शून्य
	विशेषज्ञ ग्रेड–2
शून्य	1

Provision of Telephone Connections in Surat

+380. **Shri Chhitubhai Gamit :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of new telephone connections demanded in Surat Telephone Division during the period from 1975 to 1977;

(b) whether new telephone connections could not be provided in Surat Telephone Division due to shortage of the requisite stores; and

(c) the time by which all these connections will be provided ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) From 1975 to 1977, 3878 new demands for Telephone connections were registered in Surat Telephone District.

(b) During the last three years 6298 telephone connections have been given in Surat Telephone District. The other demands are pending for want of spare capacity/stores.

(c) It is expected that these demands will be cleared by 1979.

भारतीय दूतावासों द्वारा हिन्दी का प्रयोग

381. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे सभी दूतावासों को सभी सरकारी पत्र व्यवहार हिन्दी में करने का निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन कठिनाइयों को ध्यान में रखा है जो दूतावास के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को होगी; और

(ग) हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों, जिनके भविष्य पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ सकता है, के उचित हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

382. **श्री रोबिन सेन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर और दिसम्बर, 1977 के दौरान कोयला खानों में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) उनमें अन्तर्ग्रस्त मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रति वर्ष कितने प्रतिशत श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं; और

(घ) अन्य देशों की तुलना में श्रमिकों की अन्तर्ग्रस्तता और ऐसी दुर्घटनाओं की प्रतिशतता कितनी है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख), (ग) और (घ) नवम्बर और दिसम्बर में सरकारी क्षेत्रों की कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार थी :

	घातक	गंभीर	मृतकों की संख्या	गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
सरकारी क्षेत्र :				
नवम्बर, 1977	12	156	14	160
दिसम्बर, 1977	8	134	9	143
गैर-सरकारी क्षेत्र :				
नवम्बर, 1977	शून्य	4	शून्य	4
दिसम्बर, 1977	शून्य	3	शून्य	3

1977 में नियोजित श्रमिकों की दुर्घटना दर 0.45 घातक (अनन्तिम आँकड़े) प्रति हजार श्रमिक थी और गंभीर रूप से घायल श्रमिकों की दर 4.16 प्रति हजार श्रमिक थी ।

भारत तथा अन्य देशों में नियोजित श्रमिकों की प्रति हजार तुलनात्मक मृत्यु दर नीचे सारणी में दी गई है :

	1975	1976	1977
भारत	1.26	0.58	0.45 (अनन्तिम)
बेलजियम	0.43	0.37	उपलब्ध नहीं
चैकोस्लोवाकिया	0.61	0.97	उपलब्ध नहीं
फ्रांस	0.22	0.56	उपलब्ध नहीं
यू० के०	0.26	0.20	उपलब्ध नहीं
यू० एस० ए०	0.71	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पश्चिम जर्मनी	0.49	0.44	उपलब्ध नहीं

जहाँ तक गंभीर चोटों की दर का संबंध है किसी प्रकार की तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि अलग-अलग देश गंभीर चोटों की परिभाषा अलग-अलग करते हैं । तथापि भारत के बारे में 1975, 1976 और 1977 के वर्षों के संबंध में नियोजित प्रति हजार व्यक्ति आँकड़े नीचे दिए गए हैं :—

1975	4.23
1976	3.68
1977	4.16 (अनन्तिम)

महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल में केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप

383. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने दिसम्बर, 1977 और जनवरी, 1978 के दौरान हुई हड़ताल में हस्तक्षेप करने और अपनी माँगों का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) उनके अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र से इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया गया । न ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों आदि की हड़ताल के मामले में कोई कार्यवाही की जा सकती थी । यह हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है ।

Percentage of Ambassadors and Consuls who know National Language

384. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the percentage of Indian ambassadors and consuls abroad who know the National Language, Hindi and make use of it?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : All Indian Heads of Missions and Heads of Posts abroad know Hindi in varying degrees; their use of Hindi varies according to their knowledge of the language and the requirements.

विदेश मंत्री से चीन के राजदूत की भेंट

385. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के राजदूत ने उनसे भेंट की थी और उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया के क्रमिक विकास पर सामान्य रूप से चर्चा की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धों को पूरी तरह सामान्य बनाने की दिशा में क्या नये उपाय करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) 30 दिसम्बर, 1977 को चीनी राजदूत ने विदेश मंत्री से भेंट की । विचार-विमर्श के दौरान विदेश मंत्री ने पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर चीन के साथ संबंध सुधारने के प्रयत्न करने की भारत की नीति का संकेत दिया । इस बात पर मोटे तौर पर सहमति थी कि दोनों पक्ष दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान को प्रोत्साहन देंगे । व्यापार, संस्कृति, स्वास्थ्य, खेल-कूद आदि के क्षेत्रों में विद्यमान संपर्कों की भी समीक्षा की गई और आपसी लाभ तथा पारस्परिकता के सिद्धांतों के आधार पर भारत और चीन के बीच विविध क्षेत्रों में आदान-प्रदान की और अधिक संभावनाओं पर विचार किया गया ।

पास पोर्ट प्रक्रिया का सरलीकरण

386. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :**

श्री चतुर्भुज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार पासपोर्ट सत्यापन प्रमाणपत्र पर संसद् सदस्यों की तरह विधायकों को भी हस्ताक्षर करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) और (ख) हाल ही में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में कई सिफारिशें की गई थीं । ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) और (घ) सरकार को इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि विधान सभा सदस्यों को भी पासपोर्ट सत्यापन प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिया जाना चाहिए । यह सरकार के विचाराधीन है ।

खंडवा जिले (मध्य प्रदेश) के निमनदाद गांव में टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था

387. **श्री परमानन्द गोबिन्दजीवाला**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खंडवा जिले (मध्य प्रदेश) की तहसील बुरहानपुर में निमनदाद गांव के उपभोक्ताओं ने नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विभाग के पास अपेक्षित धन जमा किया है ; और

(ख) यद्यपि दो वर्ष से अधिक समय बीत गया है परन्तु टेलीफोन की व्यवस्था नहीं की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी हां । खंडवा जिले (मध्य प्रदेश) की तहसील बुरहानपुर के गांव निमनदाद के तीन आवेदकों ने अर्जी दी है और खाकनार टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए अग्रिम जमा राशि का भुगतान किया है । लाइन स्टोर की कमी के कारण ये कनेक्शन पहले नहीं दिए जा सके । आशा है कि अब 31-3-1978 तक ये कनेक्शन दे दिए जाएंगे ।

Cremation of Bodies as Unclaimed at Lala Ram Swarup T.B. Hospital, Mehrauli

388. **Shri S.S. Somani** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the report in the Nav Bharat Times dated 11th January, 1978 that the dead bodies of patients in Lala Ram Swarup T.B Hospital, Mehrauli are cremated as unclaimed without intimating their relatives;

(b) if so, the number of such cases during the last year; and

(c) the steps taken by Government to check it ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes. A news item in Nav Bharat Times of the 11th January 1978 has appeared about the cremation of the dead body of Shri Suchet Singh.

(b) & (c) 13 unclaimed bodies were cremated under hospital arrangements. Out of 13, eight dead bodies were those of outsiders and 5 were local.

According to the hospital authorities 13 unclaimed bodies were cremated under hospital arrangements because either their local addresses were fictitious and no one came to claim them or they came from outside Delhi. If dead bodies are not disposed of within 6 to 8 hours, the hospital staff are reluctant to help in the disposal because of early putrefication of the TB patient's bodies as there are no cold storage arrangements to keep dead bodies indefinitely in the hospital.

Appointment of Medical Superintendents in Mental Hospitals and Leprosy Hospitals in Goa

389. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that such Medical Superintendents have been appointed in mental hospitals and leprosy hospitals in Goa who are specialists of other diseases and not of these ones causing great difficulty to the patients;

(b) if so, whether the age old Portugese rules which are still prevalent there are responsible for creating this situation; and

(c) if so, whether Government propose to amend these rules in order to avoid such situation in future ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The Director of Health Services, Goa, Daman and Diu has intimated that the Medical Superintendent of the Leprosy hospital is trained in Leprosy while the post of Medical Superintendent of the Mental Hospital is vacant.

(b) No.

(c) Does not arise.

Effect of Smoking

390. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that smoking does harm to human body or it shortens the life, if so, how much age is shortened by smoking one cigarette;

(b) whether Government have taken any legislative measure in view of the harm done by smoking; if so, the nature thereof; if not, when they propose to take such a legislative measure;

(c) whether Government are aware that Scotland or any other country has taken legislative measures in view of the harm done to health caused by smoking, if so, the nature thereof; and

(d) the action Government contemplate to take to prohibit smoking and the time by which it will be done ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes, however, no study has been made as to how much life is shortened by smoking one cigarette.

(b) Yes. An Act viz. 'Cigarette (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975, has already been enacted.

(c) No.

(d) No action has so far been taken by the Government to prohibit smoking. An Act viz. 'Cigarette (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975' was, however, enacted which included various measures to limit/restrict/eliminate tobacco consumption in the country.

कायाकल्प योजना का अध्ययन और परीक्षण

391. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमालय और भारत के अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में विभिन्न दुःसाध्य मानसिक और शारीरिक रोगों का इलाज करने के लिए काया कल्प और जड़ी बूटी संबंधी चिकित्सा के प्राचीन विज्ञान में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं,

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत का यह प्राचीन ज्ञान बुल्कारिया से लोगों को आकर्षित कर रहा है, और

(ग) क्या सरकार का विचार कायाकल्य योजना का अध्ययन करने और परीक्षण करने का है और इस प्रयोजनार्थ योगियों का कोई दल गठित करने का है ताकि इस ज्ञान को लुप्त होने से बचाया जा सके और उसे हमारे देशवासियों के लिए प्रयुक्त किया जा सके ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) हिमाचल और देश के अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में कायाकल्प संबंधी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं या नहीं इस मामले में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । जहां तक विभिन्न कठिन मानसिक और शारीरिक रोगों के इलाज के लिए जड़ी-बूटी चिकित्सा का संबंध है इसके लिए देश के विभिन्न भागों में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।

(ख) जी हां । सरकार जानती है कि योग और आयुर्वेद के प्रति विभिन्न बाहरी देशों के वैज्ञानिक आकर्षित हो रहे हैं ।

(ग) इस पर प्रस्तावित योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

डाक सुविधा से वंचित गांव

392. **श्री चतुर्भुज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार ऐसे कितने गांव हैं जहां डाकघर नहीं हैं ;

(ख) इन गांवों में डाकघर खोलने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) 4,67,185 राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) और (ग) देहाती इलाकों में नए डाकघर खोलने के लिए विभाग ने आबादी, दूरी, यातायात और लागत पर आधारित कुछ मानदण्ड अपनाए हुए हैं । देहाती इलाकों में डाक सुविधाएं देने की योजना बनाने और उनका विस्तार करने के लिए इन मानदंडों का पालन किया जा रहा है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	बिना डाकघर वाले बसे हुए गांव
1.	आंध्र	13948
2.	बिहार	56928
3.	गुजरात	11737
4.	हरियाणा	4722
5.	हिमाचल प्रदेश	15057
6.	जम्मू व कश्मीर	5435
7.	असम	19633
8.	केरल	1
9.	कर्नाटक	19152

10. महाराष्ट्र	26128
11. मध्य प्रदेश	64175
12. मणिपुर	1580
13. मेघालय	4323
14. नागालैंड	831
15. उड़ीसा	41101
16. राजस्थान	26119
17. पंजाब	9097
18. सिक्किम	127
19. तमिलनाडु	7917
20. त्रिपुरा	4344
21. उत्तर प्रदेश	98790
22. पश्चिम बंगाल	32007
संघ शासित क्षेत्र	
1. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	344
2. चण्डीगढ़	19
3. अरूणाचल प्रदेश	2849
4. दिल्ली	142
5. गोवा, दिव, दमण	315
6. दादरा नागर हवेली	1
7. लक्षद्वीप	..
8. मिजोरम	86
9. पांडिचेरी	277
योग	467185

Agreement with Soviet Union for Production of ammonium sulphate fertilizer at Bhilai Steel Plant

393. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether an agreement was signed with the Soviet Union in 1955 for production of ammonium sulphate fertilizer at Bhilai Steel Plant;

(b) whether it was declared in the agreement on ammonium sulphate plant in 1959 that the production capacity of the plant would be 16,000 tonnes;

(c) whether a scheme was also formulated at that time for production of 12,000 tonnes of sulphuric acid from coalgas required for the said fertilizer; and

(d) if so, the deatils thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) An Agreement was signed between the Governments of India and Soviet Union in 1955 for preparation of Detailed Project Report for a one million tonne ingot capacity steel plant at Bhilai. The Detailed Project Report also provided for production of 16,300 tonnes of Ammonium Sulphate as a coke oven by product.

(b) In 1959, another agreement was signed for 2.5 MT expansion project of the steel plant and the capacity of Ammonium Sulphate plant was increased to 32,600 tonnes.

(c) and (d) : The agreement of 1955 provided for a Sulphuric Acid plant of 18,000 tonnes annual capacity in terms of monohydrates which was increased to 27,000 tonnes as per 1959 agreement.

आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक औषधियों पर सरकार का नियंत्रण

394. **श्री प्रद्युमन बल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां एलोपैथिक औषधियों पर सलाहकार का नियंत्रण है वहां आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक औषधियों पर सरकार का कोई नियमित नियंत्रण नहीं है, और

(ख) क्या आयुर्वेदिक, यूनानी अथवा होम्योपैथिक औषधियों से उपचार कराने वाले साधारण मनुष्य को बचाने के लिए इन औषधियों के निर्माताओं को औषधि नियंत्रण नियमों में संशोधन करके उन के अंतर्गत लाने का विचार है ;

स्वास्थ्य और परिवार **कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)** : (क) यह कहना सही नहीं है कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(ख) **होम्योपैथिक दवाए** :—होम्योपैथिक दवाओं को अगस्त 1964 तक, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों से अलग रखा गया था। तथापि 18-8-64 से लागू किए गए एक संशोधन के परिणामस्वरूप कोई भी होम्योपैथिक दवा निर्माण लाइसेंस के बिना नहीं बनाई जा सकती।

1964 में नियमों में जो परिवर्तन किए गए थे उनके फलस्वरूप होम्योपैथिक दवाइयों की बिक्री भी बिक्री लाइसेंस से ही की जानी होती है।

आयुर्वेदिक और युनानी दवाइयां

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को 1964 में संशोधित कर दिया गया था जिसके अनुसार आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) और यूनानी दवाओं को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया। फरवरी 1970 में किए गए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के संशोधन से आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के विभिन्न घटक नियमों के अनुसार दवाइयों के लेबल पर प्रदर्शित करने जरूरी बना दिए गए हैं; कच्चा सामग्री और तैयार दवाइयों की जांच अनिवार्य कर दी गई है; उनका रिकार्ड रखना जरूरी बना दिया गया है और अन्त में यह भी जरूरी बना दिया गया है कि इन दवाइयों का निर्माण विहित योग्यताओं वाले सक्षम व्यक्तियों की देखरेख में स्वास्थ्यकर हालात में किया जाये।

तथापि आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) और यूनानी दवाइयों की बिक्री को ऐसे सभी मामलों में जहां वे दवाइयां किसी विधिवत् लाइसेंस प्राप्त निर्माता द्वारा तैयार की गई हों, बिक्री लाइसेंस से छूट दे दी गई है।

Promotion and Confirmation of Clerks of Engineering Division and sub-Division : Central Telegraph Office

395. Shri Daya Ram Shakya : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether the Clerks of Engineering Division and sub-Division, Central Telegraph Department have been placed in one unit but the rules for their promotion and confirmation are different and if so, the reasons therefor; and

(b) Whether vide his letter No. 201/35/77-STN dated 26th October, 1977, D.G.P & T have given orders to the General Managers of all the States and Controller, Telephone Stores, etc. to confirm and make promotions of the Clerks working under them keeping in view the dates of their appointment and these orders have not yet been implemented and if so, the reasons therefor ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) No, Sir. The clerks of Engineering Division and Sub-Division are borne on a common gradation list. The Telegraph office clerks are on a separate gradation list. However, the rules for promotion and confirmation of all ckerks are the same.

(b) Vide letter referred to the cadres of clerks in Engineering Division under General Managers and Controller of Telegraph Stores have been merged w.e.f from 1-10-77. Confirmation and promotion against posts arising after 1-10-77 will be borne on the common seniority list.

The progress as to implementation of the orders is being collected and will be placed on the Table of the House.

पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड द्वारा कार्य का पूरा किया जाना और अन्तरिम पंचाट का कार्यान्वयन

396. **श्री चित्त बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पत्रकारों तथा गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिये मजदूरी बोर्ड द्वारा अपना कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है ;

(ख) मजदूरी बोर्ड के अन्तरिम पंचाट के कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ; और

(ग) ऐसे नियोजकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने इसे कार्यान्वित नहीं किया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) मजदूरी बोर्डों ने अन्तरिम मजदूरी दरों के संबंध में अपनी सिफारिशें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं । सरकार ने मजदूरी की अन्तरिम दरें पहली अप्रैल, 1977 से अधिसूचित कर दी हैं । चूंकि दिसम्बर, 1977 में मजदूरी बोर्डों से नियोजकों के प्रतिनिधि अलग हो गए हैं, इसलिए कोई बैठक नहीं हुई है ।

(ख) विवरण मेज पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिय संख्या एल0 टी01550/78]

(ग) अन्तरिम मजदूरी दरों का कार्यान्वयन करना नियोजकों की कानूनी जिम्मेदारी है । अधिनियम में पर्याप्त मशीनरी की व्यवस्था है जिसके द्वारा संबंधित सरकार को दोषी नियोजकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के अधिकार दिए गए हैं ।

Copper Plant in Malanjkhand

397. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1524 on the 24th November, 1977 and state :

(a) the time by which work on Malanjkhand Copper Plant is likely to be commenced and when it is likely to be completed and the time when it will earn profit;

(b) when the work on Banjad River Scheme is likely to be completed and the quantity of water to be supplied for this project from this river; and

(c) whether this Malanj Copper Project will be started with the assistance of Soviet Union and if so, the nature of assistance likely to be received from the Government of Soviet Union in this respect ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik): (a) Work on the Malanjkhand Copper Project has already commenced from June, 1977. The mine construction and erection of matching concentrator of one million tonnes of ore capacity per annum is expected to be completed by September, 1981. The expansion of mine and concentrator capacity to 2 million tonnes per annum is expected to be achieved by September, 1983. The project is expected to earn profit in the first year of regular operations viz. 1982-83. This, however, will depend upon the necessary allocation of funds by the Planning Commission.

(b) The work on the Banjar River Scheme is likely to be completed in a period of 3 years from the date of commencement of the work. The Scheme will provide 5 million gallons of water per day to the Malanjkhand Copper Project.

(c) The Detailed Project Report for Malanjkhand Copper Project was prepared by a Soviet firm of consultants. No further specific technical or financial assistance from the Government of Soviet Union is proposed for the implementation of this project.

भारतीय मनोरोग चिकित्सक समाज का वार्षिक सम्मेलन

398. **श्री जी०बी० चन्नगौडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक रोगियों के अच्छे और तुरन्त उपचार के लिए मद्यपान तथा वर्ष 1912 के भारतीय उन्माद अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम बनाने की तत्काल आवश्यकता पर विचार करने के लिए भारतीय मनोरोग चिकित्सक समाज के 30 वें वार्षिक सम्मेलन द्वारा, जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री ने किया था, कुछ सिफारिशें की गयी हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मंत्रियों के टेलीफोन कालों की सीमा

399. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के आवासों पर लगे हुए टेलीफोनों से काल करने की कोई सीमा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या विशिष्ट कारण हैं ; और

(घ) क्या मंत्रियों के आवासों पर लगे हुए टेलीफोनों से कालें करने की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का अब कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब से ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) डाक-तार विभाग ने किसी उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली कालों पर कोई सीमा नहीं लगाई है । सामान्य शुल्क की सीमा से अधिक कालों पर डाक-तार विभाग चार्ज करता है ।

(घ) जी नहीं ।

Aluminium Plant in Orissa with Collaboration of Hungary and Iran

400. Shri Rajendra Kumar Sharma : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether an aluminium plant is proposed to be set up in the State of Orissa with the collaboration of Hungary and Iran;

(b) whether the Metallurgical and Engineering Consultative Company Limited have prepared a project report for this purpose; and

(c) if so, the place where the plant will be set up and the time by which it is likely to be commissioned ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Karia Munda): (a) to (c) The Metallurgical and Engineering Consultants (I) Ltd. had submitted a pre-feasibility report for an alumina plant in the State of Orissa. In order to ensure both long term purchase arrangements with major aluminium producers, and to secure the finance required for setting up the plant, M/s. Aluminium Pechiney of France have been asked to prepare a bankable Feasibility Report for an export-oriented alumina/aluminium plant based on the bauxite deposits in the Pottangi/Panchpatmali areas of Orissa.

Iran, as also some other countries, have expressed interest in long term purchase of alumina; and the possibility of securing financial assistance for setting up the project would depend on the feasibility of the project. No Hungarian collaboration is envisaged at this juncture, and the place and other details would depend on the study to be undertaken by M/s. Aluminium Pechiney.

विमुद्रित नोट बदलवाने के लिए एक विदेशी मंत्री को सहायता

401. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय में किसी वरिष्ठ अधिकारी ने दिल्ली में किसी विदेशी मंत्री को 16 जनवरी, 1978 को विमुद्रित हुए बड़े नोट बदलवाने में सहायता की थी ;

(ख) विदेश मंत्रालय के ऐसे हस्तक्षेप के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या संबंधित अधिकारी के पति/पत्नी ने हाल ही में, राजनयिक पारपत्र दूर नियमों का उल्लंघन करते हुए खाड़ी के किसी देश की यात्रा की थी ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) विदेश मंत्रालय के किसी भी व्यक्ति ने बड़े करेंसी नोटों को बदलवाने के लिए दिल्ली में किसी विदेश मंत्री की सहायता नहीं की थी । लेकिन एक विदेशी राजदूत ने दो मामलों में सहायता के लिए दिल्ली में मंत्रालय से अवश्य संपर्क किया था जिसमें से एक मामला एक-एक हजार रुपये के बिलों से संबंधित था जो उनके देश का एक राष्ट्रिक विदेशी मुद्रा बैंक ड्राफ्ट के रूप में लाया था और इस ड्राफ्ट को बम्बई के एक बैंक ने एक-एक हजार रुपये के मूल्य के बिलों में भारतीय मुद्रा में बदल दिया था और दूसरे मामलों में उसी मिशन ने यह कहा था कि उसने एक-एक हजार रुपये के मूल्य के नोटों में कौंसुली फीस वसूल की थी ।

(ख) विदेश मंत्रालय का यह कर्त्तव्य है कि वह भारत स्थित विदेशी मिशनों के लिए एक संचार माध्यम के रूप में कार्य करे और सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करे । इसलिए विदेश मंत्रालय ने इन नोटों को बदलवाने के लिए इस मिशन द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर लगी इस विदेशी मिशन की मोहर और सम्बद्ध दूत के हस्ताक्षरों को विधिवत् सांख्यांकित किया था ।

(ग) संबद्ध अधिकारी की पत्नी ने खाड़ी के किसी देश की यात्रा राजनयिक पासपोर्ट पर नहीं की थी बल्कि एक सामान्य पासपोर्ट पर की थी ।

सेलम में इस्पात संयंत्र और फ्रांसीसी फर्म के बीच तकनीकी सहयोग के लिए करार

402. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात लिमिटेड तथा एक फ्रांसीसी कम्पनी के बीच तकनीकी सहयोग के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संयंत्र इस समय किस व्यवस्था में है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कढ़ियां मुण्डा) : (क) और (ख) जी, हां । सेलम में बेदाग इस्पात के ठंडे बेलन के लिए जानकारी तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के बारे में

सेलम स्टील लि० और फ्रांस के मैसर्स पिगिट-लोर के बीच 26 जनवरी, 1978 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे । इस करार के अधीन मैसर्स पिगिट-लोर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेंगे :—

1. प्रलेखों, मानकों, डेटा आदि के रूप में तकनीकी जानकारी देना ;
2. रूपांकन तथा इंजीनियरी कार्यों के बारे में परामर्श देना (ले-आउट, विशिष्टियों, टेण्डरों की जांच भी शामिल है) ;
3. ग्राहक-सेवा की व्यवस्था करने, उत्पादों के प्रयोग तथा विकास से संबंधित कार्यों में सहायता देना ;
4. सेलम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आदि ;
5. विशेषज्ञों को भारत भेजना ।

(ग) संयंत्र स्थल पर अधिकांश अवस्थापना कार्य पूरा हो गया है। ठंडी बेलन मिल का निर्माण कार्य भी आरम्भ हो गया है । मुख्य संयंत्र तथा उपस्करों के लिए टेण्डर भी प्राप्त हो गए हैं ।

डाक-तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की परिलब्धियों का पुनरीक्षण

403. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के विभागेतर अंशकालिक और अन्य श्रेणियों के ग्रामीण कर्मचारियों की परिलब्धियों के हाल के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप उनमें सुधार हुआ है ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सई): (क) जी हां ।

(ख) सभी विभागेतर कर्मचारियों के लिए जिनके पास दो घंटे का कार्यभार हो, कम से कम मेहनताना बढ़ा कर 100 रुपये किया जा रहा है और अधिकतम में 10 रु० और 15 रु० के बीच वृद्धि की जा रही है ।

Grant of P.C.O. in Sobharia town and Telephone Connections in Hanumana town of Rewa District

404. Shri Y. P. Shastri : Will the Minister of **Communications** be pleased to state

(a) whether orders for providing telephone facilities to Sobharia town in District Rewa in Madhya Pradesh were issued several years ago but no Public Call-Office has bee opened there till today and if so, the reasons therefor; and.

(b) whether the persons willing to get telephone connections in Hanumana town of Rewa-District deposited one thousand rupees each one and a half years back but they have not been given telephone connections so far and if so, the reasons therefor ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) The correct name of the place is presumed to be Semaria. A proposal for providing telephone facility at Semaria was approved in November, 1976, but the work could not be taken up for want of essential stores. The facility is likely to be provided during 1978-79.

(b) Some persons paid the deposit before January, 1977 and some as late as January, 1978. Approval for exchange has since been given and it is expected to open the exchange by June, 1978.

बन्ध्यकरण की उपयोगिता का प्रचार

405. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री पी०जी० मावलंकर :

श्री एस०एन० चतुर्वेदी :

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए बन्ध्यकरण, लूप तथा सी० सी० प्रयोक्ताओं के संबंध में पृथक-पृथक लक्ष्य क्या थे और 31 दिसम्बर 1977 को इस बारे में वास्तविक उपलब्धियां क्या थीं और गत वर्ष की उपलब्धियों में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) देश की प्रगति के हित में इस बारे में विश्वास का वातावरण पैदा करने और बन्ध्यकरण के तरीके की उपयोगिता का प्रचार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) इसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है ।

(ख) लोगों को अपना परिवार छोटा रखने के लिए समाहार रूप में जो सेवाएं सुलभ की जा रही हैं स्वेच्छा से नसबंदी कराना उन्हीं का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और उसका उसी महत्वपूर्ण ढंग से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । प्रचार अभियानों में इसके प्रति लोगों के दिलों में पिछले दिनों पैदा हुई गलतफहमियों और अंदेशों को दूर करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । पुरुष नसबंदी आपरेशनों के लिए संशोधित तकनीकी मार्ग निर्देशक बातें भी तय कर ली गयी हैं और वे सभी सेवा केंद्रों को भेजी जा रही हैं । माताओं और बच्चों की देखरेख पर अधिक बल दिया जा रहा है ।

(ग) आशा है कि यह कार्यक्रम निकट भविष्य में और भी जोर पकड़ेगा ।

विवरण

1977-78 में परिवार कल्याण कार्यक्रम की कार्य निष्पत्ति (आंकड़े अनन्तिम हैं)

तरीके	प्रत्याशायें 1977–78	कार्य निष्पादित	
		अप्रैल से दिसम्बर 1977 तक	अप्रैल से दिसम्बर 1976 तक
1. स्वैच्छिक नसबंदी आपरेशन* . .	4,000,000	569,031	7,080,045
2. लूप निवेशन . . .	1,000,000	184,546	403,522
3. अन्य तरीके† . . .	5,000,000	2,713,875	3,399,372

*स्वैच्छिक नसबंदी अप्रैल, 1977 से है । अगस्त, 1977 में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वैच्छिक नसबंदी आपरेशन करने का जो लक्ष्य निर्धारित है उसे प्राप्त करने के लिए बल नहीं दिया जाएगा ।

†प्रचलित गर्भनिरोध और मुख सेव्य गोलियां ।

पानी से होने वाले रोगों के मामले

406. **श्री के० प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में पिछले मानसून के दौरान हुए टाइफाइड, हैजा, पेचिश आदि जैसे पानी से होने वाले रोगों के मामलों के बारे में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दिल्ली में बिना किसी दूषण के पेय जल उपलब्ध करने के लिए क्या कार्य-वाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) यद्यपि पिछले मानसून के दौरान दिल्ली में पानी से होने वाले रोगों के संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथापि जलपूर्ति और मल निकास संगठन, दिल्ली में पेय जल की सप्लाई को दूषण रहित बनाने के लिए सामान्य एहतियाती उपाय बरतता रहा है ।

सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज स्मारक का पुनर्निर्माण

407. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंगापुर में भव्य आजाद हिन्द सेना स्मारक का, जिसे लार्ड माउंटबेटन ने नष्ट कर दिया था, सिंगापुर सरकार के सहयोग के साथ पुनर्निर्माण करने का कोई प्रयास किया है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने आजाद हिन्द सेना स्मारक के पुनर्निर्माण के अनौपचारिक संबंध में सिंगापुर की सरकार के साथ अभी तक औपचारिक रूप से कोई बात नहीं की है किन्तु सम्पर्कों से यह संकेत मिला है कि सिंगापुर सरकार का रवैया अभी अनुकूल नहीं है । फिर भी, यह मामला निरंतर भारत सरकार के विचाराधीन है।

डाक्टर-मरीज और नर्स-मरीज अनुपात के सिद्धान्त

408. **श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पतालों में डाक्टर-मरीज और नर्स-मरीज अनुपात के क्या सिद्धांत मान्य किए गए हैं ;

(ख) इस समय दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टर-मरीज और नर्स-मरीज का अनुपात क्या है; और

(ग) अगर इस अनुपात को मान्य सिद्धांतों से कम समझा जा रहा है, तो यह अन्तर पूरा करने के लिए क्या विशिष्ट प्रयत्न किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) अस्पतालों में डाक्टर-रोगी और नर्स-रोगी अनुपात के जो प्रतिमान मान्य हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) डाक्टर :—जनरल अस्पतालों में 30 पलंगों और शिक्षण अस्पतालों में 20 पलंगों के लिए 6 डाक्टरों की यूनिट ।

(2) नर्से :—जनरल अस्पतालों में 5 पलंगों और शिक्षण अस्पतालों में 3 पलंगों के लिए एक नर्स ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में डाक्टर-रोगी और नर्स-रोगी का अनुपात इन प्रतिमानों के अनुरूप ही है ।

Visit to Foreign Countries by Foreign Minister

†409. **Shri M.A. Hannan Alhaj** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the countries visited by him during the last two months; and

(b) the benefits accrued to India as a result of these goodwill visit ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) and (b) (i) Nepal, 9 to 11 December, 77. The Minister of External Affairs accompanied the Prime Minister on a goodwill visit to Nepal which led to resolution of a number of outstanding issues particularly relating to development of common water resources for the benefit of the peoples of the two countries.

(ii) Pakistan, 6 to 8 Feb., 1978. As a result of the goodwill visit of the Minister of External Affairs, it has been possible for the leaders of India and Pakistan to have discussions with and better understanding of each other.

(iii) Australia, 11 to 15 Feb., 1978. The Minister of External Affairs accompanied the Prime Minister to the Commonwealth Heads of Governments regional meeting at Sydney. India's participation in the meeting contributed to the object of exploring possibilities of greater co-operation amongst the Commonwealth countries of the region as well as to come close in their approach to international and regional economic issues.

देश के बेरोजगार डाक्टरों को नौकरी देने के प्रयास

410. **श्री शंकरसिंह जी बाघेला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बेरोजगार डाक्टरों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली राज्य चिकित्सा वार्षिक सम्मेलन में भाषण देते हुए देश में बड़ी संख्या में विद्यमान बेरोजगार डाक्टरों को रोजगार देने की आवश्यकता पर बल दिया था; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट प्रयास किए गए हैं कि बेरोजगार डाक्टरों को रोजगार मिल सकें और इन डाक्टरों को कब तक रोजगार दिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, 30 जून, 1977 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 9,060 मैडिकल ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट के नामदर्ज थे।

(ख) जी हां,

(ग) राज्य सरकारें इस समस्या की ओर निरन्तर रूप से ध्यान रखे हुए हैं । छठी योजना में और पदों के बनने की आशा है जिससे बेरोजगारी में कमी आ जाएगी ।

इस्पात उद्योग में कार्य कर रही यूनियनों के प्रतिनिधिक स्वरूप को निश्चित करने के लिए आश्वासन

411. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी इस्पात संयंत्रों के श्रमिकों के प्रतिनिधियों की 30 नवम्बर, 1977 को नई दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस्पात उद्योग में कार्य करने वाली यूनियनों के प्रतिनिधिक स्वरूप को निश्चित करने के लिए सभी इस्पात संयंत्रों में गुप्त मतदान कराया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन के क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार ने वह समय-सीमा निर्धारित कर दी है जिससे पूर्व गुप्त मतदान कराया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं। इस्पात उद्योग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अप्रैल, 1977 में गठित किए गए 6 अध्ययन दलों के सदस्यों की 30 नवम्बर, 1977 को एक सम्पूर्ण बैठक हुई थी जिसमें अध्ययन दलों की रिपोर्टें औपचारिक रूप से स्वीकार की गई थीं । इस बैठक में, यह भी स्वीकार किया गया था कि संयंत्र स्तर पर यूनियन को मान्यता गुप्त मतदान पत्र द्वारा दी जानी चाहिए । फिर भी यह बात बता दी गई थी कि इस मामले में श्रम मंत्रालय के साथ आगे लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी।

सरकार का इरादा शीघ्र ही एक नया कानून बनाने का है जिसमें एक संस्थान/उद्योग में एक सौदा एजेंट के प्रश्न सहित मालिक-मजदूर सम्बन्धों के सभी पहलू शामिल होंगे । प्रस्तावित कानून के उपबन्ध समान रूप से इस्पात उद्योग पर भी लागू होंगे।

(ख), (ग) और (घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

घी, मक्खन आदि में मिलावट

412. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत छह महीनों के दौरान दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण नगरों में घी, मक्खन, खाद्य तेलों, दूध तथा औषधियों में मिलावट के किन्हीं मामलों की जानकारी मिली है ;

(ख) गत छह महीनों के दौरान दिल्ली में खाद्यान्न तथा औषधियों के कितने नमूने विश्लेषण लिए गए तथा कितनों में मिलावट पाई गई है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री जयप्रकाश नारायण के गुर्दों को विषाक्त किये जाने के बारे में प्रतिवेदन पेश किया जाना

413. **श्री वसन्त साठे:**

डा० रामजी सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री जयप्रकाश नारायण के गुर्दों को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, चंड़ीगढ़ में कतिपय डाक्टरों द्वारा कथित रूप से विषाक्त कर दिये जाने के बारे में जांच करने हेतु नियुक्त ए० नागप्पा अलवा समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Opening of RMS Office in Betul in M.P.

†414. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to open Railway Mail Service Office in Betul District in Madhya Pradesh;

(b) if so, when it will be opened; and

(c) the number of places in Madhya Pradesh where Railway Mail Offices have been opened so far ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) 22 Railway Mail offices have so far been opened in Madhya Pradesh Circle.

Providing Telephone Connections in Tikamgarh and Chhatrapur Districts, M.P.

†415. **Shri Laxminarain Nayak** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of the places besides Tikamgarh and Chhatrapur in these two Districts in Madhya Pradesh where telephone connections have been provided to the people;

(b) whether there are many Tehsil places in the above two Districts where telephone connections have not been provided to the people and the names of these places;

(c) whether at Newari which is a Tehsil headquarter, no telephone facilities have been provided even on the demand of the people;

(d) whether telephone facilities have been sanctioned for years in Prathipur, Lidhora, Orchha in District Tikamgarh but still they are deprived of this facility and the reasons therefor ; and

(e) whether Newari, which is 50 miles far from Tikamgarh is not directly connected and whether direct connection will be provided soon and Prathipur, Newari, Orchha will be directly connected with Tikamgarh and Jhansi ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Besides Tikamgarh and Chhattarpur the following places have telephone connections provided to the public :—

(i) Khajurahao (ii) Nowgaon (iii) Harpalpur (iv) Garhi Malera (v) Maharajpur (vi) Bijawar (vii) Jatara	In Chhattarpur District and in Tikamgarh District.

(b) No Sir, All Tehsil headquarters in Madhya Pradesh are provided with Public Telehphone facility.

(c) Newari is having a telephone Public Call Office and there is no demand for private telephones.

(d) Proposals to open public call offices at Prathipur and Lidhora were sanctioned and both the P.C.Os. are programmed for opening in 1978-79. Proposals to open a P.C.O. at Orchha is under examination.

(e) Newari P.C.O. has a direct access to Jhansi exchange via Baruasagar and Jhansi has a direct trunk circuit to Tikamgarh. The proposed P.C.O. at Prathipur will be directly connected to Tikamgarh. Proposal to open P.C.O. at Orchha is under examination.

Employment of Local People of Bailladila and Bhilai in Factories

416. **Shri Aghan Singh Thakur** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the local people of Bailladila and Bhilai are not given preference in the matter of employment in factories and even their names are not registered in the Employment Exchanges; and

(b) if so, whether Government propose to take any step in this regard so that the local people may be able to get employment ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma): (a) Applicants registered at Employment Exchanges in whose jurisdiction they normally reside are submitted against the notified demands which serves the interest of the local people the definition of which is yet to be evolved. In so far as recruitments in Central Government Undertakings/Enterprises are concerned, vacancies of posts carrying a basic salary of less than Rs. 500 p.m. are required to be made through Employment Exchanges.

(b) The present policy of recruitment through Employment Exchanges is considered sufficient to protect the interests of local people for adequate employment opportunities.

"छात्र संसद" कार्यक्रम

417. **श्री मुहम्मद हयात अली** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान कितने "छात्र संसद" कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा किन-किन स्थानों में आयोजित किये गये ; और

(ख) गांवों के लोगों के लाभार्थ ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में "छात्र संसद" आयोजित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा) : (क) और (ख) वर्ष 1977 के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थित 37 विद्यालयों में युवा संसद् प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एक विवरण जिसमें इन विद्यालयों के नाम और पते दिए गए हैं संलग्न है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरम्भ करने के लिए सरकार ने मुख्य मंत्रियों के स्तर पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ भी इस विषय में पत्र-व्यवहार किया है ।

विवरण

दिल्ली के विद्यालयों में वर्ष 1977 के दौरान आयोजित किए गए युवा संसद कार्यक्रम

क्रमांक	विद्यालय का नाम
1.	यूनियन अकादमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजा बाज़ार, नई दिल्ली।
2.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, नं० 2, तिलक नगर, नई दिल्ली।
3.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, मल्का गंज, दिल्ली।
4.	राजकीय सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिन्धु, दिल्ली।
5.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, नं० 1, निकलसन रोड, दिल्ली।
6.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली।
7.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, नं० 1, नजफगढ़, नई दिल्ली।
8.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, आदर्श नगर, नई दिल्ली।

9. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय,
नं० 1, शक्ति नगर, नई दिल्ली ।

10. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय,
नं० 2, कालकाजी, नई दिल्ली ।

11. आन्ध्र शिक्षा सोसायटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली ।

12. एस० एस० के० खालसा उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय,
दरिया गंज, दिल्ली ।

13. ए० एस० बी० जे० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
दरिया गंज, दिल्ली ।

14. कर्मशियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
दरिया गंज, दिल्ली ।

15. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय,
नं० 2, मदनगीर, नई दिल्ली ।

16. मारवाड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
नई सड़क, दिल्ली ।

17. रामजस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
नं० 4, पहाड़ गंज, नई दिल्ली ।

18. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय,
नं० 2, रोशनारा रोड नई दिल्ली ।

19. कस्तूरबा बालिका विद्यालय,
ईश्वर नगर, नई दिल्ली ।

20. नव हिन्द राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय,
नई रोहतक रोड, नई दिल्ली।

21. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय,
जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली ।

22. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय,
रामपुरा, नई दिल्ली ।

23. डी० टी० ई० ए० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
पूसा रोड, नई दिल्ली ।

24. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय,
नं० 1, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली ।

25. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय,
नं० 1, माडल टाउन, नई दिल्ली ।

26. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय,
मुन्डका, दिल्ली ।

27. दयानन्द माडल राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय,
मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली ।

28. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय,
अली गंज, नई दिल्ली।

29. गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
शाहदरा, नई दिल्ली।

30. मुखर्जी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
शाहदरा, नई दिल्ली।

31. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय,
अलीपुर, दिल्ली।

32. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय,
नं० 3, सेक्टर-7, रामाकृष्णमपुरम, नई दिल्ली।

33. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय,
नं० 1, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली।

34. रामजस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
रामजस रोड करोल बाग, नई दिल्ली।

35. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय,
छवी गंज, नई दिल्ली।

36. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय,
चिराग एनक्लेव, नई दिल्ली।

37. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय,
दयानन्द रोड, नई दिल्ली।

रोजगार कार्यालयों के द्वारा रोजगार की व्यवस्था

418. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो रोजगार कार्यालयों के द्वारा रोजगार देने की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार पर लगाए गए नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 40.41, 49.68 और 46.16 लाख थी। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में गैर-तकनीकी श्रेणी III की रिक्तियां 1975 में गठित किए गए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के माध्यम से भरे जाने के कारण वर्ष 1977 के दौरान नियुक्तियों में थोड़ी-सी कमी आई।

सऊदी अरब देशों में सिखों के साथ अनुचित व्यवहार

419. **डॉ० वसन्त कुमार पंडित :**

श्री वलवन्त सिंह रामुवालिया :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सऊदी अरब में भारतीयों के साथ अनुचित व्यवहार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो विशेषकर भारतीय सिखों के बारे में किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) क्या भारतीयों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सऊदी अरब में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सऊदी अरब में भारतीयों के प्रति अनुचित व्यवहार के बारे में कोई आम शिकायतें नहीं मिली हैं । लेकिन 1976 के मध्य में सऊदी अरब की सरकार ने अपने राज्य में सिक्खों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया और यह निर्णय लिया है कि जो वहां पहले से कार्य कर रहे हैं उनको भी निकाल दिया जाए । सऊदी प्राधिकारियों के अनुसार यह कार्यवाही इसलिए की गई थी क्योंकि कुछ सिक्ख मजदूरों ने कतिपय अनियमिततायें की और हड़ताल तथा मजदूर संघों के से काम किये थे जिन पर सऊदी अरब में सख्त पाबन्दी है ।

(ख) सिक्खों पर जब से प्रतिबन्ध लगाया गया है तभी से सऊदी अरब स्थित हमारा राजदूतावास से हटवाने के लिए प्रयत्न कर रहा है । कुछ सिक्ख श्रमिकों को सितम्बर/अक्तूबर, 1976 में उद्वासित किया गया । बहरहाल, हमारे राजदूतावास के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप वहां काम करने वाले सिक्खों की बड़ी संख्या में नहीं निकाला गया और जो संविदा के अन्तर्गत आये थे उन्हें अपनी अवधि पूरी करने की अनुमति दे दी गयी । लेकिन सिक्खों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध अभी जारी है । इस मामले को सऊदी अरब और दिल्ली में विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है और इस प्रश्न के संतोषजनक समाधान के लिए प्रयत्न जारी है ।

पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड के साथ नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों का सहयोग

420. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री चित्त बसु :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों ने अब श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए गठित मजूरी बोर्ड के साथ सहयोग करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो नियोक्ताओं को ऐसा करने के लिए राजी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1977 में दोनों मजदूरी बोर्डों में नियोजकों के प्रतिनिधियों ने सरकार को लिखा कि वे मजदूरी बोर्डों से अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनके संगठन ऐसा चाहते थे । गतिरोध को दूर करने के लिए संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री ने नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग और संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया । विचार-विमर्श का अगला दौर अगले माह होने की आशा है ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पुनर्विलोकन करने के लिये समिति की नियुक्ति

421. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पुनर्विलोकन करने तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समेकित करने की आवश्यकता और लोगों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है।

बिहार सरकार द्वारा कोयला और खनिज पदार्थों की सप्लाई रोकने की धमकी

422. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्राय सरकार को यह पता है कि यदि बिहार में कोयला और खनिज-अयस्कों को निकालने वाले उपक्रम अपने मुख्यालयों को अन्य राज्यों में बनाए रखेंगे तो बिहार सरकार ने इस पर अपना विरोध प्रकट किया है तथा उसने अन्य राज्यों को कोयला और खनिज अयस्कों की सप्लाई बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि अपने पंजीकृत कार्यालयों को अन्य राज्यों में रख कर ये उपक्रम बिक्री कर तथा अन्य करों के रूप में बिहार को भारी राजस्व से वंचित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने उपक्रमों के मुख्य कार्यालय बंबई, कलकत्ता जैसे नगरों तथा अन्य स्थानों पर हैं; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने ऐसे निर्देश या आदेश जारी किए हैं कि यदि बिहार में खनिज-अयस्कों की खुदाई का काम कर रही कंपनियां अपने मुख्यालय बिहार राज्य से बाहर रखती हैं तो अन्य राज्यों को कोयला और अन्य खनिजों की सप्लाई बंद कर दी जाए।

(ख) बिहार राज्य सरकार के अनुसार उन्हें (राज्य सरकार को) राजस्व की भारी हानि हो रही है लेकिन विशेष अध्ययन के अभाव में इस राजस्व हानि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार खनन उद्योग क्षेत्र की लगभग 88 फर्मों के मुख्यालय बिहार राज्य से बाहर स्थित हैं।

(घ) कानून में इस बात की छूट है कि कोई भी फर्म/कंपनी अपनी मुख्यालय देश के किसी भी राज्य में रख सकती है और कोई भी कंपनी/फर्म एक से अधिक राज्यों में खनन कार्य कर सकती है। कानूनन यह उचित नहीं होगा कि किसी भी कंपनी/फर्म को अपना मुख्यालय बिहार राज्य में ही रखने के लिए बाध्य किया जाए। खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 27(3) के अनुसार खनिज विकास की दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को यह छूट है कि केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त नियम में या किसी पट्टे में विनिर्दिष्ट कुछ शर्तें पट्टाधारी पर लगा दें। लेकिन मुख्यालय या पंजीकृत कार्यालयों को किसी स्थान विशेष में रखने की शर्त लगाना उपर्युक्त नियम की परिधि में नहीं आता।

तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना

423. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय का तीन इस्पात संयंत्र स्थापित करने का विचार जिनकी कुल क्षमता तीन करोड़ टन होगी तथा प्रत्येक की लागत 60,000 लाख डालर होगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिलों द्वारा उत्पादित इस्पात का निर्यात किया जाएगा; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस्पात बाज़ार में इस्पात की वर्तमान बहुतायत के कारण हम फालतू इस्पात को पहले ही अलाभप्रद मूल्यों पर बेच रहे हैं, यदि हां, तो क्या विदेशी पूंजी के उपयोग का कोई आर्थिक औचित्य है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के ऊपर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Abundance of Rock Phosphate in Meghnagar of Jhabua Adivasi Region, M.P.

424. **Shri Bhagirath Bhanwar**. Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether rock phosphate has been found in abundance in Meghnagar of Jhabua Adivasi region of Madhya Pradesh and whether the Central Government are preparing any scheme based on it; and

(b) in case Government are preparing any such scheme, when it is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) & (b) The Geological Survey of India has indicated the existence of rock phosphate deposits, with 25 to 30 per cent phosphorus pentaoxide, around Meghnagar in Jhabua district of Madhya Pradesh, the extent of the deposits being estimated at around 4.5 million tonnes. The State Government has advised that these deposits are being mined by the M.P. State Mining Corporation since 1974-75 as an agent of the State Government.

An application from Messrs M.P. Agro Morarji Fertilizers Ltd., for issue of an industrial licence for setting up a new industrial undertaking in the joint sector at Meghnagar, for manufacture of 93,000 tonnes of Mono Ammonium Phosphate (MAP) per annum is under consideration of the Government.

दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास

425. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1978 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दुबाई स्थित हमारे वाणिज्य दूतावास की इमारत के आकार और स्वरुप से न यह विदित होता है कि वहां हमारी किसी जनसंख्या है और न हमारे उद्यमकर्ता भाइयों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का राशि का पता चलता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन कर्मचारियों का कर्तव्य व्यक्तियों का मार्ग दर्शन और सहायता करना है वे अशिष्ट व्यवहार करते हैं तथा एक अशिष्ट पहरेदार वहां जाने वालों को गलियारों में प्रवेश की अनुमति मिलने से पूर्व घंटों खुले मैदान में पंक्ति में खड़े रहने का आदेश देता है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर भारतीय लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री : (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। वहां सीमित संख्या में तैनात हमारा कर्मचारी-वर्ग तत्परता, दक्षता और शिष्टाचार के साथ सेवा प्रदान करने का हर संभव प्रयत्न करता है। लेकिन इस समय कोसुलावास के भवन के भीतर बहुत ही कम स्थान उपलब्ध है और अक्सर आगन्तुकों की संख्या प्रतिदिन 500 तक पहुंच जाती है। इसलिए वयह अपरिहार्य है कि उनमें से बहुत से आगन्तुकों को बाहर खुले मैदान में ठहरना कोंसलावास के लिए एक बड़े भवन और अमले में वृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है ।

भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन देने का उपबन्ध समाप्त करने का कानून

426. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन देने के उपबंध को समाप्त करने अथवा उसमें संशोधन कसने के बारे में अंतिम रुप से इरादा कर लिया है और तत्सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इस मामले में सरकार के विलम्ब और निर्णय न ले पाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का अपना बिचार उक्त पेंशन उपबंध को सीधे समाप्त करने का है; और

(ड़) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) से (ड़) भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन देने के उपबंध को समाप्त करने उथवा उसमें संशोधन करने के प्रश्न पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों/ ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने के लिए इस प्रश्न कों एक मद के रूप मैं शामिल किया गया था। विचार विमर्श की समाप्ति पर इस विषय से कोई निर्णय लिया जायेगा।

संसद का सत्र दक्षिण भारत में किया जाना

427. **श्री रागावलू मोहनरंगम** : क्या **ससदीय तथा कार्य श्रम** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बढ़ती हुई राय की जानकारी है कि दक्षिण भारत में किसी स्थान पर वर्ष में एक बार संसद का सत्र आयोजित किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का राष्ट्रीय एकीकरण के हित में इस विचार को मानने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलना

428. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री राम कवार बेरवा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों की राजधानियों में, जहां ये कार्यालय नहीं हैं, कब तक प्रस्तावित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोल दिए जायेंगे ; और

(ग) क्या वर्तमान पासपोर्ट कार्यालयों में काम के काफी अधिक बढ जाने को देखते हुये वहां पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए भी कोई कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) सरकार का यह उद्देश्य है कि इस समय जिस-जिस राज्य में पासपोर्ट कार्यालय नहीं हैं उसमें ऐसा कार्यालय खोला जाए। फिलहाल अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्नाटक और राजस्थान राज्य में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाएंगे । जिन बड़े राज्यों में काम की मात्रा के अनुसार पूर्ण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का खोला जाना जरूरी नहीं है वहां की जनता की बैहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार का विचार है कि उन राज्यों में उप-क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोला जाएं। इन कार्यालयों के संबंध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । सरकार की यह कोशिश होगी कि आगामी वित्तीय वर्ष में यथासंभव अधिक से अधिक उप-क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाएं।

(ग) जी हां।

ब्रिटेन में आनन्द मार्गियों की गतिविधियां

429. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन की पुलिस ने कहा है कि ऐसा विश्वास है कि श्री पी० आर० सरकार की रिहाई के लिए हाल ही में चलाई गई अन्तर्राष्ट्रीय आतंक की लहर का विचार सबसे पहले आनन्द मार्गियों के "दादा" के मस्तिक में आया था ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन में आनन्द मार्गियों की गतिविधियों के बारे में भारत सरकार को बिटेन सरकार से प्राप्त हुई जानकारी का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी नहीं। हमें लन्दन पुलिस से इस आशय की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है कि पी० आर० सरकार की रिहाई के लिए वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आतंक-वाद की लहर को शुरू करने का विचार सबसे पहले आनन्द मार्गी "दादा" ने दिया था। आनन्द मार्ग के पुरुष सदस्यों की कुछ श्रेणियों में "दादा" उपसर्ग लगाना आम बात है और इसका कोई अन्य महत्व नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और पाकिस्तान द्वारा निरुद्ध व्यक्तियों का स्वदेश लौटाना

430 **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के युद्ध के पश्चात भारत और पाकिस्तान द्वारा निरुद्ध कितने व्यक्तियों को अभी अपने-अपने देशों को लौटाना शेष है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हुई प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) स्वदेश वापस भेजने की इस धीमी गति के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जनवरी 1978 के अन्त तक की सूचना के अनुसार लगभग 295 पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत जेलों में नज़रबन्द हैं। इसी प्रकार, पाकिस्तान सरकार से और हमारे अपने स्त्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में लगभग 250 भारतीय हैं।

(ख) शिमला समझौते के अन्तर्गत परिकल्पित सामान्यीकरण की प्रक्रिया को पुन: आरम्भ करने के लिए 1976 में इस्लामाबाद में दोनों सरकारों के विदेश-सचिवों की मुलाकातों के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच नज़रबन्दो के नियमित आदान-प्रदान की प्रक्रिया आरम्भ हुई। तब से, भारत और पाकिस्तान के बीच 5 बार इस प्रकार के व्यक्तियों का आदान-प्रदान हो चुका है जो नीचे लिखे अनुसार है:—

क्रम सं०	आदान-प्रदान की तारीख	भारतीय	पाकिस्तानी
1.	5-4-76	32	53
2.	30-11-76	36	58
3.	1-2-77	70	108
4.	27-10-77	41	35
5.	3-1-78	50	165

पिछले आदान-प्रदान के बाद अब हमने फरवरी, 1978 में इस प्रकार आदान-प्रदान का प्रस्ताव किया हुआ है और इस पर पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) नज़रबन्दों के आदान-प्रदान का प्रबन्ध दोनों सरकारों द्वारा उनकी राष्ट्रीय स्थिति का सत्यापन करने के बाद ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन इस बात का हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है कि भारतीय नज़रबन्दों के विवरण का जितनी जल्दी हो सके सत्यापन करके पाकिस्तान सरकार को भेजा जाए। इसी प्रकार, भारत में नज़र बन्द पाकिस्तानियों को देश-प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में हमें पाकिस्तान सरकार की सत्यापन रिपोर्ट की प्रतिक्षा करनी होती है।

भारत और प्रमाणु प्रसार रोक सन्धि

431. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु प्रसार रोक संधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजेन्सी वियाना के "पूर्ण" (फुल स्कोप) पूर्वोपायों के लिए अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व की न्यूनतम शर्तों की व्याख्या कर दी है ; और

(ख) क्या इन पूर्व-शर्तों की सूचना विश्व मंचों को प्रेषित कर दी गई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने से सम्बन्द्ध संधि पर हस्ताक्षर न करने की भारत की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि यह एक असमान और भेदभावपूर्ण संधि है। जहां तक पूर्ण पूर्वोपायों का प्रश्न है, 12 जनवरी, 1978 को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने कहा था कि जब संयुक्त राज्य और सोवियत संघ, जिनके पास परमाणु अस्त्रों का बहुत बड़ा अस्त्रागार है, शांति पूर्ण अथवा अन्यथा किसी भी प्रकार का विस्फोट न करने का निश्चय कर लेंगे और अपने अस्त्र गारों में और वृद्धि

न करें तथा परमाणु अस्त्रों के पूर्ण विनाश की दृष्टि से अपने परमाणु अस्त्रागारों में निरन्तर कमी करने के लिए एक समझौता करें तो भारत को पूर्ण पूर्वोपायों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । एसो स्थिति में सभो परमाणु सुविधाओं का रूप असैनिक हो जाएगा और पूर्वापायों की वही व्यवस्था बिना भेदभाव के सभी राज्यों पर लागू की जा सकती है।

(ख) पूर्ण पूर्वापायों के प्रश्न पर किसी भी विश्व मंच को अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा गया है।

हिन्द महासागर के विसैन्यीकृत के लिये अमरीका और रूस के बीच वार्ता

432. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर के विसैन्यीकृत के लिए अमरीका और रूस के बीच बर्न में हाल ही में हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि अमरीकी प्रशासन ने दियागो गार्सिया स्थित अड्डे को आधुनिक उपकरणों से शक्तिशाली बानने के लिए अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति दी है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) बर्न वार्ता के वर्तमान अधिवेशन के ठीक पहले दोनों पक्षों ने भारत को सूचित किया कि अब तक हुई वार्ता के फलस्वरूप उनके मतभेद कम हुए हैं यद्यपि दोनों पक्षों में हिन्द महासागर में उनकी नौ.सेना की उपस्थिति को सीमित करने के विभिन्न पहलुओं के बारे में अभी तक पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है।

(ख) सरकार को यह जानकारी नहीं है कि दियागो गार्सियां के संबंध में वित्तीय वर्ष 1978 के लिए 1977 में प्राधिकृत 73 लाख डालर से अधिक की कोई अतिरिक्त रकम प्राधिकृत की गई है। यह बताया गया है कि इसमें से विमानों के रखरखाव और बैरकों के निर्माण के लिए 33 लाख डालर की जो रकम निर्धारित थी उसकी अमरीकी प्रशासन द्वारा हिन्द महासागर से संबद्ध उसकी नीति और हिन्द महासागर में अस्त्रशस्त्रों के नियंत्रण पर सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के साथ उनके विचार-विमर्श के मूल्यांकन के आधार पर समीक्षा की जानी थी ।

श्रमिक शिक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

433. **श्री के० राममूर्ति** :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री श्रमिक शिक्षा योजना के अधिकरण की समीक्षा के बारे में 15 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिक शिक्षा समीक्षा समिति की सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : श्रमिक शिक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के ध्यान में ला दिए गए हैं । यह बोर्ड सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक सोसाइटी है । इस सोसाइटी तथा इसके शासी निकाय के पुनर्गठन के प्रश्न पर सरकार अलग रूप से विचार कर रही है।

Total Investment in Public Sector Steel Corporations and Total Number of Employees therein

434. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total capital investment on the public sector Corporation formed for manufacturing steel and the loss incurred by it so far and the measures to be taken by Government to check this loss; and

(b) the total number of employees in the Corporation and the number among them of Class I and Class II Officers; and of Class III and Class IV employees and the expenditure incurred in their salaries and allowances during 1975, 1976 and 1977, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) Presumbaly the reference is to Steel Authority of India Limited (SAIL), a holding company for steel and associated input industries, incorporated in January, 1973. It has under it two wholly owned subsidiaries, namely, Hindustan Steel Limited (which owns and administers Bhilai, Rourkela and Durgapur Steel Plants and the Alloy Steels Plant, Durgapur) and Bokaro Steel Limited (which owns and administers Bokaro Steel Plant. The total investment in these two companies in terms of grossblock (including capital works in progress) as on 31-3-1977 and the cumulative loss incurred by them upto 31-3-1977 are indicated below :—

(Rs./crores)

	Investment	Cumulative Loss
Hindustan Steel Limited	1591.70	(—)85.80
Bokaro Steel Limited	1194.90	(—)42.73

Hindustan Steel Limited has been continuously making a profit since 1973-74 and its cumulative loss has already come down from Rs. 250.88 crores as on 31-3-1973, to Rs. 85.80 crores as on 31-3-1977. It is expected to make a profit in 1977-78 also.

All the units of first phase of Bokaro Steel Plant have yet to be commissioned. The plant is also simultaneouelsy being expanded to a capacity of 4.0 million ingot tonnes. Concerted efforts are, therefore, being made to achieve maximum production from units already commissioned, to commission the remaining units at the earliest and to complete the expansion as early as possible.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारत में मानसिक दुर्बलता वाले लोग

435. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानसिक दुर्बलता वाले लोगों/रोगियों के आंकड़े रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) उनके उपचार के लिए अस्पतालों और संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) यद्यपि देश के विभिन्न अस्पतालों से मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों की संख्या जानने के संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने के प्रयत्न किए गए हैं, परन्तु कुछ अस्पतालों से उत्तर प्राप्त न होने के कारण

देश में मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों की जो कुल संख्या उपलब्ध है वह बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। तथापि 1973, 1974 और 1975 के दौरान विभिन्न अस्पतालों से प्राप्त सूचना इस प्रकार है:--

वर्ष	मानसिक अस्पतालों की कुल संख्या	सूचना भेजने वाले अस्पतालों की संख्या	दाखिला मानसिक रोगियों की कुल संख्या	मानसिक रूप से मंद रोगियों की कुल संख्या	कालम 4 से 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1973 . . .	38	31	33,130	559	1.69
1974	38	29	14,989	154	1.03
1975 . . .	38	17	23,683	739	3.12

(ग) अस्पतालों और सस्थाओं का राज्यवार विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

विवरण

देश में मानसिक रोग अस्पतालों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. राजकीय मानसिक रोग अस्पताल, वाल्टेयर।
2. मानसिक रोग अस्पताल, हैदराबाद।

असम

3. मानसिक रोग अस्पताल, तेजपुर।

बिहार

4. मानसिक रोग अस्पातल, रांची।
5. रांची मानसिक अरोग्यशाला, रांची।

गुजरात

6. मानसिक रोग अस्पताल, अहमदाबाद।
7. मानसिक रोग अस्पताल, बड़ोदा।
8. मानसिक रोग अस्पताल, भुज।
9. मानसिक रोग अस्पताल, जामनगर।

जम्मू और काश्मीर

10. मानसिक रोग अस्पताल, श्रीनगर।
11. मानसिक रोग अस्पताल, जम्मू।

केरल

12. मानसिक रोग अस्पताल, त्रिवेन्द्रम।
13. राजकीय मानसिक रोग अस्पताल, कालीकट।
14. राजकीय मानसिक रोग अस्पताल, त्रिचूर।

मध्य प्रदेश

15. मानसिक रोग अस्पताल, इन्दौर।
16. मानसिक रोग अस्पताल, ग्वालियर।

महाराष्ट्र

17. मानसिक रोग अस्पताल, रत्नागिरी ।
18. एन० एम० मानसिक रोग अस्पताल, थाना ।
19. मानसिक रोग अस्पताल, नागपुर ।
20. केन्द्रीय मानसिक रोग अस्पताल, पूना ।
21. कृपामई मानसिक रोग अस्पताल, मिराज ।

तमिल नाडु

22. राजकीय मानसिक रोग अस्पताल, मद्रास ।

कर्नाटक

23. मानसिक रोग अस्पताल, धारवाड़ ।
24. मानसिक रोग अस्पताल, बंगलौर ।

उड़ीसा

25. एस० सी० बी० मेडीकल कालेज और अस्पताल, कटक ।

पंजाब

26. पंजाब मानसिक रोग अस्पताल, अमृतसर ।

राजस्थान

27. मानसिक रोग अस्पताल, जोधपुर ।
28. मानसिक रोग अस्पताल, जयपुर ।

उत्तर प्रदेश

29. मानसिक रोग अस्पताल, वाराणसी ।
30. मानसिक रोग अस्पताल, बरेली ।
31. मानसिक रोग अस्पताल, आगरा ।

पश्चिम बंगाल

32. मानसिक रोग आबसर्वेशन वार्ड, कलकत्ता ।
33. मानसिक रोग अस्पताल, मनकुन्डू, हुगली ।
34. बनगिया उन्मद आश्रम, दत्ता नगर, कलकत्ता ।
35. लुम्बिनी पार्क मानसिक रोग अस्पताल, कलकत्ता ।

दिल्ली

36. मानसिक रोग अस्पताल, सैन्ट्रल जेल, तिहाड़, नई दिल्ली ।
37. मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली ।

गोवा, दमन और दीव

38. मानसिक रोग अस्पताल, पणजी, गोवा ।

Increase in Capacity of Telephone Exchanges

436. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to increase the capacity of telephone exchanges;

(b) if so, the date and the extent to which it is to be increased; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes, Sir.

(b) The telephone exchange capacities are being increased continuously to meet the growing telephone demands in the country. During 1978-79 it is hoped to add about 2 lakh lines of telephone exchange capacity throughout the country progressively.

(c) Does not arise.

T.B. Hospital, Delhi

437. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that patients are not being attended properly in T.B.Hospital in Delni; and

(b) if so, action being taken by Government to make proper arrangement there ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) No.

(b) Does not arise.

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

438. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य योजना में कोई सुधार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अगले पांच वर्षों में योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने गांव लाने का विचार है ; और

(घ) क्या स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक एजेन्सियों तथा शैक्षिक संस्थानों को भी लाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी नहीं, तथापि, भारत सरकार ने कुछ इलाकों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसे योजना में परिवर्तन करने की अनुमति दे दी है।

(ग) इस योजना को स्वीकार करने वाले प्रत्येक राज्यों के सभी गांवों को अप्रैल, 1982 तक इस योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है ।

(घ) जी हां, जहां कहीं भी स्वैच्छिक संगठन इस योजना में भाग लेने के लिए तैयार होंगे वहां उनकी सेवाओं को जन स्वास्थ्य रक्षकों के प्रशिक्षण में उपयोग करने का विचार है । उन्हें विशेष इलाके और कार्य सौंपने का भी विचार है। आधुनिक चिकित्सा के प्रत्येक मेडिकल कालेज से तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्बद्ध करके इस दिशा में शुरुआत की जा रही है।

थाना (महाराष्ट्र) के डाक कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले मासिक प्रकाशन

439. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के जिला तथा सर्किल अधिकारियों का ध्यान थाना (महाराष्ट्र) के तृतीय श्रेणी के डाक कर्मचारी संगठन द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले मासिक प्रकाशनों की ओर दिलाया गया है जिसमें यह संगठन अपनी विभिन्न शिकायतों तथा कठिनाइयों को व्यक्त करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में की गई कार्यवाही संबंधित प्राधिकारियों को सूचित की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1977 के महीनों में प्रकाशित प्रकाशनों में व्यक्त मुद्दों पर क्या कार्यवाही की गई तथा क्या संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया गया था ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बुलेटिनों में प्रकाशित सामग्री के संबंध में कोई जवाब देने की जरुरत नहीं होती है। संबंधित ब्रांच यूनियनों से प्राप्त पत्रों के जवाब दे दिए जाते हैं। अक्टूबर-दिसम्बर, 1977 के बुलेटिन में प्रकाशित सामग्री पर कार्यवाई की गई थी।

उल्हास नगर में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए निर्धारित प्लाट पर कब्जा किए जाने के कारण कार्यवाही

440. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संचार** मंत्री 17 नवम्बर 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 693 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उस व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है जिन्होंने उल्हास नगर (जिला थाना, महाराष्ट्र) में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए नए भवन के निर्माण हेतु डाक तथा तार विभाग के लिए निर्धारित प्लाट पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ;

(ख) उक्त प्लाट पर किन व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है तथा कब से किया है ;

(ग) डाक तथा तार विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने अनधिकृत कब्जे के बारे में तथा उसका पता लगते ही उसे शीघ्र खाली कराने के लिए क्या कार्यवाई की ; और

(घ) यदि इस बारे में कोई कार्यवाई नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख), (ग) और (घ) 17/11/77 के प्रश्न सं० 693 के उत्तर में जिस प्लाट का उल्लेख किया गया है, वह नगर की विकास योजनाओं में डाक तार विभाग के लिए केवल नियत किया गया था। यह प्लाट विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस स्थिति में विभाग के पास प्लाट के अनधिकृत कब्जे के बारे में कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। विभाग अनधिकृत कब्जे को रोकने या उसे खाली कराने के लिए भी कोई कार्यवाई नहीं कर सकता था।

जैसा कि पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा गया था जमीन के एक उपयुक्त प्लाट के लिए राज्य सरकार को मांग भेज दी गयी है और इस मामले में सक्रियता से कार्रवाई की जा रही है

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए डाकघर खोले जाने का लक्ष्य

441. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मंत्री 17 नवम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न सं० 65 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए डाकघरों को खोलने और चलते-फिरते डाकघरों और लेटर बाक्स की अन्य डाक सुविधाएं देने के लक्ष्य को देखते हुए, जनवरी 1978 के अन्त तक उनमें से कितनों की व्यवस्था की गयी तथा क्या उक्त लक्ष्य 31 मार्च, 1978 तक प्राप्त कर लिया जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) चालू वर्ष 1977-78 के लक्ष्य और 31-1-78 तक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:--

योजना	1977-78 का लक्ष्य	31-1-78 तक की उपलब्धियां
1. डाकघर खोलना :--		
नगर	20	30
देहात	236	179
2. चल डाकघरों के जरिए डाक सेवा प्राप्त करने वाले गांव	2,975	3,235
3. लेटरबक्सों की स्थापना	4,980	1,139

आशा है कि ये लक्ष्य 31-3-1978 तक प्राप्त कर लिए जाएंगे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1977 के दौरान बकाया भविष्य निधि की राशि और प्रथम छह त्रुटिकर्ताओं के नाम

442. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों की भविष्य निधि की अंशदान राशि नियोजकों द्वारा सरकार के पास नियमित रूप से जमा नहीं कराई जाती है;

(ख) ऐसी जमाराशियों के लिए लागू नियम क्या हैं और वर्ष 1977 के दौरान कितनी धनराशि जमा नहीं कराई गई;

(ग) सबसे बड़े प्रथम छह उल्लंघन कर्ताओं के नाम क्या हैं और उनके विरूद्ध क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां, कुछ मामलों में, नियोजकों ने ऐसे अंशदान जमा नहीं किये हैं।

(ख) और (ग) : सूचना अनुबंध 'क' तथा 'ख' में विवरणों में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1581/78]

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 (देय राशियों की भू-राजस्व के रूप में वसूली) तथा धारा 14, 14क, 14 कक (अभियोजन) के अधीन भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाई की जाती है/की गई है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 (विश्वास भंग तथा आपराधिक गबन) के अधीन ऐसे कतिपय दीर्घकालिक बकाये के मामलों में, जहां नियोजक कर्मचारियों के भाग का भविष्य निधि संबंधी अंशदान उनकी मजदूरियों से काटते हैं, लेकिन उसे भविष्य निधि प्राधिकारियों के पास जमा नहीं भेजते, मुकदमें दायर किये जाते हैं। दोषी नियोजकों को अच्छे व्यवहार के लिए बाध्य करने के लिये, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन न्यायालयों की शरण ली जाती है ।

न्यायालयों के केन्द्रीय बोर्ड ने भी सिफारिश की हैं कि :

(i) आयुक्तों की देख-रेख तथा नियंत्रण के अधीन संगठन का अपना स्वतंत्र वसूली तंत्र होना चाहिए, जो आयकर विभाग द्वारा अपनाये गये तंत्र के आधार पर हो।

(ii) विशेष न्यायालय, विशेषत: ऐसे क्षेत्रों में, जहां अभियोजन मामलों की संख्या बहुत अधिक हो, स्थापित किये जायें ताकि अधिनियम के अधीन चलाये गये अभियोजन मामलों का निपटान शीघ्रता से हो।

इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

भारत के निर्यात व्यापार से उत्पन्न रोजगार

443. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के निर्यात व्यापार से उत्पन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के बारे में सरकार का अनुमान क्या है;

(ख) निम्नलिखित निर्यातोन्मुख उद्योगों यानि सिले-सिलाए कपड़ों, जूतों, तैयार चमड़े, चमड़े से निर्मित वस्तुओं, इंजीनियरी उद्योग, रसायन उद्योग में छोटे और बड़े उद्योगों तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में नियुक्त श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन उद्योगों में नियुक्त अनुमानत: कितने प्रतिशत श्रमिक इन उद्योगों के उत्पादों की निर्यात बिक्री पर आश्रित हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) ऐसे व्यवसाय के संबंध में रोजगार के आंकड़े एकत्र करने की किसी नियमित पद्धति के अभाव में, कोई अनुमान लगाना कठिन है ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

1976 और 1977 (31 मार्च) के दौरान संगठित क्षेत्र* में रोजगार ।

प्रश्न में उल्लिखित उद्योग	उद्योग का कोड	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम में अभिस्वीकृत राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 1970 के अनुसार तदनुरूपी विवरण	रोजगार हजारों में					
			1976			1977 (अनंतिम)		
			सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिले सिलाए कपड़े	264	पहनने की पोशाक सहित सभी प्रकार के कपड़ों, सिले सिलाए कपड़ों का निर्माण	9.1	18.3	27.4	9.3	21.1	30.3
जूते	291	जूते बनाना (मरम्मत छोड़कर), वल्कनीकृत (वल्कनाइज्ड) या मोल्डेड रबर या प्लास्टिक के जूते छोड़कर	3.7	17.5	21.2	3.6	17.1	20.7
तैयार चमड़ा चमड़ा तैयार करना	29 (291 को छोड़कर)	चमड़ा बनाना तथा चमड़े और फर उत्पाद, मरम्मत और जूतों को छोड़कर	1.3	14.6	15.9	1.9	15.4	17.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंजीनियरिंग	33 से 38 तक	मूल धातु और मिश्र धातु उद्योग, धातु के उत्पाद और पुर्जों का निर्माण, मशीनरी, मशीन टूल्स और पुर्जों का निर्माण, इलेक्ट्रीकल मशीनरी, उपकरणों, यंत्रों का निर्माण और सप्लाईज और पुर्जे, परिवहन उपस्कर और पुर्जों का निर्माण तथा अन्य विनिर्माण उद्योग ।	638.3	7058.3	1696.7	687.6	1062.2	1749.9
रसायन	31	रसायन और रसायन के उत्पादों का निर्माण पेट्रोलियम और कोयले के उत्पादों को छोड़कर।	115.2	278.3	393.5	121.1	289.9	411.1

*संगठित क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्र के ऐसे गैर-कृषि प्रतिष्ठान आते हैं जो 10 या उससे अधिक श्रमिक नियोजित करते हैं ।

टिप्पणी : पंक्तियों में दिए गए आंकड़े पूर्णांकन के कारण आवश्यक रूप से पूरे नहीं हो सकते हैं ।

अकुशल,/अर्ध-कुशल और कुशल औद्योगिक श्रमिक की औसत मासिक दैनिक मजूरी

444. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अकुशल,/अर्ध-कुशल और कुशल औद्योगिक श्रमिक की औसत मासिक/दैनिक मजूरी क्या है ;

(ख) अमरीका, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, फ्रांस, कनाडा और नीदरलैंड में समान श्रेणियों के औद्योगिक श्रमिकों की औसत मजूरी क्या है; और

(ग) इन देशों के श्रमिकों की तुलना में एक औसत भारतीय श्रमिक की उत्पादकता में कितना अन्तर है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है, जिसमें न्यूनतम मज़दूरी पाने वाले कर्मचारियों की मज़दूरी-दरों के संबंध में उपलब्ध तुलनात्मक सूचना दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1582/78]**

(ग) कोई तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का खोला जाना

445. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1978-79 के दौरान देश में और अधिक इलेक्ट्रांनिक टेली-फोन एक्सचेंज खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साई) : (क) और (ख) जी हां ।

31 दिसम्बर, 1977 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची

446. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1977 को, राज्यवार, टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदन-पत्रों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) उनको टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिया जाएगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सई) : (क) 31-12-1977 को राज्यवार प्रतीक्षा सूची इस प्रकार थी :—

राज्य	प्रतीक्षा सूची
आन्ध्र प्रदेश	4231
बिहार	938
गुजरात जिसमें अहमदाबाद शहर भी शामिल है	21098

राज्य	प्रतीक्षा सूची
हरियाणा	2158
हिमाचल प्रदेश	493
जम्मू और कश्मीर	1181
कर्नाटक	4780
केरल	8132
मध्य प्रदेश	826
महाराष्ट्र जिसमें बम्बई शहर और गोवा भी शामिल है	57197
उत्तर पूर्वी सर्किल जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य आ जाते हैं	605
उड़ीसा	160
पंजाब	9822
राजस्थान	3749
सिक्किम	21
तमिलनाडु	4992
उत्तर प्रदेश	4838
पं० बंगाल जिसमें कलकत्ता शहर शामिल है	26802
	151523
संघ शासित क्षेत्र	
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	16
चंडीगढ़	2089
दिल्ली	46017
लक्षद्वीप	6
पांडिचेरी	35
दमण, दिव, सिलवासा	53
माही	49
	48265

(ख) ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि जहां तक संभव हो वर्ष 1980 तक इन प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को कनेक्शन दे दिए जाएं, परन्तु कुछ बड़े नगरों और शहरों में इस प्रकार का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं हो सकेगा। कुछ छोटे नगरों में भी बहुत लम्बी दूरी के कनेक्शन देना भी संभव नहीं हो सकेगा।

Second All India Population Project

447. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have accepted as it is the names of the four districts recommended by Bihar Government under Second India Population Project or some amendments have been made therein and if so, the reasons tnerefor;

(b) whether the Central Government have made their recommendations to World Bank or other international institutions in this regard and if so, the priority order thereof; and

(c) when the said scheme would be introduced in Bhagalpur District ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a), (b) & (c) The entire matter is still under consideration.

पनेली-मोती गांव, जिला राजकोट में दोषयुक्त टेलीफोन सेवा के बारे में शिकायत

449. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनेली-मोती गांव, तालुका उपलेता, जिला राजकोट, गुजरात के टेलीफोन प्रयोक्ता संघ से 17-12-77 से दोषयुक्त टेलीफोन सेवा के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उसमें क्या मांगें की गई हैं; और

(ख) क्या पनेली-मोती गांव के टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने सरकार के विरुद्ध इस कारण कोई असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया था और यदि हां, तो उसकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और सुचारू तथा नियमित टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सई) : (क) जी हां । राजकोट के मंडल इंजीनियर, तार को पार्टी से 17-12-77 को एक शिकायत मिली थी । मुख्य मांगें और शिकायतें निम्नलिखित हैं :—

(i) गलत नम्बर मिलना और डायल टोन न मिलना ।

(ii) पनेली-मोती से ट्रंक लाइनें ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं ।

(iii) पनेली-मोती एस-ए-एक्स का मूल एक्सचेंज उपलेता को बनाया जाए न कि भायावाडर को जैसा कि इस समय है ।

(ख) धोराजी के उप मंडल अधिकारी, तार कुछ महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं से मिले थे और कोई भी असहयोग आन्दोलन, जिसकी कि धमकी दी गयी थी, शुरू नहीं किया गया । गलत नम्बर मिलने और डायल टोन न मिलने की कुछ समय के लिए जो कठिनाई हुई थी उसका कारण यह था कि पनेली-मोती एस-ए-एक्स और उसके मूल एक्सचेंज के बीच जंक्शनों को पुनर्व्यवस्थित किया गया था और एस-ए-एक्स का 50 लाइनों से 100 लाइनों तक विस्तार करते समय उपस्कर पर काम करना पड़ा था । यह काम पूरा हो गया है । दोषपूर्ण खुले तार की ट्रंक लाइन को जनवरी 1978 में ठीक कर दिया गया है । अब यह एक्सचेंज बिना किसी शिकायत के संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है । भायावाडर के वर्तमान मूल एक्सचेंज के बदले उपलेता को मूल एक्सचेंज नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मौजूदा नियमों के अनुसार एस-ए-एक्स को निकटतम एक्सचेंज से जोड़ा जाना चाहिए ।

Provision of Telephone Connections to Satapar Village, Jamnagar District

+450. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of people who had demanded telephone connections in Satapar village of Jamjodhpur Taluka in District Jamnagar of Gujarat State and when such demands were made;

(b) when and from where telephone lines would be provided to Satapar village; and

(c) the name of the village and the distance at which telephone facility is available near Satapar village ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Eight persons applied in May, 1977 for telephone connections at Satapar village in Jamjodhpur Taluka of Jamnagar District (Gujarat).

(b) The present number of applicants is not sufficient to justify the opening of a telephone exchange at Satapar.

(c) Telephone facility is available at Jamjodhpur which is 30 kms. away from Satapar village.

छात्रों द्वारा नशीली औषधियों के प्रयोग में वृद्धि

451. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों द्वारा नशीली औषधियों के प्रयोग में गत वर्षों के दौरान कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) इस संबंध में रिपोर्टें मिली हैं कि नशीली दवाओं का उपयोग खासकर छात्रों में बढ़ता जा रहा है । इसलिए केन्द्रीय सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच करने के लिए कि देश में और खासकर छात्र समुदाय में औषधियों का व्यसन किस हद तक फैला हुआ है, एक समिति नियुक्त की । इस समिति की रिपोर्ट की प्रतियां "भारत में औषधियों का दुरुपयोग" शीर्षक के अन्तर्गत 5 दिसम्बर, 1977 को सभा पटल पर रख दी गयी थीं । इस रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी उनसे संबंधित सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेज दी गयी हैं ।

Provision of New Telephone Connections in Saurashtra Region of Gujarat

†452. **Shri Dhramasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of new telephone connections provided in Junagarh, Jamnagar, Rajkot, Bhavnagar, Surendranagar, Amreli and Kutch districts of Saurashtra region of Gujarat, District-wise during April, 1977 to January, 1978;

(b) the total number of new telephone connections to be provided in these Districts, District-wise during 1977-78; and

(c) the number of new telephone connections which are proposed to be provided in these Districts, District-wise during 1978-79 ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a), (b) & (c) The Department normally keeps the records of waiting lists and new telephone connections etc. separately for each telephone exchange.

A statement for each of these districts is being compiled and will be placed on the Table of the House during the course of the Session.

Demand for a Branch Post Office in Chayya Plot Ward No. 11, Porbunder (Gujarat)

†453. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Adrash Mitra Mandal, Porbunder of Junagarh District in Gujarat State has demanded opening of a Branch Post Office in Chayya Plot Ward No. 11 in Porbunder in November, 1977 and if so, the reasons given to open Branch Post Office there;

(b) when the Branch Post Office is proposed to be opened there; and

(c) the action taken up till now or proposed to be taken in this matter ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) (a): Yes, Sir. For better postal facilities to the public of the area.

(b) & (c) The proposal has been examined and opening of the post office has been found justified. The post office will be opened as soon as a suitable building is available.

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ हुई चर्चा के विषय

454. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री यशवन्त बोरोले :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के हाल ही में भारत आगमन पर उनके साथ भारत के प्रधान मंत्री ने किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की;

(ख) इस दौरे के परिणाम तथा उनके साथ हुई चर्चा का भी क्या मूल्यांकन किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत और ब्रिटेन शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोटों के प्रश्न के बारे में सहमत नहीं हो सके; और

•(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत हुई जिसमें अफ्रीका और पश्चिम एशिया की स्थिति और उत्तर-दक्षिण की वार्ता भी शामिल थी । व्यापार, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के व्यक्तियों और आर्थिक सहयोग से संबद्ध द्विपक्षीय मसलों पर भी संक्षेप में चर्चा हुई ।

(ख) यह यात्रा अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुई जो कि यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुदृढ़ करना था ।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री ने नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के विभिन्न पहलुओं के बारे में भारत सरकार का रवैया समझाया । ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने इसे समझा ।

शाह ईरान के साथ हुई बातचीत

455. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाह ईरान के हाल ही में भारत आगमन पर प्रधान मंत्री ने उनके साथ किन विषयों पर बातचीत की; और

(ख) इस दौरे के परिणाम तथा शाह ईरान के साथ हुई बातचीत का क्या मूल्यांकन है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) प्रधान मंत्री ने ईरान के शहंशाह के साथ उनकी भारत यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मसलों और क्षेत्रीय महत्व के मामलों पर विस्तार-पूर्वक विचार-विनिमय किया । उन्होंने परस्पर द्वीपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की आगे की संभावनाओं का पता लगाने का भी निश्चय किया ।

(ख) इस यात्रा से भारत और ईरान के बीच निकटतर संबंध स्थापित हुए और द्वीपक्षीय रूप से और अन्य देशों में संयुक्त प्रयत्नों के जरिये, दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र का विस्तार हुआ । ईरान के शहंशाह ने ऋण के आधार पर अतिरिक्त कच्चा तेल देने की और पूर्वी तटवर्ती बाक्साइट भंडारों के अल्यूमिना प्रायोजना, त्रिपुरा की कागज़ और लुगदी फैक्टरी तथा राजस्थान नहर के द्वीपक्षीय चरण जैसी स्वीकृत प्रायोजनाओं में हिस्सा लेने अथवा उनके लिए वित्त की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया । पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस विषय पर एक उप-संयुक्त समिति का गठन करने का भी निर्णय किया गया । सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत-ईरान संबंधों के इतिहास के अध्ययन और अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए दो पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिनमें एक तेहरान में होगा और दूसरा नई दिल्ली में । भारत सरकार ने 1980 में ईरान में भारतीय कला और संस्कृति पर एक प्रदर्शनी आयोजित करने में सहायता देने का निर्णय लिया ।

चालू वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन में बाधा

456. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन में बाधा पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां । यद्यपि अप्रैल, 1977 से जनवरी, 1978 के दौरान सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के विक्रय इस्पात के कुल उत्पादन में वर्ष 1976-77 की इसी अवधि के उत्पादन से 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथापि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 5.9 प्रतिशत की कमी हुई है ।

(ख) और (ग) बिजली की सप्लाई में प्रायः प्रतिबन्धों/रुकावटों जैसे कारणों से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । बोकारो, दुर्गापुर इस्पात कारखाने और इस्को के कारखाने पर इसका विशेष-रूप से प्रभाव पड़ा है । कोकर कोयले की क्वालिटी अच्छी न होने तथा इसकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न होने, अक्तूबर, 1977 में दुगदा और मौजूदीह कोयला शोधनशालाओं में हड़ताल होने तथा और कुछ कारखानों विशेषतः इस्को में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण भी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

बिजली और कोकर कोयले की सप्लाई में सुधार लाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम और कोयले की सप्लाई करने वाले अभिकरणों से सतत संपर्क रखा जा रहा है ।

(घ) वर्तमान क्षमता के बेहतर उपयोग, बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण की शेष इकाइयों के चालू हो जाने और भिलाई तथा बोकारो इस्पात कारखाने प्रत्येक की 40 लाख टन पिण्ड तक विस्तार योजनाओं के पूरा हो जाने से इस्पात के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की सम्भावना है । भिलाई और बोकारो में नई प्रौद्योगिक प्रक्रिया आरम्भ करने की संभावना है जिससे थोड़े पूंजी-निवेश से उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी । सरकार ने सेलम इस्पात परियोजना के प्रथम चरण की भी अनुमति दे दी है । इस चरण के पूरा हो जाने से प्रतिवर्ष 32,000 टन ठंडे बेलित बेदाग इस्पात के चपटे उत्पाद तैयार होने लगेंगे ।

भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों के विस्तार का प्रस्ताव

457. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ग) क्या इस्पात की किस्म में सुधार करने और नाईओबियम इस्पात हाई टेन्साईल, स्टेनलेस स्टील तथा अन्य विशेष प्रकार के इस्पात, जिनकी बाजार में भारी मांग है, क्या उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) भिलाई इस्पात कारखाने की 25 लाख टन इस्पात पिण्ड की वर्तमान वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 40 लाख टन की जा रही है । इस समय इस पर 1120 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । बोकारो इस्पात कारखाने की 17 लाख टन इस्पात पिण्ड की वर्तमान वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 40 लाख टन की जा रही है । इस पर 948 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । इन दोनों परियोजनाओं के लिए सोवियत रूस की सरकार ने रूबल की ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं । 115 करोड़ रुपये की अमुमानित लागत से बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता को आगे बढ़ाकर 47.5 लाख टन करने की योजना पर प्रारंभिक रूप से विचार किया जा रहा है ।

प्रौद्योगकीय फेरबदल तथा सुधार से भिलाई और बोकारो इस्पात कारखानों का उत्पादन और अधिक बढ़ाने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है । अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रयत्नों, उत्पादन की अच्छी व्यवस्था और कर्मशाला स्तर पर क्वालिटी पर नियंत्रण रखने के उपायों से इस्पात कारखानों में तैयार किए जाने वाले इस्पात की क्वालिटी में लगातार सुधार किया जा रहा है । कुल उत्पादन में इस्पात की परीक्षित मात्रा के अनुपात में क्रमिक वृद्धि हुई है । भिलाई इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने ने अधिक मजबूत निम्न मिश्रित इस्पात तैयार किया है और सप्लाई किया है । बोकारो इस्पात कारखाना भी अधिक मजबूत निम्न मिश्रित इस्पात का उत्पादन करने लगा है ।

ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत ब्लाक

458. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत कितने ब्लाक रखे गये हैं;

(ख) कितने सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी पहले ही प्रशिक्षित किये जा चुके हैं और कितने और प्रशिक्षित किये जायेंगे; और

(ग) इस योजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है और उसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों का हिस्सा कितना-कितना होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 2 अक्तूबर, 1977 को आरम्भ की गई जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत आने वाले खंडों की संख्या लगभग 726 है ।

(ख) प्रथम बैच में प्रशिक्षित किए गए जन स्वास्थ्य रक्षकों की संख्या लगभग 14060 है। 1977-78 के दौरान जितने जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने की आशा है उनकी कुल संख्या लगभग 28000 है।

(ग) 1977-78 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन पर 4.26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह योजना शत प्रतिशत एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है।

विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा

459. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री कंवर लाल गुप्त .
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री दुर्गाचन्द :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह इस माह पाकिस्तान गए थे, और

(ख) यदि हां, तो जिन मामलों पर चर्चा हुई उनका विवरण क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों पक्षों ने आपसी हित के द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषयों की चर्चा की। इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि 1975 के व्यापार करार की समीक्षा के लिए कदम उठाये जाने चाहिए, सलाल बांध परियोजना पर बातचीत शुरू की जानी चाहिए तथा समाचार एवं सूचना के स्वतंत्र आदान-प्रदान के साथ-साथ दोनों देशों के लोगों के बीच सम्पर्क की सुविधा की जानी चाहिए।

अमरीका को "हाट रोल्ड" और "कोल्ड रोल्ड" इस्पात की चादरों का निर्यात

460. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द मैटल्स नामक अमरीकी फर्म को "हाट रोल्ड" तथा "कोल्ड रोल्ड" इस्पात की चादरें निर्यात करने के लिए दिसम्बर, 1977 में एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के इन्टर्नों और छात्रों द्वारा हड़ताल

461. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के इन्टर्नों और छात्रों ने 31-1-78 और 1-2-78 को दो दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) छात्रों के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अधिकारियों के साथ यह समझौता हुआ था कि जूनियर रेजीडेंटों की कुल सीटों में से घोषित सूची के 60 प्रतिशत जनवरी में और 40 प्रतिशत जुलाई में भरने के बजाय 80 प्रतिशत सीटें जनवरी में और 20 प्रतिशत सीटें जुलाई में भरी जाएंगी । संमझौते में साथ ही यह भी माना गया था कि खुली प्रतियोगिता में इस संस्थान के स्नातकों में से जितने स्नातकों का चयन होगा उनके अलावा विभिन्न स्नातकोत्तर कोर्सों में प्रवेश के लिए कुल सीटों का 33 प्रतिशत उनके लिए आरक्षित की जाएंगी ।

(ग) चूंकि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था इसलिए उक्त मांगों को अनुचित माना गया । संस्थान के अखिल भारतीय स्वरूप को देखते हुए यह सम्भव नहीं हो पाया कि आम प्रतियोगिता में चुने गये छात्रों की संख्या के अतिरिक्त 33 प्रतिशत सीटें संस्थान के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी जाएं ।

श्रम ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशक को सेवा से हटाया जाना

462. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशक को सरकार ने सेवा से हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या भूतपूर्व निदेशक ने सरकारी निर्णय के विरुद्ध अपील की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) श्री के० के० भाटिया, संयुक्त निदेशक, श्रम ब्यूरो, जिन्होंने निदेशक, श्रम ब्यूरो के रूप में पिछले कुछ समय तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से काम किया, को उनके विरुद्ध नियुक्त की गई विभागिय जांच के परिणामस्वरूप सेवा से बर्खास्त किया गया था । इस अधिकारी ने अपनी बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध हिमाचलय प्रदेश उच्च न्यायालय मैं एक रिट याचिका दायर की थी । उच्च न्यायालय ने याचिका को तुरंत खारिज कर दिया ।

Providing Automatic Telephone Services to cities in Rajasthan

+464. **Shri Jagdish Prasad Mathur** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of cities in Rajasthan having a population of more than 50,000 in which automatic telephone services have not been provided;

(b) the time by which this telephone service is likely to be provided in these cities; and

(c) whether there is any proposal to link District headquarters with Jaipur by STD line and if so, the details thereof ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) & (b) The information is as follows :—

Sl. No.	Name of Station	Likely time by which automatisation of the exchange is proposed.
1.	Bikaner	1978-79
2.	Churu	1979-80
3.	Sikar	1980-81
4.	Sriganganagar	1982-83
5.	Tonk	1980-81

(c) Yes, Sir, Alwar has already been cconnected to Jaipur by STD. Schemes for linking of Jodhpur, Ajmer, Kota, Udaipur and Beawar to Jaipur by STD have been taken up and are expected to be completed within next 3 years. The remaining District headquarters will also be provided STD progressively thereafter.

Education Facilities in Khetri Town

465. **Shri Jagdish Prasad Mathur** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the existing arrangements for the education of the children of employees living in Khetri town are not adequate;

(b) whether a demand for additional schools and accommodation for schools for the children of these employees has been made;

(c) whether it is a fact that lakhs of rupees are being given as assistance to the Sophia School of the Hindustan Copper whereas this school is not within the reach of the ordinary employees there; and

(d) if so, the money given to the Sophia School and the expenditure incurred on other schools ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) & (b) Educational facilities for children of employees living in Khetri Township are available as follows :—

	No. of Schools
Higher Secondary :	1
Middle Schools :	2
Lower Primary Middle School :	1
Nursery Schools :	3
Total	7

Over 3300 wards of Hindustan Copper Ltd. employees receive education in these schools. In 1977, there was a demand for upgradation of the existing Rajasthan Government Middle School to High School. The matter is being pursued by the Hindustan Copper Limited with the State Government. There was also a demand for additional seats for admission in 1st Standard in the Kendriya Vidyalaya at Khetri. To cater to the anticipated additional admissions in the various school at Khetri, the company has already sanctioned funds for construction of additional class rooms.

(c) & (d) : The expenditure incurred/budgeted on different schools by the Khetri Cooper Complex is as below :—

(Rs. lakhs)

Schools	Upto 1977-78		Budget for 1978-79		Total		Total
	Building	other exp.	Building	other exp.	Building	other exp.	
Central . .	14.07	21.29	2.40	9.16	16.47	30.45	46.92
State . .	4.61	0.79	10.75	2.55	15.36	3.34	18.70
Sophia . .	10.55	1.31	5.0	0.24	15.55	1.55	17.10
Nursery . . .	0.30	3.23	4.00	1.17	4.30	4.40	8.70

Expenditure on the Sophia School is mainly on account of provision for a suitable building. Such buildings are already available for other schools. The actual running expenditure on the Sophia School i.e. expenditure other than building, is however, nominal compared to the expenditure on the running of the Central School and State Middle School because the Sophia School is able to substantially meet its running expenses through fees which are paid by the parents. Children of some workmen are also studying at the Sophia School.

मध्य प्रदेश के मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में अप्रयुक्त पड़े उपकरणों की मरम्मत

467. **श्री सुखेन्द्र सिंह** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1978 के इंडियन एक्सप्रेस के इस समाचार की ओर गया है कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के मूल्य के उपकरण बेकार पड़े हैं और उनमें से कुछ उपकरणों की तो दस साल से भी अधिक समय से मरम्मत नहीं की गई है; और

(ख) क्या उनकी मरम्मत के लिए अथवा इस बारे में राज्य को अपना सहयोग देने के लिए केन्द्रीय सरकार अपने सद्भाव का उपयोग करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी हां । ध्यान आकृष्ट हुआ है । इस संबंध में राज्य सरकार से पूरी जानकारी हासिल की जा रही है । ये अत्यधिक इलेक्ट्रो-मेडिकल उपकरणों/कलपुर्जों की मरम्मत के लिए देश में कुछेक क्षेत्रीय कार्यशालाएं खोलनें की एक केन्द्रीय योजना है । जब ये कार्यशालाएं खोल दी जाएंगी तभी मेडिकल उपकरणों की मरम्मत के लिए विभिन्न राज्यों की सहायता कर पाना सम्भव होगा ।

Cancer due to use of Hair Dye

468. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Health Department have any information about a report that use of hair dye may cause cancer; and

(b) if so, whether Government have got it examined or propose to do so?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) A report to this effect appeared recently in a local newspaper.

(b) The opinion of the medical experts in the field has been sought in the matter.

Noting and Drafting in Hindi in the Ministry

469. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total number of employees category-wise in his Ministry at present and the number of those among them who possess working knowledge or proficiency in Hindi;

(b) the number of employees among those having working knowledge or proficiency in Hindi who submit notes and drafts in Hindi; and

(c) the reasons for which such employees do not submit notes and drafts in Hindi; and

(d) whether orders have been issued to such employees to submit notes and drafts in Hindi, if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) :

	Gazetted	Non Gazetted	Total-
(a) 1. Total number of employees	92	287	379
2. Number of employees having a working knowledge of Hindi *i.e.* those employees who have passed —			
(i) the Matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subjects; or			
(ii) the *Pragya* examination conducted under the Hindi teaching scheme of the Central Govt. or when so specified by that Government in respect of any particular category of posts, any lower examination under that scheme; or			
(iii) any other examination specified in that behalf by the Central Government; or			
(iv) have declared that they have acquired such knowledge.	36	101	137
3. Number of employees possessing proficiency in Hindi *i.e.* those employees who have—			
(i) passed the Matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination; or			
(ii) taken Hindi as an elective subject in the degree examination or any other examination equivalent to or higher than the degree examination; or			
(iii) have declared that they possess proficiency in Hindi	34	155	189

(b) As per the Quarterly Report on the progressive use of Hindi in Central Government offices prescribed by the Department of Official Language, only such employees are considered to be working in Hindi as do their 25% work in Hindi. Accordingly the number of employees working in Hindi is 9 28 37

(c) Since under the Official Language rules the Government employees have the option to do their work either in Hindi or in English, they use Hindi or English as per their convenience.

(d) Keeping in view the answer given in reply to part (c) above, Joint Secretary/ Secretary/Minister have encouraged all the officers/employees to work in Hindi to the extent possible and the officers/employees have started writing small and routine notes in Hindi.

दिल्ली में नये टेलीफोन केन्द्रों को चालू करना

470. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली में नये टेलीफोन केन्द्रों को चालू करने के बारे में इस समय कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उस संबंध में 1978 के लिये क्या कार्यक्रम है तथा क्षेत्रवार कितनी नई टेलीफोन लाइनें दिये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सामान्य तथा विशेष श्रेणियों में गतिबद्धता को समाप्त करने के लिये उन श्रेणियों के लिये अधिक टेलीफोन लाइनें अलाट करने का प्रस्ताव है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) दिल्ली में वर्ष 1977-78 के दौरान नए टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमताओं को चालू करने से संबंधित प्रगति इस प्रकार है:—

(i) दिल्ली गेट विस्तार 300 लाइनें;
18-10-1977 को चालू की गईं ।

(ii) हौज खास-I विस्तार 1500 लाइनें;
17-12-77 को चालू की गईं ।

(iii) शक्तिनगर विस्तार 1500 लाइनें,
16-2-1978 को चालू की गईं;

(iv) राजौरी गार्डन-I 5000 लाइनें,
18-2-78 को चालू की गईं ।

(ख) आशा है कि 1978 के दौरान निम्नलिखित एक्सचेंज लाइनें चालू की जाएंगी :—

(i) चाणक्यपुरी विस्तार 600 लाइनें
(ii) करौलबाग-I विस्तार 800 लाइनें
(iii) हौजखास-II नया एक्सचेंज 10,000 लाइनें
(iv) शाहदरा ईस्ट विस्तार 1600 लाइनें
(v) नेहरू प्लेस नया एक्सचेंज 2000 लाइनें
(vi) तीस हजारी-III नया एक्सचेंज 10,000 लाइनें
(vii) शक्तिनगर नया एक्सचेंज 10,000 लाइनें
(viii) जनपथ-V, नया एक्सचेंज 2,000 लाइनें

योग 37000 लाइनें

(ग) सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन देने के अनुपात में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

भारत-चीन सम्बन्ध

471. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री जी० एम० बनतवाला ।
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री दुर्गाचन्द .
श्री यशवन्त बोरोले :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए हाल ही में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ख) उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) तथा (ख) 1976 में भारत और चीन के बीच राजदूतों की अदला-बदली के बाद दोनों के बीच संबंध क्रमिक रूप से अवरोध की उस स्थिति से आगें बढ़े हैं जो भारत-चीन संबंधों में 1962 से चली आ रही थी । शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित पंचशील के सिद्धान्तों के अनुरूप चीन के साथ संबंध सुधारने की हमारी नीति के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य, खेलकूद आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान किया गया । प्रौद्योगिकी और कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ ही साथ संस्कृति, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में भी इस प्रकार के आदान-प्रदान करने का कार्यक्रम विचाराधीन है । व्यापार-संबंध फिर से शुरू होने और 1977 के कैन्टन मेले में द्विपक्षीय व्यापार प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप पारस्परिक लाभदायक व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के नियंत्रण पर चीन प्रमुख राज्य व्यापार संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है ।

Art Teachers in Schools of Bokaro Steel City

472. Shri R.L.P. Verma: Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state

(a) whether it is a fact that in Bakaro Steel City the pay scale being given to the Art (Painting/Drawing) Teachers working under its Education Department is on the basis of Matriculation qualification;

(b) whether it is also a fact that in Craft and Art colleges at Calcutta, Patna and Lucknow etc.; the students receive education for five years after having passed Matriculation and diploma or degree awarded to them is regarded as final degree like a post graduation degree and

(c) if the answer to the above parts is in affirmative, whether Government propose to give them a reasonable and justified scale of pay, if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) No, Sir.

(b) The information is not available. It is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Does not arise.

भारत अमरीकी सम्बन्ध

473. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1978 के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या मुख्य कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) राष्ट्रपति कार्टर की यह एक सद्भावना यात्रा थी और इससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने तथा और अधिक घनिष्ठता बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिली । इससे विश्व के प्रमुख मामलों पर एक दूसरे के हमारे दृष्टिकोण को समझने और द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक दूसरे की स्थिति की बेहतर जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिली ।

इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कार्टर ने हमें बताया कि वे तारापुर के लिए उत्तम कोटि के 7.5 टन यूरेनियम देने की सिफारिश कर रहे हैं जिसके संबंध में एक आवेदन पत्र अमरीकी प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है । राष्ट्रपति कार्टर और प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने इस बात के लिए भी अपनी व्यक्तिगत रुचि प्रकट की कि भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग के अन्तर्गत व्यापार, आर्थिक विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकीय से संबंधित विविध क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाये तथा सांस्कृतिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में पहले की अपेक्षा और अधिक आदान-प्रदान किया जाए ।

वियतनाम और कम्बोदिया के बीच संघर्ष

474. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत के दो मित्र देशों, विएतनाम और कम्बोदिया के बीच उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(ख) क्या विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विएतनाम की यात्रा के समय इस समस्या पर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो उस क्षेत्र में राजनैतिक वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार लाने के बारे में किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) विभिन्न अवसरों पर इस संघर्ष के जारी रहने पर हमने चिन्ता व्यक्त की है और यह आशा व्यक्त की है कि कम्पूची और वियतनाम जो कि दोनों ही गुट-निर्पेक्ष और विकास-शील देश हैं, अपने मतभेद द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे ।

दिएगो गार्सिया का विस्तार

475. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने दिएगो गार्सिया स्थित अपने वायुसेना और नौसेना के अड्डे और हिन्द महासागर के अन्य अड्डों का विस्तार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि हिन्द महासागर में अपने अड्डों के विस्तार के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका ने हाल ही में कोई निर्णय लिया है। हिन्द महासागर में अपनी सैनिक शक्तियों को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ के बीच इस समय बातचीत चल रही है।

(ख) सरकार ने हिन्द महासागर में विदेशी सेनाओं की उपस्थिति का निरन्तर विरोध किया है। इस सम्बन्ध में सरकार के विचार सर्वविदित हैं।

Utilisation of Amount by States Received under Bidi Workers Welfare Cess Act

576. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Sh. Subhash Ahuja :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 476 on the 23rd February, 1978 and state:

(a) the amount received under the Bidi Workers Welfare Cess Act, State-wise;

(b) whether Bidi Industry comes under States' jurisdiction;

(c) If so, the Government's view to the demands of State Governments for utilising the amount received under the aforesaid cess and for the implementation of the Act; and

(d) whether State Governments, have written to the Central Government in this regard and if so, the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) (a) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. L.T. 1583/78]

(b) The implementation of Bidi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 is within the jurisdiction of the State Governments whereas the Welfare Schemes for the workers under the Bidi Workers Welfare Fund Act, 1976 are administered by the Central Government.

(c) and (d) Only Madhya Pradesh Government has suggested that the cess collected by the Central Government for the Welfare of the bidi workers should be transferred to the State Government, for administering welfare activities. This suggestion is being examined.

Production and Consumption of Steel Including Exports during 1977

47/. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the present production of steel in the country;

(b) the annual consumption thereof in the country; and

(c) the quantity of steel exported in the Calendar year 1977 country-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda):(a) The production of saleable steel in the country has been steadily going up from 6.376 million tonnes in 1975-76 to 7.857 million tonnes in 1976-77. It is estimated that production during the current financial year will be around 8.145 million tonnes.

(b) Steel consumption in the country during the current financial year is expected to be of the order of 6.935 million tonnes.

(c) A statement giving country-wise exports during the calendar year, 1977 is enclosed.

STATEMENT

Country-wise exports of steel during 1977

S. No.	Country	Quantity (Tonnes)	S. No.	Country	Quantity (Tonnes)
1.	Abu Dhabi	39800	23.	Laos	100
2.	Aden	1100	24.	Mauritius	3700
3.	Afghanistan	1500	25.	Malaysia	1900
4.	Bangladesh	27600	26.	Muscat	16300
5.	Burma	10500	27.	Pakistan	27300
6.	Bahrain	1000	28.	Phillipines	81400
7.	Bulgaria	12400	29.	Sri Lanka	16300
8.	Czechoslovakia	30000	30.	Saudi Arabia	116500
9.	Dubai	54600	31.	Sudan	1400
10.	Doha	4900	32.	Syria	33900
11.	Egypt	135700	33.	Seychelles	100
12.	Ethiopia	100	34.	Taiwan	500
13.	Greece	29500	35.	Tanzania	5200
14.	Guyana	200	36.	Thailand	15500
15.	Hong Kong	5200	37.	Turkey	9800
16.	Iran	163200	38.	USA	71400
17.	Iraq	200	39.	USSR	97700
18.	Indonesia	50500	40.	UK	2000
19.	Jordan	3000	41.	Yeman	16300
20.	Kuwait	104300	42.	Yugoslavia	200
21.	Kenya	16600	43.	Zambia	700
22.	Libya	14900	44.	Zanzibar	100

NOTE:—Figures rounded upto nearest hundred.

Opening of P.C.Os. in Mandsaur and Ratlam Districts in 1977

†478. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the names of places in Mandsaur and Ratlam Districts of Madhya Pradesh where there was a demand to open P.C.Os. and to increase the capacities in Telephone Exchanges by December, 1977;

(b) the names of places in the said Districts where P.C.Os. were opened in 1977;

(c) whether P.C.Os. were sanctioned for many places but these have not been commissioned; and

(d) if so, the reasons for the delay and the time by which these are likely to be commissioned ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) (i) Demand for opening PCOs at the following places has been received:

Mandsaur district	Ratlam district
1. Sawan	1. Dharad
2. Nagri	2. Bajna
3. Singoli	3. Ringnod
4. Gandhi Sagar	4. Bangrod
5. Parda	5. Simlawada
6. Morwan	6. Kalukheda
7. Multanpur	7. Sivgarh
8. Bhatkhedi	8. Dhamnar
9. Nawali	9. Kalalia
10. Nahargarh	10. Sarwan
11. Chandwasa	11. Kharva
12. Kachnara	12. Uplai
13. Babulda	13. Shivpur
14. Sanjit	14. Dhamnod
15. Jawad Road	15. Raoti
16. Kadwas	16. Panched
17. Mahagarh	
18. Bhesoda	
19. Athana	

(ii) Demand for increasing the capacity of telephone exchanges:
Mandsaur District —Nil
Ratlam District —One

(Jaora from 200 to 300 lines)

(b) PCOs were opened at the following places during 1977:—

Mandsaur district	Ratlam district
1. Namli	1. Panched
2. Bhatkhedi	2. Sarwan
3. Mahagarh	3. Shivgarh
4. Sarwania Maharaj	4. Bilpank
5. Singoli	5. Bangrod
6. Morwan	6. Dharad
7. Sawan	7. Bajna
8. Parda	8. Dhamnod
9. Multanpur	
10. Nagri.	

(c) PCOs have been sanctioned at 8 more places in Mandsaur district and 7 more places in Ratlam district.

(d) PCOs all over the country are being opened according to a phased programme based on the likely availability of funds and materials. Efforts will be made in 1978-79 to open above sanctioned PCOs of Ratlam and Mandsaur districts.

समाचारपत्र कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

479. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री सौगत राय :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जनवरी को समूचे देश में समाचार-पत्र कर्मचारियों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सूचना मिली है कि वेतन बोर्डों से नियोजकों के प्रतिनिधियों के अलग हो जाने के विरोध में समाचार पत्र कर्मचारियों ने 24 जनवरी, 1978 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि नियोजकों के प्रतिनिधियों के इस कदम से वेतन बोर्डों की अन्तिम रिपोर्टों को पेश करने में देरी हो सकती है । गतिरोध को दूर करने के लिए संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री ने नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग और संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया है । विचार-विमर्श का अगला दौर अगले माह होने की आशा है ।

ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने तथा उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनायें लागू करने के लिए स्थायी समिति की स्थापना

480. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने तथा उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनायें लागू करने के मामले में प्रगति की लगातार देखभाल करने के लिए सरकार का विचार एक स्थायी समिति स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) जी हां । 25-1-1978 को इस विषय पर हुए विशेष सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार ग्रामीण असंगठित श्रमिक सम्बन्धी केन्द्रीय स्थायी समिति स्थापित करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है ।

इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किया गया कोयला

481. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्री समर मुखर्जी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किया गया कोयला घटिया किस्म का पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने ऊर्जा मंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसके बारे में 13 जनवरी, 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है और क्या उन्होंने यह सुझाव दिया था कि कोयला विभाग और धावनशालाओं को उनके मंत्रालय को अन्तरित कर दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) और (ख) जी, हां। इस्पात कारखानों को सप्लाई किये जा रहे कोयले की क्वालिटी में क्रमिक रूप से गिरावट आई है। पहले कोयले में राख की मात्रा 16.5% से 17% थी जो अब लगभग 20% हो गई है। परिणामस्वरूप धमन-भट्टी के कोक में राख की मात्रा 26% से 28% हो गई है जबकि इन भट्टियों का रूपांकन कोयले में 22% से 23% राख की मात्रा के लिए किया गया है।

(ग) और (घ) इस बारे में ऊर्जा मंत्रालय को लिखा गया था और यह सुझाव दिया गया था कि कोककर कोयले की शोधनशालाएं (और जहां कोयला शोधनशालाएं एकीकृत इकाइयां हैं) कोल इण्डिया लि० से लेकर स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० को दे दी जाएं क्योंकि यह महसूस किया गया था कि अगर कोयला शोधनशालाओं से धुले हुए कोयले की क्वालिटी में सुधार लाया जा सके तो इससे इस्पात कारखानों की उत्पादिता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। घटिया क्वालिटी के कोयले की सप्लाई के कारण इस्पात कारखानों को पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस्पात विभाग और कोयला विभाग के बीच विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

राजनयिकों द्वारा तस्करी

482. **श्री के० ए० राजन**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तस्करी की गतिविधियों में राजनयिकों की बढ़ती हुई अन्तर्ग्रस्तता के बारे में केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त चिन्ता और उनके इस विचार की ओर उनका ध्यान गया है कि उनके साथ केवल विदेश मंत्रालय में उच्चतर स्तर पर ही निपटा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में उनके मंत्रालय द्वारा इस बीच कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी): (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) सरकार इस बात पर कड़ी निगरानी रखती है कि भारतीय नागरिकों और विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों की रोकथाम की जाए और विदेश मंत्रालय उन मामलों में वित्त मंत्रालय के राजस्व आसूचना प्राधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखता है जिसमें संदिग्ध तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में किसी विदेशी का हाथ हो।

हाल के महीनों में जिन मामलों का पता लगा है उनमें सरकार ने सम्बद्ध देशों की सरकार के सहयोग से पहले से ही समुचित कार्रवाई की है और वह इन सरकारों के साथ गुप्त रूप से सम्पर्क बनाये रखती है ताकि ऐसे गलत काम फिर से न किए जायें। सम्बद्ध देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और सतत सहयोग को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में ब्यौरा देना उचित नहीं होगा।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पाद-दर रोजगारों के लिए 'फाल बैंक बेजिस' निर्धारित करने से राज्यों द्वारा इन्कार किया जाना

483. **श्री के० ए० राजन**:
श्री चित्त बसु:

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद-दर रोजगारों के लिए 'फाल बैंक बेजिस' निर्धारित करने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विवरण क्या है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) 23 सितम्बर, 1974 को हुई न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) सलाहकार बोर्ड की नौवीं बैठक में उत्पाद-दर श्रमिकों के लिए फाल बैक बेजिस निर्धारण करने का प्रश्न उठाया गया था । बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का यह विचार था कि फाल बैक बेजिस सभी उत्पाद-दर रोजगारों के सम्बन्ध में अधिसूचित की जानी चाहिएं । यह सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के ध्यान में लाया गया था । राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है । सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ इस मामले की पैरवी की जाएगी ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश	यह देखने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है कि उजरती-दर श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी में विश्राम दिवस की मजदूरी भी शामिल है ।
असम	अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।
बिहार	अभ्रक के बारे में निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारित कर दी गई है । न्यूनतम मजदूरी का संशोधन करते समय शेष उद्योगों को शामिल कर लिया जाएगा ।
गुजरात	राज्य में उजरती दर के रोजगारों में निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक या सम्भव नहीं पाया गया ।
हरियाणा	उजरती दरें चमड़ा तैयार करने वाले ऐसे कारखानों, जिनमें उजरती-दर श्रमिक की मासिक आय उस कार्य के लिए देय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है, सहित टेनरी और टेक्सटाइलों के लिए निर्धारित कर दी गई है ।
हिमाचल प्रदेश	ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है जहां उजरती-दर श्रमिकों को निर्धारित दर से कम मिलता है । निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारित करने के लिए कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । अतः निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारित करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।
जम्मू और कश्मीर	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।
केरल	उजरती-दर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से अधिक मिल रहा है । अतः निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है ।
कर्नाटक	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।
मध्य प्रदेश	उजरती दर मजदूरी चमड़ा, कपास ओटना और प्रेसिंग तथा स्टेल पेन्सिल के लिए निर्धारित कर दी गई है । निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इन उद्योगों में काम की कमी नहीं है ।

महाराष्ट्र	मामला कम्पैक्ट समिति को भेज दिया गया है ।
मणीपुर	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।
मेघालय	मामला राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड को सौंप दिया गया है ।
नागालैण्ड	सूचना शून्य समझी जाय ।
उड़ीसा	राज्य सरकार ने केन्द्र को लिखा है कि इस समय मामले को स्थगित कर दिया जाय ।
पंजाब	निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारित करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी ।
राजस्थान	निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारित करना कठिन होगा ।
तमिलनाडु	निर्वाह योग्य मजदूरी नसवार, इमारती लकड़ी, सुगंधित तम्बाकू और खान का तम्बाकू, टेनरीज और चमड़ा तैयार करने के कारखाने, ईंटें और टाइलें, नारियल-जटा और लवणपटल के लिए निर्धारित कर दी गई हैं । किन्तु इसे बीड़ी के लिए लागू नहीं किया जा सकता । क्योंकि इसमें उत्पादन का नियमन और प्रबन्धकीय नियंत्रण नहीं है ।
त्रिपुरा	बीड़ी को छोड़कर उजरती-दर देने वाला कोई उद्योग नहीं है । इसमें भी बहुत कम रोजगार है ।
उत्तर प्रदेश	निर्वाह योग्य मजदूरी केवल संगठित उद्योगों में उजरती-दर श्रमिकों के लिए निर्धारित की जा सकती है । चाय बागानों में उजरती-दर श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता उच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा को ध्यान में रखते हुए वांछनीय नहीं समझा गया ।
अण्डमान और निकोबार	कोई उजरती-दर रोजगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता ।
अरुणाचल प्रदेश	टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।
चण्डीगढ़	उजरती-दर मजदूरी का संशोधन करते समय निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारित की जाएगी ।
दादर और नागर हवेली	आवश्यक नहीं समझा गया ।
दिल्ली प्रशासन	न्यूनतम मजदूरी का संशोधन करते समय इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।
गोवा, दमन और दीव	उजरती-दरें निर्धारित करते समय निर्वाह योग्य मजदूरी निर्धारित की जाएगी ।

लक्षद्वीप	कोई टिप्पणी नहीं है ।
मिजोरम	उजरती-दर मज़दूरी नहीं है ।
पाण्डिचेरी	उजरती-दर निर्धारित करते समय विचार किया जाएगा ।

वर्ष 1977 में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति

484. **श्री के० मायातेवर**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977 में कितने पंजीकृत लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ; और

(ख) क्या सभी बेरोज़गार व्यक्तियों के नाम विभिन्न रोज़गार दफ्तरों में ठीक प्रकार लिखे जाना सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने कदम उठाने का विचार किया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) वर्ष 1977 के दौरान रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से रोज़गार में लगाए गए काम चाहने वालों की कुल संख्या 46.16 लाख थी ।

(ख) अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में सभी बेरोज़गार व्यक्तियों का रोज़गार कार्यालयों में अनिवार्यतः पंजीकरण व्यवहार्य नहीं होगा ।

Doctors in Rural Areas

485. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the number of Doctors posted at present in the rural areas of the country and the total annual expenditure incurred on them;

(b) whether it is a fact that 20 per cent Doctors have been posted in the 80 per cent rural areas and 80 per cent of them have been appointed in the 20 per cent urban areas;

(c) whether it is also a fact that 20 per cent of funds are allocated for rural areas and 80 per cent for urban areas; and

(d) if so, whether the Government would lay down a policy to remove this anomaly in order to make the medical facilities available in the rural areas?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a), (b), (c) & (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Expenditure incurrred in extending Telephone and Post and Telegraph Services in District Rampur (U.P.)

†486. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred on extension of Telephone, Post and Telegraph services in District Rampur of Uttar Pradesh from March, 1975 to January, 1978; and

(b) the total expenditure incurred during each year on the construction of Departmental buildings?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) The total expenditure on extension of telephone posts and telegraphs services in district Rampur from March, 1975 to January, 1978 is Rs. 2,89,777/.

(b) No expenditure has been incurred from March, 1975 to January, 1978 on construction of departmental buildings in Rampur District.

Issue of Postage stamp in Memory of Savitri Bai Phule

†487 **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government propose to issue a postage stamp in commemoration of Savitri Bai Phule of Pune the first woman social reformer of Maharashtra; and

(b) whether it is a fact that the aforesaid lady was also the first lady teacher of Maharashtra?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) & (b) The proposal will be placed before the next meeting of the Philatelic Advisory Committee for its consideration.

Use of Chloramphenicol in Indian Hospitals

488. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether there is no provision in regard to the restriction on the use of certain medicines in Indian hospitals and whether the medicine 'Chloramphenicol' the use of which is restricted to certain particular diseases in foreign countries is administered in India without restrictions; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav: (a)&(b) In Indian hospitals,the attending physician uses his clinical acumen and prescribes medicines depending on the nature and ailment of indoor patients. As regards Chloramphenicol, this can be sold by a drug shop only against the prescription of a Registered Medical Practitioner. The lable and carton of all antibiotic drugs bear the following warning :—

"Warning:—To be sold by retail on the prescription of a Registered Medical Practitioner only".

In the case of Chloramphenicol preparations, the indiscriminate use of which may lead to blood dyscraisis the following warning is also required to be given, under the Dru gs and Cosmetics Rules, on the strip packing:—

"Warning:—Blood dyscrasis may be associated with the use of Chloramphenicol. It is essential that adequate blood studies be made".

Financial assistance to employees working in Indian Missions from Staff Benefit Fund

†489. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance given to aggrieved families of employees working in Indian Missions abroad from the Staff Benefit Fund during the last two years, year-wise ; and

(b) the number of families of deceased employees provided with employment?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee: (a) (i) Nil—during the year 1976 as no request for assistance was received.

(ii) During 1977, an ex-gratia payment of Rs. 500.00 was made to one employee on receipt of a request from him.

(b) The number of dependents of deceased employees of the Ministry of External Affairs who were provided with employment during the last two years is as under:

Year	Amount
1976	Nine
1977	Thirteen

American President's visit to India

*490. **Shri Daya Ram Shakya:**
Shri D.B. Chandra Gowda:
Shri M.A. Hannanlalhaj:
Shri Durga Chand:
Shri K. Malbanna:
Shri Chitta Basu :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the subjects discussed on the occasion of American President's visit to India on the 1st January, 1978; and

(b) the nature of assistance proposed to be given by the American Government to the Government of India for the approved schemes?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) (a) During U. S. President's visit, international and bilateral issues and other matters of mutual interest were discussed.

(b) Bilateral economic aid as such was not discussed during the visit. However, the US Administration has proposed development assistance of $60 million for US fiscal year 1978 and $90 million for US fiscal year 1979. Discussions are in progress as to the projects and areas where such assistance can be utilised.

हड़तालों, तालाबन्दियों, बन्द और घेराओं की संख्या और उनसे हुई जन-धन की हानि

491. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री सुरेन्द्र झा सुमन :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत दस महीनों में हड़तालों, तालाबन्दियों और कारखानों के बन्द होने की कुल कितनी घटनायें हुईं;

(ख) प्रत्येक राज्य में उक्त अवधि के दौरान घेराव और हिंसात्मक गतिविधियों की कितनी घटनायें हुईं;

(ग) उक्त हड़तालों आदि के कारण जन-धन की अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) भविष्य में इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है । बारह महीनों के सम्बन्ध में सूचना, जैसी कि 31-12-77 तक के बारे में उपलब्ध है, नीचे दी जाती है:

हड़तालों की कुल संख्या .	1896 (अ)
तालाबन्दियों की कुल संख्या	334 (अ)
कामबन्दियों की कुल संख्या	155 (अ)

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में घेराव की छः-छः घटनायें हुईं उड़ीसा में चार घटनाएं हुईं तथा कर्नाटक, पंजाब एवं तमिलनाडु में एक-एक घटना हुई ।

(ग) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जब नष्ट हुए श्रम दिनों के आंकड़े औद्योगिक अशान्ति की वृद्धि प्रकट नहीं करते तो यह कहना सही नहीं होगा कि औद्योगिक अशान्ति बढ़ती रही है ।

समय-समय पर नियोजकों और कर्मचारियों से यह अपीलें की गई कि वे मुकाबला करने का नहीं बल्कि सहयोग व सलाह-मशविरे का रास्ता अपनायें । इनका सामान्यतया स्वागत किया गया है ।

औद्योगिक विवादों को शीघ्रता से व कारगर रूप से तय करने के लिए तन्त्र की व्यवस्था द्वारा औद्योगिक शान्ति व सामंजस्य को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार एक व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक लाने के लिए विचार कर रही है ।

'प्रोविडेण्ट फन्ड आर्गेनाइजेशन काइण्ड टू कांग्रेस फ्रेण्ड्स' शीर्षक समाचार पर कार्यवाही

492. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री 'प्रोविडेण्ट फण्ड आर्गेनाईजेशन काइण्ड टू कांग्रेस फ्रेण्ड्स' शीर्षक समाचार पर कार्यवाही के बारे में 28 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बीच मामले की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): (क) से (ग) यह मामला शाह आयोग के ध्यान में आया था । श्रम मंत्रालय से टिप्पणियां मांगी गई थीं जो आयोग को भेज दी गई । आयोग ने अब सभी सम्बन्धित फाइलें लौटा दी हैं । इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा है ।

Progress Regarding Research on Malaria

494. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the progress regarding research on Malaria is disappointing;

(b) if so whether Government have decided to take some steps to improve it; and

(c) if not, the reasons therefor?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) & (b) It was so during the past few years, but the Government have recently taken up 14 research projects—8 on field operational research and 6 on laboratory research under the auspices of Indian Council of Medical Research.

(c) Does not arise.

स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा मजूरी का भुगतान

495. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड की कानपुर मिल उत्तर भारत में सबसे बड़ी मिलों में से है जिसमें 8,000 श्रमिक कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें यह अभ्यावेदन दिया गया है कि प्रबन्धकों ने वर्ष 1974 से उन्हें मजूरी का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है/कर रही है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि इस मामले में सम्बन्धित सरकार है, उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर में लगभग 8,000 श्रमिक नियोजित हैं । गत कुछ वर्षों के दौरान श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान में अनियमितता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । श्रमिकों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं । राज्य सरकार ने 1976 के दौरान 150 लाख रुपये की बैंक गारन्टी दी और अक्तूबर, 1977 में 13.5 लाख रुपये, नवम्बर, 1977 में 15 लाख रुपये तथा दिसम्बर, 1977 में 37.5 लाख रुपये के ऋण मंजूर किए, ताकि मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो सके । राज्य सरकार के अनुसार, अक्तूबर और नवम्बर, 1977 की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है । कलक्टर, कानपुर स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि० के स्वदेशी पालीटेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में एक करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष मूल्य के 10 लाख इक्विटी शेयर बेचने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं । इससे मजदूरी तथा अन्य बकाया राशियों का भुगतान सुगम बनने की आशा है ।

इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध में श्रमिकों तथा कर्मचारियों का सहयोग

496. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्कशाप स्तर पर इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध में श्रमिकों और कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनके मंत्रालय ने यदि कोई विशिष्ट योजना बनाई है तो वह क्या है;

(ख) क्या किसी इस्पात यंत्र संयंत्र में योजना लागू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) इस्पात उद्योग में काफी समय से प्रबन्ध में कर्मचारियों के सहयोग की एक अच्छी और व्यापक व्यवस्था है । उद्योग में कर्मशाला स्तर और संयंत्र स्तर पर कर्मचारियों की भागीदारी के बारे में सरकार के 30 अक्तूबर, 1975 के संकल्प के अनुसार इस व्यवस्था को और बल मिला था । सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों

में संयंत्र, विभाग और कर्मशाला स्तर पर लगभग 400 द्विपक्षीय समितियों का गठन किया गया था। कर्मशाला स्तर की समितियां कर्मशाला की दैनिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करती हैं और उत्पादन के कार्यकरण की समीक्षा करने, उत्पादिता में वृद्धि करने और कर्मशाला स्तर पर अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके फलस्वरूप मालिक-मजदूर सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और उत्पादन तथा क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने में कर्मचारियों का अधिक सहयोग प्राप्त हुआ है।

अप्रैल, 1977 में इस्पात उद्योग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और इनके बेहतर कार्यकरण के लिए सरकार को अपने सुझाव और सिफारिशें देने के लिए छः अध्ययन दलों का गठन किया गया था। इन अध्ययन दलों में से एक दल का सम्बन्ध प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी से था। इस समय इस दल की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। सरकार ने प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

मैसर्स ज्योफरी मैनर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई द्वारा श्रमिक विरोधी कार्य

497. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स ज्योफरी मैनर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई व्यवस्थित रूप से श्रमिक विरोधी कार्य कर रहा है और छुट्टी, यात्रा रियायत, चिकित्सा लाभ, मशीन भत्ता आदि जैसे लाभों को कर्मचारियों को देने से इन्कार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और इसे जांच तथा अपेक्षित समुचित उपचारी कार्यवाही के लिए महाराष्ट्र सरकार के ध्यान में ला दिया गया है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ही सम्बन्धित सरकार है।

बन्धुवा श्रमिक पद्धति को समाप्त करना

498. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछली सरकार तथा आपातकालीन शासन के दौरान बन्धुवा श्रमिक पद्धति को समाप्त करने सम्बन्धी अधिनियम केवल कागज पर ही रहा; और

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति को वास्तविक रूप से समाप्त करने के लिए अब क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय): (क) और (ख) बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अध्यादेश, 1975, 24 अक्तूबर, 1975 को जारी हुआ। यह अध्यादेश 25 अक्तूबर, 1975 से लागू हुआ। इस अध्यादेश का स्थान बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 ने ले लिया, जो 25 अक्तूबर, 1975 से लागू हुआ। इस अधिनियम को लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। 30-11-1977 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिकों की कुल संख्या 1,00,959 थी, जिनमें से 28,719 श्रमिकों को पुनः बसाया जा चुका है।

शुरू-शुरू में पुनर्वास के कार्यक्रमों को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की चालू योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध साधनों की सीमा में कार्यान्वित किया गया था। चूंकि इस प्रकार की चालू योजनाएं अपर्याप्त थीं, इसलिए पुनर्वास कार्यक्रम विशेष प्रभावी सिद्ध न हो सका।

मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास की गति को तेज़ करने के लिए :—

(i) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को हाल ही में यह कहा गया है कि वे ग्राम-विकास की अपनी सभी स्कीमों में बन्धित श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा पुनः बसाने के लिए विशिष्ट व्यवस्थाएं करें;

(ii) सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे विकास के लिए ब्लाकों का चयन करते समय उन ब्लाकों को प्राथमिकता दें जहां पर बन्धित श्रमिकों का पता लगा है या जिनमें इस प्रथा के विद्यमान होने की जानकारी है तथा बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास को उन ब्लाकों की विकास-योजनाओं का एक अंग बनाएं;

(iii) योजना आयोग ने श्रम मंत्रालय की वार्षिक योजना 1978-79 के लिए एक करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी है, ताकि वह सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता दे सकें जहां उन्हें वर्तमान चालू योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध साधन अपर्याप्त हैं ।

योजना आयोग द्वारा इस्पात उत्पादन के लिए दीर्घावधि लक्ष्यों का सुझाव

500. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस्पात उत्पादन के लिए दीर्घावधि लक्ष्यों के बारे में कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय ने क्या कार्यवाही प्रारम्भ की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं । लेकिन योजना आयोग ने 1978—83 और 1983—88 की पंचवर्षीय अवधि के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम निर्धारित करने हेतु सितम्बर, 1977 में लोहे और इस्पात के लिए एक कार्य समिति बनाई थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

501. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसका संयंत्रवार ब्यौरा क्या है और उनमें कितनी क्षमता का उपयोग हो रहा है;

(ख) क्या उत्पादन में वृद्धि के कारण लागत में कमी हुई है और यह प्रतिदिन कितनी बैठती है;

(ग) विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई है अथवा कमी और उसके कारण क्या हैं; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1977 के दिन विभिन्न संयंत्रों में स्टाक की स्थिति क्या थी और गत वर्ष की तुलना में यह स्थिति क्या थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां । अप्रैल, 1977 से जनवरी, 1978 के दौरान सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात के कुल उत्पादन में वर्ष 1976-77 की इसी अवधि के उत्पादन से क्रमशः 1.4% और 0.8% वृद्धि हुई है । कारखानावार उत्पादन और क्षमता का उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) चूंकि भिलाई, दुर्गापुर तथा इस्को में उत्पादन कुछ कम हुआ है और राउरकेला इस्पात कारखाने के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है अतः इससे लागत में कोई कमी नहीं होगी । मुख्यतः प्रथम चरण की नई इकाइयों के चालू हो जाने से बोकारो में उत्पादन अधिक हुआ है । अतः उत्पादन के साथ-साथ स्थायी लागत में भी वृद्धि हो रही है क्योंकि मूल्यह्रास की देनदारी बढ़ रही है । इसलिए इस कारखाने की लागत में भी कोई कमी नहीं होगी ।

(ग) चालू वर्ष में संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(घ) 31-12-1977 और 31-12-1976 को सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात के अनुमानित स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है :—

(हज़ार टन)

कारखाना	31-12-1977 को	31-12-1976 को
भिलाई इस्पात कारखाना . . .	87.2	141.7
दुर्गापुर इस्पात कारखाना .	53.3	49.1
राउरकेला इस्पात कारखाना .	61.1	75.9
बोकारो स्टील लि० . . .	21.0	19.2
इस्को	30.4	89.0

विवरण

कारखाना	उत्पादन		अप्रैल, 77 से जनवरी, 78 और अप्रैल, 76 से जनवरी 77 के उत्पादन में घट-बढ़	अप्रैल, 77 से जनवरी, 78 में क्षमता का % उपयोग
	अप्रैल, 77 से जनवरी, 78	अप्रैल, 76 से जनवरी, 77		
1	2	3	4	5
इस्पात पिण्ड				
भिलाई इस्पात कारखाना	1978	1905	(+)3.8	94.9
दुर्गापुर इस्पात कारखाना .	913	890	(+)2.6	68.5
राउरकेला इस्पात कारखाना .	1171	1249	(—)6.2	78.1
बोकारो इस्पात कारखाना . .	829	759	(+)9.2	—
इस्को	538	553	(—)2.7	64.6
कुल	5429	5356	(+)1.4	80.0*

विक्रेय इस्पात

भिलाई इस्पात कारखाना	1614	1680	(—)3.9	98.6
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	725	730	(—)0.7	70.2
राउरकेला इस्पात कारखाना	965	959	(+)0.6	94.5
बोकारो इस्पात कारखाना	719	589	(+)22.1	—
इस्को	412	442	(—)6.8	61.8
कुल	4435	4400	(+)0.8	85.3*

*बोकारो को छोड़कर जहां कुल इकाइयां निर्माणावधि में हैं/जेस्टेशन अवधि में हैं।

Conditions for opening post offices in Rural Area

†**502. Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the conditions for opening new Post Offices in rural areas; and

(b) whether Government intend to amend those conditions and rules so that maximum number of new post offices may be opened in rural areas?

Minister of Communications Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) (a) The present norms followed for opening new post offices in rural areas are detailed in the annexure.

(b) This is not under consideration, at present.

[Placed in Library. See No. L.T. 1584/78)

पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारना

505. श्री वसन्त साठे :

श्री हितेन्द्र देसाई :

श्री हुकम देव नारायण यादव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बंगलादेश के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने तथा उनमें सुधार लाने/सुदृढ़ बनाने के लिए कोई नया प्रयास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके यदि कोई परिणाम निकले हैं तो वह क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है ;

चीन :

1976 में भारत और चीन के बीच राजदूतों की अदला-बदली के बाद दोनों देशों के बीच सम्बन्ध क्रमिक रूप से अवरोध की उस स्थिति से आगे बढ़े हैं जो भारत-चीन सम्बन्धों में 1962 से चली आ रही थी। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित पंचशील के सिद्धान्तों के अनुरूप चीन के साथ संबन्ध

सुधारने की हमारी नीति के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य, खेल-कूद आदि के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान किया गया। प्रौद्योगिकी और कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ ही साथ संस्कृति, पत्रिकारिता आदि क्षेत्रों में भी इस प्रकार के आदान-प्रदान करने का कार्यक्रम विचाराधीन है। व्यापार सम्बन्ध फिर से शुरू होने और 1977 के केनटन मेले में द्वीपक्षीय व्यापार प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप पारस्परिक लाभदायक व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के नियंत्रण पर चीन में पांच प्रमुख राज्य व्यापार संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल अब भारत की यात्रा पर आया है ।

पाकिस्तान :

विदेश मंत्री 6 से 8 फरवरी 1978 तक पाकिस्तान की यात्रा पर गये। उन्होंने जनरल जिया-उल-हक और वैदेशिक मामलों के उनके सलाहकार श्री आशा शाही से तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विनिमय किया । उनके बीच हुए विचार विनिमय के परिणामस्वरूप, विदेश मंत्री की सद्भावना यात्रा से दोनों के बीच पारस्परिक समझ-बूझ में वृद्धि हुई है ।

श्रीलंका :

जनता सरकार के कार्यभार संभालने के बाद श्रीलंका के अनेक मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भारत की यात्रा पर आये।

आर्थिक सहयोग और सहायता के लिए श्रीलंका के अनुरोध पर भारत ने श्रीलंका को भारत से पूंजीगत और मध्यवर्ती माल खरीदने में धन लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये वाणिज्यिक उधार के रूप में दिए हैं। भारत इसके अतिरिक्त सिद्धान्त रूप में 50,000 टन गेहूं भी ऋण के रूप में देने पर सहमत हुआ है ।

29 नवम्बर, 1977 को दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें एक बुनियादी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है जिसके अन्तर्गत सुनियोजित रूप से सांस्कृतिक संबन्ध विकसित किए जा सकते हैं। यह करार दोनों देशों के बीच कला, संस्कृति, शिक्षा और खेल-कूद के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान को भी सुविधाजनक बनायेगा।

श्रीलंका में हाल में बनी नयी सरकार के प्रति सद्भावना स्वरूप हमारे गृह मंत्री ने वहां के संशोधित संविधान के अन्तर्गत महामान्य जे०आर० जयवर्द्धन द्वारा प्रथम राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के अवसर पर आयोजित समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 से 6 फरवरी 1978 तक श्रीलंका की यात्रा की।

नेपाल :

नेपाल सरकार को उच्चतम स्तर पर यह आश्वासन दिया गया है कि भारत नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। विदेश मंत्री जुलाई 1977 में नेपाल की सद्भावना यात्रा पर गए। इसके बाद दिसम्बर 1977 में प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर गये, जिसमें विदेश मंत्री भी उनके साथ थे ।

इन यात्राओं के परिणामस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण मसलों का समाधान हो गया है । नेपाली पक्ष ने दोनों देशों को जनता के आपसी लाभ के लिए दोनों के सामान्य जल-संसाधनों को काम में लाने में अपना पूर्ण सहयोग देने का प्रस्ताव किया है। नेपाली पक्ष के सहयोग के अभाव में विगत कई वर्षों से निष्क्रिय पड़ी पंचेश्वर जल-प्रायोजना और राप्ती बहु-उद्देश्यीय योजना पर अब संयुक्त अध्ययन और अन्वेषण करने पर सहमति हो गई है । दोनों देशों के बीच 2000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न करने के लिए

बनाई जा रही करनाली प्रायोजना को पूरा करने के एक दूसरे का सहयोग करने पर भी सहमति हुई। इसमें से अधिकांश बिजली भारत खरीदेगा। इसी प्रकार, व्यापार एवं पारगमन यातायात संधियों के नवीकरण पर बातचीत को पुनः शुरू किया गया है जो अगस्त 1976 से रुकी पड़ी थी और इसके पाठों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के विचार से एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है।

बंगलादेश :

सरकार ने बंगलादेश के साथ विद्यमान संबन्धों के दो प्रमुख बाधक तत्वों अर्थात् सीमा समस्या और फरक्का को दूर करने के लिए कई पहलकदमियां की। इससे दोनों देशों के बीच संबन्धों को सुदृढ़ करने और सहयोग बढ़ाने के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा हुआ है। बंगलादेश के साथ संबन्ध सुधारने के सरकार के प्रयत्नों की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण घटना राष्ट्रपति जिला-उर-रहमान की 19 से 20 दिसम्बर, 1977 तक भारत की राजकीय यात्रा थी। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबन्धों को और सुदृढ़ करने का अवसर मिला। दोनों देशों के नेताओं की व्यक्तिगत रूप से मुलाकात से अविश्वास दूर करके पारस्परिक विश्वास को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी सहायता मिली।

डाक-तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों से अभ्यावेदन

506. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि वहां लाखों विभागेतर कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनके काम की शर्तें बहुत असंतोषजनक हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को उनकी समस्याओं के बारे में अनेक अभ्यावेदन मिले हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन्होंने क्या मुख्य बातें उठाई हैं और उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ङ) सरकार का विभागेतर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार राज्य **मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) :** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) उनकी मुख्य मांगें वेतन, छुट्टी, चिकित्सा सुविधा और पेंशन से सम्बन्धित हैं।

(ङ) सरकार इनकी मांगों पर विचार कर रही है ।

हड़तालों आदि में भाग लेने के कारण दण्डित कर्मचारियों को खपाया जाना

507. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार श्री जार्ज फरनांडिस द्वारा संचार मंत्री के रूप में दिये गये इस वचन को कार्यान्वित करने में पूरी तरह सफल नहीं है कि सरकार उन सभी डाक व तार कर्मचारियों को काम पर वापस ले लेगी जिन्हें विगत काल में हड़तालों तथा अन्य संघर्षों में भाग लेने के कारण दण्डित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी वापस काम पर लिये गये और कितने कर्मचारी अभी तक काम पर वापस नहीं लिए गये हैं ; और

(घ) उक्त वचन को पूरी तरह क्रियान्वित करने में क्या कठिनाईयां हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) श्री जार्ज फर्नान्डिस ने 31-3-77 को सदन में यह बयान दिया था, "1968 और 1974 की हड़तालों में भाग लेने के कारण डाक-तार विभाग के जिन कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया गया था, उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करने और उन्हें न्याय देने की दृष्टि से मैंने यह फैसला किया है कि उनके विरुद्ध जो भी अनुशासनिक मामले चल रहे हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाए। उन हड़तालों में हिस्सा लेने के फलस्वरूप जिन कर्मचारियों पर इसके लिए अयोग्यताएं आयद कर दी गई थीं, वे हटा दी जाएंगी और उन्हें उनकी मूल स्थितियों पर ला दिया जाएगा।"

(ख) सभी पहलुओं को देखते हुए दिए गए आश्वासन के ब्यौरों के संबन्ध में सरकार बड़ी तत्परता से अभी विचार कर रही है?

(ग) ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसे 1968 और 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो/हटा दिया गया हो/अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो तथा जिसे अभी तक सेवा में फिर से न ले लिया गया हो। शायद यह संकेत केरल के डाक और दूर-संचार सर्किलों के उन 22 अस्थायी कर्मचारियों के मामलों की ओर किया गया है, जिन्हें मई 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली 1965 के नियम 5 के अधीन सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इन मामलों पर अभी हाल ही में पुनर्विचार किया गया है और उनके सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

(क) 10 कर्मचारियों को सेवा में फिर बहाल करने के आदेश दे दिए गए हैं।

(ख) तीन कर्मचारी पहले से ही सेवारत हैं क्योंकि उन्होंने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया था।

(ग) 9 कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार नहीं किया जा सका है क्योंकि ये मामले न्यायाधीन हैं।

(घ) इसका उत्तर वही है जो ऊपर ख' में दिया गया है।

ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए कानून

508. **श्री पी० के० केड़ियन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान केरल कृषि श्रमिक अधिनियम की तरह असंगठित ग्रामीण श्रमिकों के लिए प्रस्तावित कानून पर कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो यह प्रस्ताव इस समय किस चरण पर है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) इस मामले पर 25 जनवरी, 1978 को हुए ग्रामीण असंगठित श्रमिक विशेष सम्मेलन में हाल ही में विचार किया गया। उक्त सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों के प्रकाश में प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों से और परामर्श किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में वरिष्ठता उल्लंघन सम्बन्धी विवाद

509. श्री पी० के० कोड़ियन :

श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "सुपरसेशन रो इन सी० जी० एच० एस०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) 19 जनवरी, 1978 को "टाइम्स आफ इंडिया" में छपी प्रेस रिपोर्ट के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपर टाइम ग्रेड-एक में शामिल है। यह पद 31 दिसम्बर, 1977 को पिछले पदधारक के निर्वतन के कारण रिक्त हुआ था। इस पद के लिए यह चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया था। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के रूप में डा०बी० शंकरन की नियुक्ति विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी और इसके लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भी विधिवत मंजूरी दे दी थी।

दिल्ली में कम्प्यूटरों द्वारा टेलीफोन बिलों का गलत छिद्रण

510. **श्री पी० के० कोड़ियन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली बिलिंग यूनिट में कम्प्यूटर द्वारा हजारों टेलीफोन बिलों का गलत छिद्रण किया पाया गया;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खराब पाए गए कम्प्यूटरों की मरम्मत कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) (ख), (ग) और (घ) यह सही है कि 5-1-78 को तैयार किए गए लगभग 15,200 बिलों में से 4206 बिलों में प्रारम्भिक मीटर रीडिंग की छाप गलत लग गई थी। कंम्प्यूटरों का इस प्रकार गलत ढंग से काम करना एक अत्यन्त विरल घटना है और पिछले पांच वर्षों में, जिस अवधि में ये कंप्यूटर दिल्ली टेलीफोन में काम कर रहे हैं, यह पहला अवसर था जब मीटर रीडिंग गलत आई थी। तथापि, इस गलती का तुरन्त पता लग गया था और उपभोक्ताओं को बिल भेजने के पहले ही उसे ठीक कर दिया गया था। दिल्ली टेलीफोन जिन कंप्यूटरों का इस्तेमाल करता है वे कंम्प्यूटर योजना मंत्रालय, नई दिल्ली और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून के हैं। इन मशीनों का रख-रखाव और मरम्मत वे ही करते हैं। दिल्ली टेलीफोन जिले में बिल तैयार करने का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण हाल ही में यह फैसला किया गया है कि वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये और यह काम एक अन्य एजेंसी को सौंप दिया जाय। यह नई व्यवस्था शीघ्र ही चालू हो जाएगी।

Construction of Telephone Building in Betul City. M.P.

†511. **Shri Subhash Ahuja**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to construct a telephone building in Betul City of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai); (a) Yes, Sir.

(b) Efforts are being made to acquire suitable land at reasonable cost. Government of Madhya Pradesh has also been requested to assist in this matter. Construction of the Building will be programmed after the land becomes available.

Cancellation of Transfers During Emergency of Railway Mail Service Employees of Itarsi Division

†512. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government propose to cancel the transfers made during emergency in the Itarsi Division of Railway Mail Service and the employees posted outside Itarsi will again be transferred to Itarsi; and

(b) if so, by what time?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) (a) & (b): Government have already cancelled such transfers and the officials have since joined their duties at Itarsi.

Survey for Setting up Nirodh Factory

513. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government have conducted a survey in some places of the country for establishing a factory for the manufacture of Nirodh; and

(b) if so, the place being considered by Government for this factory and when it wil l be established?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Yes, Sir.

(b) It has tentatively been decided to set up a new plant at Dehradun. Details are being worked out.

Medical Facilities in Villages of Bastar District of M.P.

514. **Shri Aghan Singh Thakur:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether adequate medical facilities are not available to the villagers of District Bastar in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the steps Government propose to take in this regard ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) & (b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

Medical Assistance to M.P.

515. **Shri Aghan Singh Thakur:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the amount sanctioned by the Central Gorernment to Madhya Pradesh State for medical assistance during the last year;

(b) the amount actually made available to the State;

(c) whether it is a fact that the Central Government have to pay an amount of Rs. 100 crores to the State but this amount has not been released so far; and

(d) if so, the time by which this amount will be made available to remove the difficulties faced by the people regarding medical facilities?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) & (b) Financial assistance in cash and kind is given to States for implementation of various Central and Centrally Sponsored Plan schemes under various Medical and Public Health Programmes including Community Health Workers Scheme and Development of Indian Systems of Medicine. During 1977-78, an allocation of Rs. 484.21 lakhs has been made as cash assistance to meet the operational expenses on the implementation of various programmes to Madhya Pradesh State. Out of this, Rs. 250.50 lakhs has been released so far. Further releases would be made on receipt of reports of progress on the schemes and expenditure from the State Government for which they have been reminded. Assistance in the form of equipment, insecticides, drugs etc. are being supplied to the State and the allocation for this purpose during 1977-78 is Rs. 334.40 lakhs.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Local People in Bailladilla Iron Project

516. **Shri Aghan Singh Thakur:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether local people have been given employment in the Bailladilla Iron Project set up with the collaboration of Japan Government;

(b) if so, the percentage of local people employed there and whether preference is given to local people in the matter of employment; and

(c) if not, the reason therefor and whether Government will consider to give preference to the local people in the matter of employment in the Project?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) Local people have been given employment in the Bailladilla Iron Ore Project of the National Mineral Development Corporation. There is no foreign collaboration in the Project.

(b) Local people are employed to the extent of 43% in Bailladilla No. 14 Mine and to the extent of 54% in Bailladilla No. 5 Mine. Subject to availability of suitable personnel preference is given to local people.

(c) Does not arise.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों सम्बन्धी समिति द्वारा प्रतिवेदन

517 **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री वसन्त कुमार पण्डित :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों संबन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या मजदूर संघों के गतिविधियों ने उक्त प्रतिवेदन में अपने विमत-टिप्पण लगाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्मौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबन्धी समिति की रिपोर्ट 6 फरवरी, 1978 को प्राप्त हो गई है।

(ख), (ग) और (घ) इस रिपोर्ट का, जिसमें नियोजकों और श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्यों की तीन अलग विमत टिप्पणियां शामिल हैं, अध्ययन किया जा रहा है ।

सरकारी उपक्रमों में संघों के सम्मेलन की मांगें

518. **श्री दीनेन भट्टाचार्य**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 तथा 24 दिसम्बर, 1977 को हैदराबाद में आयोजित सरकारी उपक्रमों में संघों के सम्मेलन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या मुख्य मांगें की गईं ;

(ग) क्या सरकार ने उन मांगों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मांगों को पूरा करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) हैदराबाद में 23 और 24 दिसम्बर 1977 को हुए सरकारी उपक्रमों के संघों के सम्मेलन के बारे में छपे समाचार सरकार के ध्यान में आए हैं ।

(ख) इस सम्मेलन ने अभिकथित मजूरी वृद्धि पर रोक'' और सामूहिक सौदाकारी के अधिकार के निरसन का विरोध किया और उसे पूर्णरूपेण तथा तत्काल लौटाने एवं मजदूरी और मंहगाई भत्ते के संबन्ध में समझौता-वार्ताएं शुरू करने की मांग की।

(ग) और (घ) सरकार इस संबन्ध में सहमत नहीं है कि मजदूरी वृद्धि में कोई रोक या सामूहिक सौदाकारी के अधिकार का कोई निरसन हुआ है । मजदूरी, आय और मूल्यों संबन्धी अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड

519. **श्री दीनेन भट्टाचार्य**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड अपने विभिन्न कार्यों का नियतन ठेकेदारों को करता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके अधीन कितने ठेकेदार हैं ;

(ग) इन ठेकेदारों के पास कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(घ) क्या ठेकेदार इन श्रमिकों को कम वेतन दे रहे हैं और नियमित श्रमिकों को मिल रही अन्य अनेक सुविधाओं से उन्हें वंचित कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार इन संविदा श्रमिकों का विलय करने और उन्हें हिन्दुस्तान स्टील कन्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन नौकरी देने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सम्भवतः अभिप्राय सेल की एक सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० से है ; यदि यह ठीक है तो उत्तर है, जी, हां ।

(ख) इस समय हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० ने भारत के विभिन्न भागों में कुल 200 ठेकेदारों को काम दिया हुआ है।

(ग) उपर्युक्त ठेकेदारों के पास 25,191 कामगार काम कर रहे हैं।

(घ) यह बताया गया है कि ठेकेदार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करते हैं । कामगारों को कानून के अन्तर्गत मिलने वाली किसी सुविधा से वंचित नहीं रखा गया है। इन कामगारों को दिए जाने वाले वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं की तुलना नियमित विभागीय कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और सुविधाओं से नहीं की जा सकती है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) लगातार चलने वाले कार्यों तथा अत्यन्त संश्लिस्ट तथा/अथवा सूक्ष्म कार्यों के लिए कम्पनी के पास पहले ही 25,856 नियमित तथा स्थायी विभागीय कर्मचारी हैं। विभिन्न ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों के लिए, जो बिल्कुल अस्थायी किस्म के होते हैं, ठेका-श्रमिक रखे जाते हैं। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब कम्पनी को अपने विभागीय कामगारों को या तो दूसरी जगह भेजना पड़ता है या उनकी छंटनी करनी पड़ती है ।

हड़तालों, तालाबन्दियों तथा आन्दोलनों के कारण श्रम-दिवसों, उत्पादन तथा करों की हानि

520. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :**

श्री सुखेन्द्र सिंह :

श्री आर० कोलनथाइवेलु :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977 में (एक) हड़तालों (दो) तालाबन्दियों (तीन) जबरन छुट्टियों (चार) 'धीमी गति से काम करों' आन्दोलनों और अन्य ऐसे उपायों के कारण सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बहुत से औद्योगिक एककों की हानि हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो (एक) उत्पादन (दो) श्रम दिवसों तथा (तीन) करों, शुल्कों आदि के रूप में अनुमानतः कितने रुपयों की हानि हुई और क्या सरकार इस संबन्ध में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली के आंकड़े देगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) औद्योगिक एककों में हड़तालों आदि की रिपोर्टें हमारे ध्यान में आई हैं।

भाग (ख) में मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

सफदरजंग अस्पताल के डाक्टरों/नर्सों के शरीरों पर कीटाणुओं तथा कोण्डामिनों के होने के बारे में रिपोर्ट

521. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों का परीक्षण करने वाले अध्ययन दल के परीक्षण-परिणामों से जिसकी रिपोर्ट डा० आर० गुप्ता तथा डा० ए० सी० गुप्ता द्वारा चिकित्सा सूक्ष्मजीव विज्ञानियों की अखिल भारतीय कांग्रेस को दी गई, से पता चला है कि इस अस्पताल के 35 प्रतिशत डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों के शरीरों पर कीटाणु तथा कोन्डामिन मौजूद रहते हैं;

(ख) सरकार ने इस उद्देश्य से क्या कार्यवाही की है कि सफदरजंग अस्पताल के कृमियों से प्रभावित हो सकने वाले विभागों में नियुक्त कर्मचारी स्वच्छ तथा कीटाणु रहित हों, और

(ग) इस दृष्टि से क्या सरकार का विचार देश भर के अपने अस्पतालों में ऐसी जांच करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति के निगरानी कार्यक्रम के एक अंग के रूप में जीवाणु वैज्ञानिक डाक्टर (श्रीमती) आर० गुप्ता ने जनवरी, से अक्तूबर, 77 तक की अवधि में अस्पताल कर्मचारियों के बीच कीटाणुवाहक दर जानने के लिए अन्वेषण किया और यह रिपोर्ट दी कि स्टेफीलोकोक्साय के मामले में यह वाहक दर 28.78 प्रतिशत और स्ट्रप्टोकोक्साय के मामले में 2.16 प्रतिशत थी ।

(ख) अस्पताल संक्रमण समिति अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्रों से (आपरेशन थियेटर, इन्टेंसिव केयर यूनिट और नर्सरी) कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बदलती रहती है, 7 दिन तक उन्हें पर्याप्त मात्रा में सम्बन्धित एन्टीबायटिक्स देती है और तदुपरान्त इस चिकित्सा के बाद एक रिपोर्ट कल्चर करती है । और इस प्रकार इस समस्या से बचने का उपाय करती रहती है ।

(ग) सफदरजंग अस्पताल और विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली, दोनों ही केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में अस्पताल संक्रमण नियन्त्रण समितियां काम कर रही हैं । ये समितियां समय-समय पर आवश्यक सर्वेक्षण/अन्वेषण करती हैं और अस्पतालों में संक्रमण की घटनाओं को कम से कम करने के लिए रोकथाम के उपयुक्त उपाय सुझाती हैं ।

अमरीका का गैन द्वीपसमूह में हित

522. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल तक ब्रिटेन की रायल एयर फोर्स श्री लंका के दक्षिण में स्थित गैन द्वीप को 'स्टेजिंग पोस्ट' चौकी के रूप में काम में लेती रही है;

(ख) क्या इस द्वीप के भविष्य के बारे में अमरीका ने कोई रुचि दिखाई है; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के पास ऐसे कोई संकेत नहीं हैं जिनसे यह पता चलता हो कि संयुक्त राज्य अमरीका ने इस द्वीप में विशेष दिलचस्पी दिखाई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत, हरियाणा द्वारा नकली हिमासाइक्लीन कैपसूलों का उत्पादन

523. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री हिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत, हरियाणा द्वारा नकली हिमासाइक्लीन कैपसूलों के उत्पादन के बारे में 8 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3197 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमको लैबोरेटरीज एटलसरोड, सोनीपत (हरियाणा) जिस अहाते में स्थित है उसका कितना क्षेत्र ढका हुआ है;

(ख) क्या उक्त अहाता औषध अधिनियम के अधीन विहित औषध प्रयोगशाला के सांविधिक नियमों के अनुरूप नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जिस अहाते में हिमको लेबोरेटरी, एटलसरोड, सोनीपत (हरियाणा) स्थित है उसका कुल आवृत्त क्षेत्र लगभग 2640 वर्गफुट है।

(ख) अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत निर्माण यूनिट के लिए जो मूल अपेक्षायें निर्धारित की गई हैं यह फार्म उनकी पूर्ति करती है और उसकी एक निर्माण यूनिट है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय की मृत्यु

524. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोहनसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, में एक भारतीय नागरिक पुलिस की हिरासत में मारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पुलिस को हिरासत में दिसम्बर, 1977 के अंतिम सप्ताह में उस व्यक्ति को मारे जाने के कारणों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस संबंध में भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने दिसम्बर, 1977 में जोहनसबर्ग के समीप लेनासिया के श्री मूनसामी वेल्ला पिल्ले नामक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में अखबार की खबरें देखी हैं। इन खबरों के अनुसार क्रिसमस के दिन सवेरे उसे हिरासत में लिया गया था। उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बारे में स्पष्ट रूप से तब पता चला जब वे बाद में उन्हें रिहा करवाने पुलिस स्टेशन गए। इसी महीने में एक बार पहले भी उसे हिरासत में लिया गया था जब उसने पुलिस को यह शिकायत की कि उसकी कार को क्षति पहुंचायी गयी है। उसके एक मित्र ने दावा किया कि "वेल्ला" को इस अवसर पर पीटा गया था। बताया जाता है कि मृतक के भाई कृष्ण पिल्ले ने कहा कि पुलिस उनके घर आयी और "वेल्ला" को ले गयी और यह भी बताया कि उनके उसको ले जाने से पहले उसके भाई को पुलिस की गाड़ी में पीटा गया। दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध टूट जाने के बाद से भारत सरकार के पास उस देश में इन घटनाओं के बारे में प्रामाणिक सूचना प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। यद्यपि यह व्यक्ति भारतीय नागरिक न होकर भारतीय मूल का दक्षिण अफ्रीकी

नागरिक था फिर भी भारत सरकार को इस प्रकार की दुखद घटनाओं पर गहरा खेद है जो थ्रिटोरिया सरकार की जातिवादी और अमानवीय नीतियों को स्पष्टतः प्रतिबिम्बित करती है जिसकी भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर निरन्तर निन्दा और तिरस्कार किया है ।

चिकित्सा शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन

525. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा एसोसियेशन ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह चिकित्सा शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन करे ताकि स्वास्थ्य संबंधी भारतीय पद्धति को महत्व दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी मांग की गई है कि प्रत्येक राज्य में भारतीय चिकित्सा परिषद् के पूर्ण पर्यवेक्षण में एक मेडिकल कालेज हो; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मांग का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यद्यपि सभी मेडिकल कालेज विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पर्यवेक्षण के अधीन हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पासपोर्ट के लिये निर्णयाधीन आवेदन-पत्र

526. श्री ईश्वर चौधरी :

श्री पद्माचरण सामन्त सिंहोरा :

श्री राम कंवार बेरवा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1977 के अन्त तक पासपोर्ट के लिये कितने आवेदन-पत्र निर्णयाधीन थे तथा उन्हें निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा उक्त अवधि में प्रतिमास कितने पासपोर्ट जारी किये गये, और

(ग) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या नये उपाय किये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) अक्तूबर, 1977 के अन्त में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्टों के लिए 3,21,760 आवेदन-पत्र विचाराधीन थे । इनमें से 79,192 आवेदन-

पत्र आवेदकों से अतिरिक्त सूचना/दस्तावेज/फोटोग्राफ न मिलने के कारण अनिर्णीत थे । सरकार ने इसके लिए अवर श्रेणी लिपिकों के 375 पदों की मंजूरी दी है जिन्हें विशेष रूप से इन कार्यालयों में बकाया काम को निपटाने के लिए नौ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में रखा गया है । पासपोर्ट कार्यालयों में बढ़े हुए काम को निपटाने के लिए सभी स्तर के अतिरिक्त पदों के बनाए जाने से संबंधित प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या और जारी किए गये पासपोर्टों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या
1975 .	4,72,324	4,25,437
1976	7,82,840	5,73,527
1977	11,50,370	9,06,601

माहवार आंकड़ों के संबंध में विवरण सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

(ग) हाल ही में दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ था उसने कार्य प्रक्रिया को सरल और तर्क संगत बनाने के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया था । इन उपायों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

Attacks on Indian Missions

†527. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the names of the countries where the so-called Anand Margis made fatal attack on the employees of Indian diplomatic missions during the last 3—4 months;

(b) whether Government of any country has apprehended any culprits there; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) There has not been, fortunately, any fatal attack on employees of Indian diplomatic missions in the last 3-4, months by Anand Margi followers. However, personnel in our Missions in Canberra, London,Washington and Manila were victims of stabbing incidents between August, 1977—February, 1978.

(b) The culprits involved in the stabbing incidents in Australia, London and Manila have been arrested.

(c) (i) William Duff an Australian national was taken into custody in the case of stabbing of Col. Iqbal Singh, Military Attache, High Commission of India, Canberra.

(ii) Anthony Niall Kidd an Irish national and two other foreigners, Brian Shaw and Susan Waring, have been taken into custody in connection with the stabbing of Shri A.S. Ahluwalia, Assistant, Supply Wing, High Commission of India, London. They are in judicial custody. Further investigations are being carried out by the Scotland Yard.

(iii) Stephen Michael Dwyer and Victoria Sheppard, both U.S. nationals were apprehended at the spot and the case is under investigation in Manila.

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नये यूनिटों के स्थान

528. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नये यूनिटों के स्थानों के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) क्या इन यूनिटों की स्थापना में किसी ऐसी विदेशी पार्टी अथवा कम्पनी, जिसमें विदेशियों के हित हों, के साथ कोई समझौता किया जाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) से (ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के एक नए एककों के लिए जगह का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । प्रस्तावित नए एककों के बारे में विस्तृत विवरणों को निकट भविष्य में अंतिम रूप दिया जाएगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ पाने वालों के लिए निर्बलता योजना

529. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ पाने वालों के लिए निर्बलता योजना आरंभ करने के प्रस्ताव का विचार किया है;

(ख) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) सरकार को यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) यह प्रस्ताव कर्मचारी राज्य बीमा निगम से 2 दिसम्बर, 1977 को प्राप्त हुआ और इस पर विचार किया जा रहा है।

देश में नये इस्पात संयंत्र

530. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नये इस्पात कारखाने संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थान, कुल परिव्यय, उन्हें पूरा करने की अवधि और इनकी क्षमता के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) किस प्रकार के इस्पात का उत्पादन किया जाएगा;

(घ) क्या प्रस्तावित नये इस्पात संयंत्रों के लिए किसी विदेशी फर्म के साथ कोई ठेका/करार किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो ठेके की मुख्य शर्तें और मूल्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ङ) अप्रैल, 1970 में तीन नए इस्पात कारखाने लगाने का निर्णय लिया गया था । इसमें साधारण इस्पात उत्पादों के लिए विशाखापत्तनम और विजय नगर में दो कारखाने तथा मिश्र और विशेष इस्पात के लिए सेलम में एक कारखाना लगाया जाना है ।

विशाखापत्तनम और विजय नगर इस्पात परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० में जांच की जा रही है ।

जहां तक सेलम इस्पात कारखाने का संबंध है फ्रांस के मैसर्स पिगिट लोर के साथ 26 जनवरी, 1978 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं । इस प्रकार के अधीन मैसर्स पिगिट लोर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेंगे :—

1. प्रलेखों, मानकों, डेटा आदि के रूप में तकनीकी जानकारी देना,

2. रुपांकन तथा इंजीनियरी कार्यों के बारे में परामर्श देना (ले-आउट विशिष्टियां, टेंण्डरों की जांच भी शामिल हैं),

3. ग्राहक सेवा की व्यवस्था करने, उत्पादों के प्रयोग तथा विकास से संबंधित कार्यों में सहायता देना,

4. सेलम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आदि,

5. विशेषज्ञों को भारत भेजना ।

यह करार लगभग 5.40 करोड़ रुपये का है और इस राशि का भुगतान कुछ वर्षों में किस्तों में किया जायेगा । कथित मूल्य पक्के हैं और मूल्य-वृद्धि के कारण इनमें कोई वृद्धि नहीं की जायेगी । सभी कर मैसर्स पिगिट लोर देगी । यह करार, करार पर हुए हस्ताक्षर की तारीख से दस वर्ष के लिए अथवा कारखाने के चालू होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, लागू माना जाएगा । इस कारखाने के प्रथम चरण में खरीदे गए गर्म-बेलित वेन्डों से 32,000 टन वार्षिक क्षमता की ठंडी बेलन बेदाग इस्पात की चादरों/पत्तियों के लिए सुविधाएं लगाई जायेंगी । इसके लिए सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । आशा है कारखाने का प्रथम चरण 1981 के अन्त तक चालू हो जाएगा । इस चरण की अनुमानित लागत 126.81 करोड़ रुपए है ।

भविष्य निधि की एक लाख और अधिक रुपयों की बकाया राशि

531. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सभी पार्टियों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने एक लाख और अधिक रुपयों की कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि जमा नहीं की है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में कितनी-कितनी राशि बकाया थी; और

(ग) बकाया राशियों को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल०टी० 1585/78)

नैमित्तिक श्रम प्रणाली का उन्मूलन

532. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नैमित्तिक श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए अथवा कम से कम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और मंत्रालयों में इस प्रणाली को पूर्णत: समाप्त करने के लिए किन्हीं निश्चित प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय ने नवम्बर, 1971 के दौरान सभी नियोक्ता मंत्रालयों को केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के नैमित्तिक श्रमिकों के संबंध में आदर्श स्थायी आदेश परिचालित किए थे ताकि नियोक्ता मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न विभागीय उपक्रम उन्हें अपना सकें। इन स्थायी आदेशों का उद्देश्य नैमित्तिक श्रमिकों के रोज़गार की शर्तों को विनियमित करता है और अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य कार्य-घंटों मजदूरी के भुगतान, समयोपरि, साप्ताहिक विश्राम-दिवस, रोज़गार समाप्त करने की प्रक्रिया, आदि की व्यवस्था करना है। यद्यपि इस समय नैमित्तिक श्रमिकों की प्रणाली को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है तथापि इस श्रेणी के श्रमिकों को और संरक्षण प्रदान करने के प्रश्न पर जनवरी, 1978 के दौरान श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर-मंत्रालय बैठक में पुनरिक्षा की गई, ताकि इस समस्या की गंभीरता का अनुमान किया जा सके। जनवरी, 1978 के दौरान हुए विचार-विमर्श के बाद एकत्र की जा रही अतिरिक्त सूचना के प्रकाश में इस मामले पर आगे विचार किया जाना है।

सूक्ष्म तरंग से सीधे टेलीफोन करने के माध्यम से अमृतसर का बड़े शहरों के साथ जोड़ा जाना

533. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर को सूक्ष्म तरंग से सीधे टेलीफोन करने के माध्यम से बड़े शहरों के साथ जोड़ने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या अमृतसर और लाहौर के बीच ऐसा सम्पर्क पहले से मौजूद हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) अमृतसर पहले से ही कोऐक्सियल केबल प्रणाली के जरिये राष्ट्रीय दूर संचार जाल के साथ जुड़ा हुआ है और यहां से देश के कई शहरों को सीधे डायल घुमा कर ट्रंक-काल करने की सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी पट्टी की एक माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ताकि मौजूदा सर्किल क्षमताओं की वृद्धि की जा सके। भू-उपग्रह के जरिये अमृतसर के लिए एक सर्किट लगाने की कोई योजना नहीं है।

(ख) जी नहीं।

Setting up of Auto Exchanges in M.P.

†534. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of auto-exchanges to be set up in Madhya Pradesh during this year; and whether there is any scheme to set up auto-exchanges in Ratlam city also; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) & (b) 15 new small automatic exchanges are planned to be set up in Madhya Pradesh during 1977-78.

There is no immediate plan for automatisation of Ratlam Manual exchange.

भारत-पाक सम्बन्धों में सुधार

535. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस वर्ष फरवरी के आरम्भ में पड़ौसी देश पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका यह दौरा स्वयं उनकी पहल थी अथवा कि यह दौरा पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण पर था;

(ग) पाकिस्तान सरकार के नेताओं के साथ चर्चित विषयों का मुख्य ब्यौरा क्या है तथा क्या उक्त बातचीत के फलस्वरूप कोई ठोस करार आदि हो पाये;

(घ) क्या उक्त दौरे तथा बातचीत के परिणामस्वरूप भारत-पाक संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य संकेत क्या हैं; और

(ङ) क्या वह उस देश में अपनी यात्रा के दौरान गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं से भी मिले थे ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) से (ङ) जैसा कि आपको याद होगा कि 27 नवम्बर, 1977 को मैंने एक पत्रकार द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उज्जैन में कहा था कि यदि मुझे अवसर मिले तो उसी सद्भावना के साथ पाकिस्तान की यात्रा करके मुझे खुशी होगी जिसके साथ मैंने भारत के कुछ अन्य पड़ौसी देशों की यात्रा की थी। पाकिस्तान सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार, श्री आगा शाही ने मुझे आमंत्रित किया और तदनुसार मैंने 6 से 8 फरवरी, 1978 तक पाकिस्तान की यात्रा की। सेनाध्यक्ष, एवं चीफ मार्शल-ला-प्रशासक, जनरल जिया-उल-हक और पाकिस्तान सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार के साथ मेरी बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी हित के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विषयों का उल्लेख किया। इस बात पर सहमति हुई कि 1975 के व्यापार करार पर विचार करने, सलाल बांध परियोजना के बारे में बातचीत पुनः प्रारंभ करने और दोनों देशों की जनता के बीच समाचार और सूचना और संपर्कों के अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं।

पाकिस्तान सरकार द्वारा मेरे लिए बनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मुझे पाकिस्तान में बहुत से विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सद्भावना और समझ-बूझ को चढ़ाने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

टेलीफोन सलाहकार समिति का बनाया जाना

536. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न भागों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां समुचित रूप से बना दी गई हैं और क्या उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि अभी तक नहीं बनाई गई हैं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों तथा प्रमुख शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों को उक्त समितियों में शामिल कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ङ) यदि संमद सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) 49 टेलीफोन सलाहकार समितियों में से अभी तक 13 का गठन हुआ है। बाकी समितियों का गठन विचाराधीन है।

(ग), (घ) और (ङ) विभिन्न टेलीफोन सलाहकार समितियों में संसद्-सदस्यों का नामांकन संसद् कार्य विभाग द्वारा किया जाता हैं। किसी टेलीफोन सलाहकार समिति का सदस्य होने के लिए सामान्यतः संसद्-सदस्य का निवास स्थान उस विशेष टेलीफोन सलाहकार समिति के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। विभिन्न टेलीफोन सलाहकार समितियों के लिए संसद्-सदस्यों के नामांकन 15-2-78 को प्राप्त हुए हैं। ये नाम पहले की गठित और नई गठित की जाने वाली टेलीफोन सलाहकार समितियों में शामिल कर लिए जाएंगे।

औषधियों के उत्पादन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लाना

537. **श्री प्रद्युम्न बल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के उत्पादन को, जो इस समय पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन हैं, परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या वर्तमान प्रणाली के कारण मंत्रालय वस्तुओं की किस्म पर कड़ा नियंत्रण और निगरानी नहीं रख सकता है जो बहुत आवश्यक है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) औषधियों की क्वालिटी पर नियंत्रण का कार्य औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य का दायित्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का है और चूंकि स्वास्थ्य देख-रेख में औषधियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति ने दिसम्बर, 1977 में यह प्रस्ताव रखा कि औषधियों के निर्माण, उनकी सप्लाई और उनका मूल्य निर्धारित करने संबंधी सभी मामले, जिनमें लाइसेंस देना और औषधि उद्योग के ऊपर निगरानी रखने के काम भी सम्मिलित हैं, इस मंत्रालय को दे दिए जाने चाहिएं।

(ग) औषधियों के निर्माण, उनकी सप्लाई और उनके मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी सभी मामलों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपे जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए "बेयर फूट" डाक्टर

538. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए "बेयर फुट" डाक्टर योजना पर कड़ी आपत्ति की है अथवा उसमें भाग लेने से इंकार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "बेयर फुट" डाक्टरों को प्रशिक्षण देने तथा उन्हें नियुक्त करने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :(क) और (ख) कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर जन स्वास्थ्य रक्षक न कि "बेयर फुट" डाक्टर नामक योजना की सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक सरकार बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता योजना का और अधिक विस्तार कर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करना चाहती थी। तमिलनाडु सरकार ने अपनी योजना को सुदृढ़ करने की इच्छा व्यक्त की है जिसके अन्तर्गत हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो-दो गश्ती दल होंगे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, एक-एक डाक्टर होगा। ये दल बारी-बारी से गांवों का दौरा करेंगे ।

(ग) जन स्वास्थ्य रक्षकों के पहले बैच का प्रशिक्षण, जो 2 अक्तूबर, 1977 को शुरू हुआ था, वह 726 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हो गया था। पहले बैच में प्रशिक्षित किये गये जन स्वास्थ्य रक्षकों की संख्या 14,060 है। वे समाज की सेवा करने के लिए अपने-अपने गांवों को चले गये हैं। लगभग 14,461 जन स्वास्थ्य रक्षकों के दूसरे बैच का प्रशिक्षण पहली जनवरी, 1978 से प्रारम्भ हो गया है।

एशियाई देशों को अमरीकी हथियारों की सप्लाई

539. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कई एशियाई देशों को इन एशियाई देशों और अमरीका में हुए अनेक समझौतों के परिणामस्वरूप अमरीका से अधिक आधुनिक विमान, टैंक, जहाज, प्रक्षेपणास्त्र, आदि मिलेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की सामान्यतः क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन समझौतों का हिन्द महासागर क्षेत्र में सैनिक संतुलन का कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका एशिया के कई देशों को हथियार स्थानांतरित करने पर राजी हो गया है।

(ख) (ग) से (घ) राष्ट्रपति कार्टर ने 19 मई, 1977 तथा 1 फरवरी, 1978 को एक नीति संबंधी वक्तव्य में कहा कि संयुक्त राज्य विदेशों को हथियार की बिक्री पर संयम बरतेगा। सितम्बर, 1978 में होने वाले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति कार्टर ने वायदा किया कि विदेशों को अमरीकी हथियारों की बिक्री 8.6 बिलियन डालर से अधिक नहीं होगी इसमें नाटो के देश, जापान, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड जैसे देश शामिल नहीं हैं। संयुक्त राज्य सरकार के अनुसार उक्त राशि वित्तीय वर्ष 1977 की इसी अवधि के मुकाबले 8 प्रतिशत कम है। शांति एवं समरसता की अपनी इच्छा के अनुरूप हमारी सरकार विदेशों में अमरीकी हथियारों की बिक्री में कमी का स्वागत करती है।

भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा चीन का दौरा

540. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने 24 मार्च, 1977 से अब तक चीन जनवादी गणराज्य का दौरा किया; और

(ख) उन प्रतिनिधिमंडलों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके अगले तीन महीनों में चीन से भारत आने अथवा भारत से चीन जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) चूंकि सभी पारपत्र चीन लोकवादी गणराज्य सहित सभी देशों की यात्रा के लिए पृष्ठांकित होने हैं तथा प्रतिबन्ध केवल कुछ ही जगहों के लिए होता है। अतः सरकार अब इसकी जानकारी नहीं रखती।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय संगठनों के निमंत्रण पर चीन के चार व्यापार-निगमों का जो प्रतिनिधिमंडल इस समय भारत की यात्रा पर है, उसके अलावा अगले तीन महीनों में एक और चीनी प्रतिनिधिमंडल के भी भारत आने की संभावना है। अखिल भारतीय डा० कोट्निस स्मारक समिति के निमंत्रण पर 'विदेशों के साथ मैत्री के लिए चीनी लोक-संस्था' की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल के मार्च में भारत आने की संभावना है। नवचीन समाचार एजेंसी ने भारतीय पत्रकारों के एक दल के प्रतिनिधि-मंडल को मार्च/अप्रैल, 1978 में चीन आने का निमंत्रण दिया है।

स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वमूत्र चिकित्सा सम्बन्धी साहित्य उपलब्ध कराना

541. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वमूत्र चिकित्सा सम्बन्धी साहित्य उपलब्ध कराने का कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने स्वमूत्र चिकित्सा की प्रभावशीलता का वैज्ञानिक आधार पर कोई परीक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों पर और उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली ने विभिन्न रोगों के उपचार के लिए मूत्र चिकित्सा की गुणकारिता जानने के लिए कदम उठाये हैं। परिणाम निकलने में कुछ समय लगेगा।

सी० ए० एफ० आई० एम्प्लाइज यूनियन, थाना, महाराष्ट्र का क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के विरुद्ध अभ्यावेदन

542. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सी०ए०एफ०आई० एम्प्लाईज यूनियन, थाना, महाराष्ट्र से क्षेत्रीय भविष्य-निधि आयुक्त, महाराष्ट्र, जो इस समय केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में कार्य कर रहा है, के यूनियन की श्रमिक संघ की वैध गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वास्तविक रिपोर्ट भविष्य निधि प्राधिकरणों से मांगी गई है।

Bringing improvement in Communications system in Sikkim

†543. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether communications system in Sikkim is not satisfactory and if so, what scheme Government propose to implement to strengthen the communication system in entire Sikkim State;

(b) the number of post offices, telephone exchanges and telephone connections in Sikkim at present; and

(c) the extent of development to be made in the communications system in the coming three years and the amount out of that sanctioned by the Central Government and spent so far for the purpose?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai)

(a) (i) **Postal**

Sikkim has been declared as "backward area", for the purpose of extension of postal facilities which entitles it to liberal norms for opening of post offices.

(a) (ii) **Telecommunications**

Telecommunication system in Sikkim State is normally satisfactory except for interruptions caused due to general breakdown of overhead lines owing to natural calamities like land slides, floods, storms and heavy rains. Gangtok is also connected to Darjeeling by a stable UHF system the performance of which is satisfactory.

(b) (i) 89 Post Offices

(ii) There are 12 telephone exchanges having 805 working connections as on 31-1-1978 in Sikkim State.

(c) (i) It is proposed to open 15 new post offices and upgrade 6 EDBOs into departmental sub-post offices in the coming three years under the existing norms. Allotment of funds and booking of expenditure is for postal circle as a whole. Separate figures of expenditure for Sikkim which is a Division in West Bengal Circle are not, therefore, available.

(c) (ii) The proposed development in telecommunications in next three years is proposed below:—

(i) Installation of 25 lines SAX at Rabang.

(ii) Expansion of Gangtok MAX-II from 500 to 600 lines.

(iii) Expansion of Rhenock MAX-III from 25 to 50 lines.

(iv) Expansion of Gangtok Trunk Exchange from 2 to 3 positions.

(v) Provision of long distance PCOs at Chungthang, Namthang and Samabri.

No expenditure has been incurred yet for the works programmed in next three years.

Control of Communicable Diseases

544. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 604 on the 17th November, 1977 and state:

(a) whether communicable diseases are spreading fast and the measures taken for controlling them have proved to be ineffective and if so, what further steps are being taken by Government in this directions; and

(b) whether Government's inability to supply drinking water and unadulterated food stuffs and to make proper managements of sanitation and sewage disposal is the main cause

in the spread of these diseases ,and if so, the concrete remedial steps proposed to be taken by Government?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) (a) There are many communicable diseases and it would not be correct to say that all of them are spreading fast. In fact some of them such as Smallpox have been completely eradicated; others are being brought under control by launching a number of National Health Programmes such as Malaria Eradication Programme, TB Control Programme, Leprosy Control Programme, Expanded Programme of Immunisation, etc.

(b) Some communicable diseases do occur by drinking impure water, taking contaminated food stuff and improper management of sanitation and sewage disposal. Information about the various remedial measures taken by the Government to ensure supply of pure and safe drinking water, unadulterated food stuff and adequate sanitation and sewage disposal arrangements is being collected from the various Government Departments concerned with it and the same will soon be laid on the Table of the House.

Non-Deposit of P.F. by Indore Textile Mill, Ujjain

545. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether the provident fund of the employees of the Indore Textile Mill, Ujjain, has not been deposited for the last three years and if so, the action being taken by Government to get it deposited;

(b) whether full accounts of the Provident Fund of the employees are neither available with the Commissioner, Provident Fund, Madhya Pradesh, nor with the employers; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to ensure that provident fund accounts are available with the employers?

Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha): (a) The Provident Fund authorities have reported that the provident fund dues in respect of the employees of Indore Textile Mill, Ujjain have been deposited with the Fund except for the months of February and March, 1977. Revenue Recovery proceedings have initiated for realisation of the provident fund dues as arrears of land revenue. Action to prosecute has also been taken.

(b) The details of accounts of the provident fund of the employees are available with the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh.

(c) Does not arise.

P.F. Outstanding Against Ujjain Distillery

546. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that provisions of labour welfare laws are not at all complied with in the distillery in Ujjan;

(b) the amount of provident fund pertaining to the last three years outstanding against this distillery; and

(c) whether many persons are employed on contract basis so that workers do not get the benefit admissible under labour welfare laws?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) & (c) No specific cases have been mentioned. Specific instances, if any, of alleged violation of the welfare provisions in the Factories Act, contract Labour Act etc. and of employment of persons on contract basis in violation of the law could be brought to the notice of the Government of Madhya Pradesh for enquiry and remedial action by the State Government who are principally concerned.

(b) The Distillery is reported to be regular in complying with the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

कैंसर के मामलों का पता लगाना

547. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में कैंसर के रोगियों का 'पेप टेस्ट' के प्रयोग से पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कदम उठाए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में मार्गदर्शी आधार पर पांच संस्थाओं में, जिनमें प्रसवोत्तर यूनिट हैं, "पेप समीअर टेस्ट" की सुविधाएं शुरू की जा रही है। इन संस्थाओं में हुए कार्यों के निष्कर्षों के आधार पर इन सुविधाओं को अन्य संस्थाओं में भी उपलब्ध करवाने पर विचार किया जाएगा।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के औद्योगिक एककों में दुर्घटनाएं

548. **श्री रोबिन सेन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975, 1976 और अक्तूबर से दिसम्बर, 1977 में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक एककों में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इनमें कितने श्रमिक अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ग) प्रति वर्ष औसतन कितने प्रतिशत श्रमिक दुर्घटना का शिकार होते हैं; और

(घ) अन्य देशों की तुलना में इन दुर्घटनाओं और इनमें अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक एककों में घातक तथा अघातक चोटों के शिकार हुए व्यक्तियों की संख्या और दुर्घटनाग्रस्त हुए श्रमिकों की प्रतिशतता नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	घातक	अघातक	दुर्घटनाग्रस्त हुए श्रमिकों की कुल संख्या	दुर्घटनाग्रस्त हुए श्रमिकों की प्रतिशतता
1975 (अ)	616	2,30,965	2,31,581	42.24 प्रति हजार
1976 (अ)	681	2,76,680	2,77,361	45.82 प्रति हजार
1977 (अक्तूबर से दिसम्बर 1977 तक) उपलब्ध नहीं				

(अ) अनंतिम

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के एककों के संबंध में अलग-अलग आंकड़ें और अन्य देशों के बारे में तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। दुर्घटनाओं की संख्या के संबंध में भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर हस्ताक्षर के लिये अमरीकी सरकार से पत्र

549. श्री आर० के० महालगी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परमाणु प्रसार रोक संधि पर हस्ताक्षर करने के बारे में अमरीकी सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) हमारे प्रधान मंत्री के नाम अपने एक पत्र में राष्ट्रपति कार्टर ने यह कहा है कि वे परमाणु-अस्त्रों के फैलाव को रोकने से सम्बद्ध संधि पर हमारे हस्ताक्षर न करने के कारणों को समझते हैं। फिर भी उन्होंने पुनः यह आशा व्यक्त की हैं कि भारत अपनी सभी नाभिकीय गतिविधियों के बारे में व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को स्वीकार करने का अपना कोई मार्ग खोजेगा।

राष्ट्रपति कार्टर और श्री कैलहन की यात्रा पर हुआ व्यय

550. **श्री के० मायातेवर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने राष्ट्रपति कार्टर और प्रधान मंत्री कैलहन की हाल की यात्राओं पर कितना धन व्यय किया; और

(ख) इन महानुभावों के साथ हुए करारों/चर्चाओं का सही-सही परिणाम क्या है और इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हुआ है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क)

	प्राक्कलन और अनुमोदित व्यय	निपटाए गए बिल	समीक्षाधीन बिल
राष्ट्रपति कार्टर की यात्रा	3,22,690 (वास्तविक के आधार पर व्यय के अतिरिक्त)	1,12,465	—
ब्रिटिश प्रधान मंत्री की यात्रा	1,33,795 (वास्तविक के आधार पर व्यय के अतिरिक्त)	—	1,19,721

कितना व्यय हुआ इसका स्पष्ट विवरण शेष बिलों के प्राप्त होने पर ही उपलब्ध हो सकेगा।

(ख) हमारे यहां राजकीय यात्राओं के परिणामों को आर्थिक उपलब्धियों से तोलने की प्रथा नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि सम्बद्ध देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ किया जाए और वहां के शीर्षस्थ नेताओं से और अधिक व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित हो। हम इन दोनों ही उद्देश्यों

को पूरी तरह प्राप्त कर सके हैं, यह सम्बद्ध दोनों यात्राओं के दौरान पूरी तरह प्रतिपादित हो गया था। राजकीय यात्राओं का हिसाब नुकसान और फायदे के रूप में लगाना ठीक नहीं हैं।

1. **राष्ट्रपति कार्टर की यात्रा :** राष्ट्रपति कार्टर की यात्रा के दौरान दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए। इसमें विशेष द्विपक्षीय अथवा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों का जिक्र तो नहीं अपितु इसमें इस बात की पुष्टि है कि दोनों देश व्यक्ति की मौलिक स्वतन्त्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हैं। यह प्रत्येक राष्ट्र का अपनी सामाजिक और आर्थिक पद्धति के निर्णय के अधिकार को भी स्वीकार करता है। इस यात्रा से दोनों देशों में सम्बन्धों का एक नया और अधिक परिपक्व अध्याय अंकित हुआ है।

2. **ब्रिटिश प्रधान मंत्री की यात्रा :** ब्रिटिश प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत हुई जिनमें अफ्रीका और पश्चिम एशिया की स्थिति शामिल हैं; इसमें उत्तर-दक्षिणी वार्ता व्यापार से संबंधित द्विपक्षीय मसले और यूरोपीय आर्थिक सहयोग पर भी संक्षेप में विचार हुआ। इस के परिणामस्वरूप भी दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध में वृद्धि हुई।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1977-78 का आर्थिक सर्वेक्षण

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं आर्थिक सर्वेक्षण 1977-78 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल.टी. 1545/78]

दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान (संशोधन) नियम 1977

The Minister of state in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai): On debates of shri Ravindra Verma, I beg to lay on the Table a copy of the Delhi Shops and Establishments (Amendment) Rules, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. 4 (26)/75/CIS/ Lab. in Delhi Gazette dated the 29th December, 1977, under sub-section (3) of section 47 of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954.

[Placed in the Library please see No. L.T. 1546/78)]

जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत पत्र

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : मैं श्री धनिक लाल मंडल की ओर से जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री देवराज उर्स तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच करने के लिये गठित ग्रोवर जांच आयोग का प्रथम प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन।

(2) उपरोक्त उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 1547/78]

हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड, कलकत्ता और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कारिया मुण्डा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी संस्करण)* की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 1548/77]

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 1549/78]

विभिन्न सत्रों में दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा को गयी प्रतिज्ञाओं पर की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai):

मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विवरण संख्या 27	दसवां सत्र, 1974	पांचवीं लोक सभा
(2) विवरण संख्या 28	तेरहवां सत्र, 1975	
(3) विवरण संख्या 7	सत्रहवां सत्र, 1976	
(4) विवरण संख्या 5	पहला सत्र, 1977	छठी लोक सभा
(5) विवरण संख्या 7	दूसरा सत्र, 1977	
(6) विवरण संख्या 2	तीसरा सत्र, 1977	

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 1550/78]

कर्मचारी भविष्य निधि योजना सम्बन्धी पत्र

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1551/78]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 तथा कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 के कार्यकरण संबंधी वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 1552/78]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1710 की एक प्रति, जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 17 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1229 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 1553/78]

(4) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1977, जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1230 में प्रकाशित हुई थी तथा उसका शुद्धि-पत्र जो दिनांक 7 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 36 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) आसाम कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1977 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1233 में प्रकाशित हुई थी तथा उसका शुद्धि-पत्र जो दिनांक 7 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 37 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) आसाम कोयला खान बोनस (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1977 जो दिनांक 7 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 38 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 1554/78]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 775(ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 1555/78]

(2) औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन (छठा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 19 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल०टी० 1556/78]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLINNIG ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

निकोबार द्वीप समूह के तिलांगचांग नामक द्वीप पर विदेशियों द्वारा अधिकार किये जाने का समाचार

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं रक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"निकोबार द्वीप समूह के तिलांगचांग नामक द्वीप पर विदेशियों द्वारा अधिकार किये जाने का समाचार ।"

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : 30 जनवरी, 1978 को हमारी वायु सेना ने तटीय क्षेत्र की अपनी सामान्य गश्त के दौरान निकोबार द्वीप समूह में तिलांगचांग के लगभग एक मील पश्चिम में एक नौका की गतिविधि की सूचना दी थी । इस बात का पता लगाने के लिए थोर्ट ब्लेयर से नौसेना की एक गश्ती नौका तत्काल भेजी गई । 31 जनवरी 1978 को नौसेना की नौका ने 'लिडोमसिन' नामक मछली पकड़ने वाला जहाज, एक सिस्टर बोट और एक आउट बोट को पकड़ लिया । उन नौकाओं को निकटवर्ती नानकोरी द्वीप में लाया गया । नौकाओं में 74 व्यक्ति थे जिनमें 12 महिलायें और 28 बच्चे थे । ऐसा पता चला है कि वे थाई नागरिक हैं । इन सभी व्यक्तियों को नानकोरी में पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया । ऐसा बताया गया है कि उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और उन्होंने इन व्यक्तियों में से 49 को विदेशियों के लिए अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत छः महीने का कठोर कारावास और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमावली की धारा 6(क) के अन्तर्गत तीन महीने का कठोर कारावास का दण्ड दिया क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं थे । शेष 25 व्यक्तियों को जो 12 वर्ष के कम आयु के थे, छोड़ दिया गया । नौकाओं को जब्त कर लिया गया ।

श्री चित्त बसु : अंडमान-निकोबार द्वीप समूह भारत का अभिन्न भाग है । अमरीकी नौसेना की बढ़ती हुई क्रियाशीलता के कारण और भौगोलिक स्थिति के कारण इनका महत्व और भी बढ़ जाता है ।

क्या इन द्वीपों पर अभी भी जमीन खाली पड़ी है जहां पर देश के अन्य भागों से लोगों को बसाया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह विषय के अन्तर्गत नहीं आता ।

श्री चित्त बसु : मैं अभी सुरक्षा के विषय को लेता हूं । क्या सरकार वहां पर लोगों को बसाने के मामले पर पुनर्विचार करेगी ? ताकि वहां पर सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके ?

प्रो० शेर सिंह : जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारी सेना, नौसेना एवं वायुसेना की टुकड़ियां स्थायी रूप से स्थित हैं । और जहां तक लोगों को वहां पर बसाये जाने का प्रश्न है यह मामला गृह मंत्रालय से संबंधित है । कई भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को वहां पर पहले ही बसाया गया है ।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडामान निकोबार द्वीप समूह) : मुझे खेद है कि द्वीप समूह के साथ सौतेली मां का व्यवहार किया जाता है । इस प्रकार की घटनाएं वहां पर विगत 20 वर्षों से हो रही हैं ।

जहां तक द्वीप समूह पर भूतपूर्व सैनिकों के बसाये जाने का प्रश्न है, 319 द्वीपों में से एक पर पुनर्वास से समस्या हल नहीं होगी ।

तिलांगयोग के निकट एक नौसैनिक अड्डा है । यह आश्चर्य की बात है कि सैकड़ों लोगों में से केवल 74 व्यक्ति पकड़े जा सके । अंडमान निकोबार प्रशासन ने तो पकड़े जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 49 ही बताई है । हमारी नौसेना सतर्क नहीं है । इस प्रकार मंत्री महोदय के कथन और प्रशासन की जानकारी में अन्तर है ।

विदेशी लोग आकर हमारे नारियल के पेड़ों एवं बागों को हानि पहुंचा रहें हैं । परन्तु गृह मंत्रालय ने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

अंतरद्वीपीय नौवहन सेवा की दक्षता में ह्रास आया है । एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने में महीना लग जाता है । सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर दो हवाई पट्टियां होनी चाहिएं ।

भूमिहीन लोग वहां पर संकट का सामना कर रहे हैं । उन्हें बिखरे हुए द्वीपों में बसाया जा सकता है । सुधरी हुई अन्तरद्वीपीय फैरी सेवा चालू की जा सकती है । रक्षा राज्य मंत्री ने बताया है कि उनमें से कुछ नौकाएं मछली पकड़ने की हैं । वह इस बारे में सुनिश्चित नहीं है । उन्हें द्वीपों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए । इसके लिए एक हवाई पट्टी दक्षिणी द्वीप में तथा एक उत्तरी द्वीप में होनी चाहिए ।

मंत्री महोदय को इस घटना की पूरी जांच करानी चाहिये ।

प्रो० शेर सिंह : यह सच है कि 319 द्वीपों में से 33 द्वीपों पर लोग बसते हैं । हमने गृह मंत्रालय से कहा है गिरफ्तार व्यक्तियों से अच्छी तरह पूछताछ करें ताकि उनके कृत्य का उद्देश्य जाना जा सके ।

श्री नोरंजन भक्त : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने लोग अंडमान निकोबार क्षेत्र में नौकाओं सहित आते रहे हैं ?

प्रो० शेर सिंह : मत्स्य नौकाएं पकड़ी गई हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया था । इस समय में सही आंकड़े नहीं दे सकता ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Militarly Andaman island is very important. I can say on the basis of my personal knowledge that the statement of the hon. Minister does not contain the facts correctly. The party consisted of 25 children apart from women.

There was no habitation there. These people had settled there for one year. They had built pucca structures with tin roofs. The matter is very serious from defence angle. There if no defensive equipment.

According to international law water boundry upto 200 miles is ours. Interim defence arrangements were made. Would you give some motor boats and other fighting equipment as the area is surrounded by Singapore, Taiwan, Indonesia and Thailand.

Would the Government ask the Thai Government to investigate as to who were the persons who have been leed. This matter is required to be thoroughly investigated not by the Defence Ministry but by their own officers.

Prof. Sher Singh : As there were ladies and children in the boat, we have asked the Ministry of Home Affairs to investigate the matter further. Six tent sheds, some rice and fish was also recovered from there. There were some drugs and other eatables but they did not possess any arms or ammunition.

We have established interim coast gaurd organisation and an office on special duty is posted there. What work the officer on special duty in that organisation are dairing. This organisation should be set up on permanent basis.

We have deployed our army, navy and air force units in the region. We are particular about our defences there. The Thai Government has itself offered to investigate the matter. They have taken the responsibility to see that the water zonal of India is not violated.

I have placed the facts before you. We shall see what further steps can be taken in the matter.

नियम 377 के अधीन मामले

MATTER UNDER RULE 377

(एक) गन्ने तथा गुड़ के गिरते हुए मूल्य

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : It is for the first time when the price of sugarcane has come down to Rs. 5 or Rs. 4/50 per quintal. Firewood is being sold at Rs. 13 per maund. Kiln-workers of U.P. have been burning sugarcane as fuel. It is pity that the entire Khandsari industry has come to a standstill.

Gur is not being made use of for any purpose.

Farmers have to put in very hard labour to produce Gur or cotton, but they are very much exploited due to the prices of these commodities. U.P. and Madhya Pradesh Governments impose 7 per cent sales tax on Gur and Bihar imposes 9 per cent sales tax.

The Government has fixed a reserve price of wheat. Is it not the duty of the Government to fix a minimum price of sugarcane and whenever the market price goes down the Government should purchase the sugarcane. It is high time that the Government should take some actions. The production cannot increase in the present circumstances. We should suspend other business and have discussion on the matter.

*(Interruption)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में न लिया जाये।

---

*अध्यक्ष पीठ के अदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया गया।

*Not recorded as ordered by the chair.

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान इस पर चर्चा की जा सकती है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : इसके लिये कोई उपयुक्त दिन नियत किया जा सकता है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर इस समय यहां पर निर्णय नहीं किया जा सकता । कार्य मंत्रणा समिति इस पर निर्णय करेगी ।

(दो) कानपुर में स्वदेशी काटन मिल का बन्द होना

Shri Manohar Lal (Kapur) : I have to point out very unpleasant incident that took place in Swadeshi Cotton Mills in Kanpur. The workers have not been getting their wages for 5-6 months. That led to a gherao of the management by the workers. Gherao was repeated two to three times. As a result thereof the management agreed to pay the entire wages by last Diwali. But that did not happen and the workers had to resent to gherao again. This resulted in firing and 12 labourers were killed. But the actual situation is that two hundred workers are reported missing. This has created a great discontentment among the workers. People suspect that all these persons have been killed in the firing. This is a very serious matter.

Due to closure of the Mills 8000 works have become jobless and as a result of 20 thousand persons are facing starvation.

The mystry of the missing workers should be resolved. Let it be clarified whether only 12 persons died or all the 200 persons reported missing have also died. The persons responsible for it should be punished.

(तीन) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (पुदुर्गापुर) : श्रीमान जी, मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक बहुत ही महत्व-पूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उच्चतम न्यायालय द्वारा जीवन बीमा निगम (समझौता बदलना) अधिनियम, 1976 को रद्द कर दिया गया है जिसे सरकार द्वारा आपात स्थिति के दौरान पारित किया गया था । अब सरकार को बीमा कर्मचारियों को बोनस देने के बारे में सदन के समक्ष एक वक्तव्य देना चाहिये । सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि कब तक कर्मचारियों को बोनस दे दिया जायेगा ।

(चार) अफ्रीका से आने वाले लोगों द्वारा भारत में लासा ज्वार के कीटाणु लाये जाने का कथित समाचार

Shri Om Prakash Tyagi (Bahrich) : Sir, I want to draw the attention of the Government to the possibility of importion of lassa fever in the Country. It is a matter of pity that our Govt. does not pay any heed towards the diseases until and unless. They take a serious turn. Lassa fever is prevalent in West Africa on a large scale. There is every possibility of this disease crossing over to India through the people coming from there. So it is necessary to have necessary check on the persons coming from West Africa. Anti-Lassa fever injection should be considered necessary for them. America and several other countries have already warned their ports and airports authorities in this regard. It is the high time when our Government should take some concrete steps to prevent the importation of this disease. Because if it is not done in time, later on it may become very difficult to control the disease.

बाल (संशोधन) विधेयक--जारी

CHILDRENS (AMENDMENT) BILL--CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र द्वारा 22 फरवरी, 1978 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा : "कि बाल अधिनियम, 1960 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

श्री आर० कोलनथाइवेलु (तिरुचेंगोड़) : मूल अधिनियम 15 वर्ष से पहले लागू किया गया था और तबसे अब तक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है । इसलिए इसमें कुछ और संशोधन किया जाना आवश्यक है ।

धारा 7 में बोर्ड और बाल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए । इसके अभाव में न्याय प्रक्रिया में विलम्ब होगा ।

धारा 13 में इस प्रकार संशोधन किया जाए कि दण्ड सुधार करने के रूप में दिया जा सके और जुर्माना या जेल भेज कर अपराधी बच्चे को दण्डित न किया जाए । सरकार देश के बच्चों को कानून को सख्ती से लागू कर अथवा सुधारक उपायों द्वारा पूर्ण बनाए तो यह अधिक युक्तिसंगत होगा । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : (गांधी नगर) : यद्यपि यह विधेयक पर्याप्त और संतोषजनक नहीं है तो भी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

1960 के बाल अधिनियम के नाम से भी यह लगता है कि यह किसी बाल समस्या से संबंधित है जबकि यह केवल पथ भ्रष्ट और उपेक्षित बच्चों से संबंधित है। इसलिये इसे मात्र बाल अधिनियम कहने के बजाय कोई और उचित नाम दिया जाए ।

संविधान के निदेशक सिद्धांतों में यह कहा गया है कि सरकार बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए उचित और प्रभावशाली कदम उठाए । फिर ऐसे अधिनियम लागू करने और समस्या पर गहराई से विचार न करने का क्या लाभ ?

यद्यपि देश में 'बच्चों' की मृत्यु दर में कमी हुई है, परन्तु 5 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहने वाले बच्चे केवल रहते हैं जीवन नहीं जीते । उन्हें पर्याप्त पोषण और माता पिता का संरक्षण नहीं मिलता । शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें , और देखें कि अपेक्षित ही नहीं वरन् सामान्य बच्चों के लिए कितना धन खर्च किया जा सकता है।

हमारे देश में भी पश्चिम के समान पशु अत्याचार निवारण समितियां हैं । बच्चों पर अत्याचार निवारण समितियां भी बनाई जाएं पशुओं पर होने वाले अत्याचारों का अक्सर पता लगाया जाता है, परन्तु बच्चों पर भी घरों, स्कूलों आदि में अत्याचार होते हैं । अतः इस संबंध में जनमत तैयार किये जाने की आवश्यकता है । संसद् सदस्य इस प्रकार की संस्था बनाएं और बच्चों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध जनमत तैयार करें तथा राज्य और केन्द्र में इस संबंध में सम्पर्क करें कि उनके साथ दुर्व्यवहार न हो ।

बच्चे समूचे देश की सम्पत्ति, हैं उन पर हमारी आशाएं लगी हैं । बहुत से विकसित देशों में उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है । जब बच्चे सड़क पार करते हैं तो पूरा यातायात रोक दिया जाता है । संसद् सदस्य, बड़े अधिकारी और जन नेता इस संबंध में पहल करें और एक उदाहरण

पेश करें । कानून का अपना महत्व है, पर यदि समूचा राष्ट्र बच्चों की ओर उचित ध्यान दे तो निकट भविष्य में नहीं तो इस शताब्दि के अन्त तक हमें विश्वास है कि हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकेंगे ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

[Mr. Deputy speaker in the Chair.]

बाल (संशोधन) विधेयक—जारी

CHILDREN (AMENDMENT) BILL—CONTD.

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : प्रस्तुत विधेयक एक विवाद रहित विधेयक है तथा मुझे आशा है कि सदन के सभी वर्गों द्वारा इसका स्वागत किया जायेगा । हमें यह मालूम ही है कि प्रस्तुत विधेयक केवल संघ राज्य क्षेत्रों पर ही लागू किया जा रहा है । राज्यों में बच्चों के सम्बन्ध में अनेक अन्य कानून है । अतः मेरा सुझाव है कि हमें एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड आपसी समन्वय के अनुसार इस कार्य को सही मायनों में करना चाहिये ।

संशोधी विधेयक में उपेक्षित बच्चों का उल्लेख किया गया है । तथ्य तो यह है कि इससे हमारा तात्पर्य है कि ऐसे बच्चे जिनके मां बाप उनका भरण पोषण करने में असमर्थ है । विधि की दृष्टि से "अयोग्य" शब्द के कई पहलू होते हैं । जो लोग बच्चों की सुरक्षा नहीं करना चाहते क्या वे भी "उपेक्षित बच्चे" की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं ?

दक्षिण भारत में हम एक अनाथालय, लड़कियों का शिक्षा केन्द्र, एक प्रशिक्षण केन्द्र तथा कई अन्य इस प्रकार की संस्थाएं चला रहे हैं ? लोग थोड़े से दिनों के बच्चे को अनाथालय में छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि अनाथालय वालों ने उसे अपने पास रख लिया अथवा नहीं । यदि नहीं रखा होगा तो वे उसे पुनः वापस ले लेते हैं । शिशु मन्दिरों और अनाथालयों में सीमित संख्या में ही बच्चे रखे जा सकते हैं क्यों कि यदि वहां इस तरह के बच्चों की संख्या बढ़ जायेगी तो फिर उनका खर्चा स्वयं उस संस्था को पूरा करना होगा । कुछ संस्थाएं बच्चों की परवाह नहीं करती और वे बच्चे "उपेक्षित बच्चों" की परिभाषा के अन्तर्गत आ जाते हैं और उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है ।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी इस संस्थाओं पर डाली जाये । और उन संस्थाओं को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाये ताकि ऐसे बच्चों की उचित देखभाल हो सके । कुछ माता पिता अपने बच्चों को देख भाल नहीं कर सकते । कुछ माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए इच्छुक नहीं होते । कुछ माता पिता अपने बच्चों को देख-भाल करने में अयोग्य होते हैं । "बच्चों की देखभाल करने में अयोग्य" परिभाषा के अन्तर्गत जो बच्चे आते हैं, उन्हें उपेक्षित बच्चों के वर्ग में रखा जाना चाहिए तथा उनकी समुचित देख-भाल होनी चाहिए ।

हमारे समक्ष ऐसे भी उदाहरण आये हैं जबकि मां बाप स्वयं बच्चों को चोरी करने को विवश करते हैं । ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेदार है ? मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के मां-बाप को दण्ड दिया जाना चाहिए और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए न कि बच्चों को । कई मां-बाप अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं और पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं । ऐसे मामलों में मां-बाप को ही दंड दिया जाना चाहिए । न्यायालयों को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि बच्चों ने अपराध किया है वरन् यह भी देखना चाहिए कि क्या उन्हें अपराध के लिए विवश किया गया है या नहीं । यदि पता चले कि उन्हें अपराध के लिए विवश किया गया है तो उन्हें सुधार गृह में न भेजा जाये बल्कि बोर्ड में भेजा जाये । अच्छी बात है कि इस तरह की व्यवस्था करने वाला संशोधन किया जा रहा है ।

इतना ही पर्याप्त नहीं है कि बोर्ड में महिला सदस्या को रखा जाये । यह आवश्यक होना चाहिए कि वह महिला सदस्य समाज कल्याण कार्यों में प्रशिक्षित हो ।

विदेशियों द्वारा लिए जाने के मामले में वृद्धि हो रही है । जिस संस्था को हम चलाते हैं उसमें कई लोग आये हैं जो कि बच्चों को गोद लेना चाहते थे । यदि एक बार वे किसी ऐसे बच्चे को गोद ले लें तो फिर हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता हमें पता नहीं होता कि गोद लिए बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है । इस संबंध में सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार इस संबंध में कठोर नीति अपनाए और विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लिए जाने पर प्रतिबन्ध लगाए ।

श्री बीजू पटनायक : आप उनको अच्छी तरह खिला-पिला नहीं सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते (**व्यवधान**) ।

श्री आर० वेंकटरमन : आपको पता नहीं कि वे उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं । वे उन बच्चों के साथ गुलामों, श्रमिकों तथा वैश्याओं जैसा व्यवहार करते हैं ।

मैं इस बात पर जोर देता हूं कि विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद में लिए जाने पर पूरा प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । हमें पता नहीं कि वे उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ।

जब तक ऐसे बच्चों की आयु 17 या 18 वर्ष की नहीं होती तब तक उनकी देखभाल ठीक ढंग से हो सकती है । किन्तु इतनी आयु प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण शिक्षा और कुछ मजदूरी दी जाये । उनमें कुछ कमाने की क्षमता होनी चाहिए । इसके लिए हमें कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए और कुछ उपाय करने चाहिए । इस तरह उनकी पूरी देखभाल की जायेगी ऐसी मुझे आशा है ।

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich): I support the Bill. The amending legislation will improve the situation, but it is doubtful if it can achieve the objective fully. The Government is responsible for the welfare of children all over the country, but this Bill, after becoming an Act will be applicable to the Union Territories only. States should also be asked to pass legislation based on this model Bill, so that such children of the entire country can be covered under it. Moreover it will apply to those children only who are sent to orphanages and not to those who roam about from place to place. The number of orphanages is also not adequate. Government should make attempts to set up more Children Homes at their own level or by giving assistance to the social organisations. The word "orphanage" creates inferiority complex among the children and, therefore, such institutions should be named as Welfare Homes etc. So that personality of children may be developed well.

Children given birth by widows and unmarried girls are often killed by them. On account of the social evils which prevails in the country, Government should take the responsibility of such children over itself and make arrangements for their proper maintenance. At Pandharpur an institution has been running where such mothers are kept in a secret place free of cost. After giving birth to children they return to their families to continue to lead a respectful life. Their children are taken care of by the institution. Such institutions should be set up all over the country.

Some orphanages are being run with commercial motives and their management has been compelling the children to do many misdeeds and begging etc. and they are thus exploiting the children for their own benefits and interests. The working of such orphanages and arrangements for boarding, lodging, education, training etc. made for children there should be looked into. It should be ensured that vocational training is provided to children there, so that they could become self supporting. Reservations in services for such delinquent and neglected children should also be made like scheduled castes and scheduled Tribes.

In some orphanages children are being compelled to adopt a particular religion. This should be prevented and children living in such institutions should be given a right to choose any religion after they attain the age of 18 years.

Children of beggars and poor labourers should be given due protection and care so that they do not adopt begging on account of the pecuniary difficulties of their parents. Steps should be taken to provide jobs to such children.

Children of working women often remain uncared for and unattended. More Children Homes should be opened to keep such children on payment basis while the parents are on duty.

Shri Hukum Deo Narain Yadav (Madhubani): A fundamental question has been raised regarding illegitimate child. An "illegitimate child" is considered to be one whereabouts of whose father are not known. But it is mother only who knows as to who is the father actually and, therefore, social beliefs in regard to illegitimate child will have to be changed.

Misbehaviour and in-human treatment is being meted out to children in jails. They are sent there for reform but the treatment meted out to them makes them habitual offenders. Proper arrangements for education and training of children does not exist even in Central jails. Arrangements for proper reform of children and their training in various trades should be made in jails.

It has been said that Christian missionaries in the country have been compelling the children living in institutions and orphanages run by them to adopt Christianity. But its real cause is the social and economic conditions that prevail in the country. If this conversion is to be prevented, social, economic and political beliefs will have to be changed and the people in the country will have to be liberal to give economic assistance for the welfare of such children only then actual remedy of the disease can be sought.

Shri Durga Chand (Kangra): A small legislation has been brought to deal with a very wide problem of the country. The original bill contained 60 clauses while the amending bill provides for about 30 amendments. It would have been better to bring a comprehensive legislation on this subject.

The condition of neglected children who go from rural areas to the cities is really pitiable. Provision for Children's Courts and Child Welfare Board has been made in the Bill to deal with the delinquent and neglected children respectively. But only this much will not

solve the problem. It should have been decided as to how many Children Courts, Children Homes etc. are required to be set up and what are the financial implications thereof. Comprehensive arrangements for proper care and all round nourishment of children are required to be made.

Even imposition of a direct-tax for the welfare of children will not be an unwelcome step. Government should create more and more employment avenues to prevent the spread of social evils. If timely action is not taken in this regard, the problem will not be solved.

Shri R.D. Ram (Palamau): I welcome this Bill. It is the responsibility of the Government to care for the welfare of the children of the entire nation. I have a better experience in this field, because I have worked for the welfare of such children years together.

A survey in regard to motherless and fatherless children should be conducted at each block level so that the magnitude of the problem could be correctly assessed and what concrete steps we can take to tackle this ticklish problem.

A large number of innocent orphan children are wandering like beggars. They are living a hellish life. Ours is a welfare state. It is the responsibility of the Government to care for the welfare of the children of the entire nation. There are many organisations which want to work in this direction but they are not getting proper incentives from Government. The children who come out of Kamla Nehru Institute, Patna, after completing their training are able to get jobs. Adequate assistance should be given by Government to this institute and similar other institutes. If proper attention is paid by Government neglected children can really prove to be the wealth of the nation.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं यह मानता हूं कि विधेयक का क्षेत्र सीमित है । बच्चों के कल्याण और उनके संरक्षण के लिये हमारे अनेक अन्य कानून हैं । यह संघ शासित क्षेत्रों तक ही सीमित है क्योंकि संसद को इस संबंध में संघ शासित क्षेत्रों से अन्यत्र कानून बनाने का अधिकार नहीं है किन्तु बाल अधिनियम की प्रतिमान या नमूने के रूप में स्वीकार करते हुए हमारे देश में अधिकांश राज्यों ने ऐसा ही विधान पास किया है । वस्तुतः नागालैंड उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपुरा इन चार राज्यों ने ऐसा कदम नहीं उठाया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह उचित ही कहा है कि केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि राज्यों के अधिनियम समुचित रूप से कार्यान्वित किए जायें । यह बहुत ही अच्छा सुझाव है और केन्द्रीय सरकार अपने कर्त्तव्यों के प्रति भली प्रकार जागरूक है । हाल ही में राष्ट्रीय बाल मण्डल का गठन किया गया है और प्रधान मंत्री इस मण्डल के प्रेसीडेंट हैं तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी उसमें हैं । इसके अलावा एक स्थायी समिति भी गठित की गई है, मैं और कुछ अन्य सदस्य इसके सदस्य हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष से संबंधित कार्यक्रम की समुचित योजना बनाने तथा उसके कार्यान्वियन का पुनरीक्षण करने तथा उसकी देख-रेख का काम करेगी । सरकार इस तथ्य को भली प्रकार समझती है कि बालकों को सरकार की पूर्ण सहानुभूति और समर्थन मिलना चाहिए ।

कहा गया है कि अनाथालयों का समचित रख-रखाव और नियंत्रण होना चाहिए । वस्तुतः राज्य स्तर पर 1956 का महिला और बाल संस्थान लाइसेंस अधिनियम तथा अनाथालय और धर्मार्थ गृह निगरानी तथा नियंत्रण अधिनियम, 1960 हैं, जिन्हें राज्य सरकारें क्रियान्वित करती हैं । अतः बाल कल्याण संबंधी उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए हमें अधिकार प्राप्त हैं तथा हमारे पास इसके लिए पूरी व्यवस्था है ।

इस बोर्ड की स्थापना करने के बाद केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि बाल कल्याण कार्य की रेख-देख के महान उद्देश्य की पूर्ति में राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग करें।

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें कैसे ही कार्यक्रम क्यों न आरम्भ करें किन्तु यह समस्या इतनी जटिल है कि हम इसे ऊपर से देख पायेंगे। यदि बालकों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में धन मिल जाए तो हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय होगा। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक देश में, यद्यपि हमने कल्याण के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य आरम्भ कर दिया है, फिर भी बच्चों की रेख-देख करने का प्राथमिक या मुख्य दायित्व परिवार का विशेषतया माता-पिता का ही है।

इस वर्तमान संशोधन में हमने "रख-रखाव करने में असमर्थ", "देख रेख करने में असमर्थ" शब्दों का अन्तःस्थापन कर उपेक्षित बालकों की परिभाषा के क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास किया है। यह असमर्थता अनेक कारणों से हो सकती है और इसका निर्णय कि क्या ऐसी असमर्थता है अथवा नहीं, करना सक्षम अधिकारियों का कार्य है। सक्षम अधिकारी, विशेषतया बाल न्यायालय के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगाने का उपबन्ध है। ये सामाजिक कार्यकर्ता बाल न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को मानवीय रूप देंगे और इस संबंध में न्यायालय को उचित सहायता देंगे। विवाहित सामाजिक कार्यकर्ताओं के संबंध में शंका व्यक्त की गई है। लेकिन इस विधेयक में यह संकेत दिया गया है कि उपयुक्त अधिकारी के द्वारा योग्यताएं निर्धारित की जायेंगी।

बाल कल्याण संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में हमने पौषाहार के उद्देश्य से समेकित बाल विकास योजना के लिए उपबन्ध किया है। इस समय ऐसी 33 योजनाएं हैं। लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष में 66 और योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

शिक्षा और इसे बीच में ही छोड़ देने के बारे में प्रश्न उठाया गया है। सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है और प्रौढ़-शिक्षा तथा बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के लिये सघन कार्यक्रम तैयार कर रही है।

एक माननीय सदस्य ने विदेशी बाल दत्तक ग्रहण अधिनियम का उल्लेख किया है। परन्तु यह मेरे चार्ज में नहीं है। विधि मंत्री यह विधेयक सभा के समक्ष लायेंगे। अतः मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बाल अधिनियम, 1960 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम खण्डवार चर्चा आरम्भ करते हैं। खण्ड 2 से 19 पर कोई संशोधन नहीं है। मैं उन सबको एक साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 19 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 19 were added to the Bill.

खण्ड 1

Clause 1

संशोधन किया गया

Amendment made

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

"1977" के स्थान पर "1978" प्रति स्थापित किया जाये । (2)

(डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में, जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया संशोधन

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"28" के स्थान पर "29" प्रतिस्थापित किया जाये । (1)

(डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक
MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मूल अधिनियम में जो संशोधन हैं वे धारा 14 से 19 तक में किये गये हैं जिनका मुख्य सम्बन्ध पोत परिवहन विकास निधि और पोत परिवहन विकास निधि समिति से है ।

हम पोत परिवहन विकास निधि के कार्यकलापों का विविधीकरण करने के उद्देश्य से ही अब कुछ संशोधन कर रहे हैं । एक संशोधन पोत निर्माताओं को ऋण देने के बारे में भी है । दूसरा संशोधन निदेशकों के नामनिर्देशन को वैध बनाने के लिए किया गया है । इससे पूर्व विधेयक या अधिनियम में ऐसा कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं था जिससे कि हम गैर-सरकारी कम्पनियों में अपने निदेशक नाम निर्दिष्ट कर सकें । लेकिन फिर भी हम वहां अपने निदेशक नाम निर्दिष्ट करते आ रहे हैं । अब इसे वैध बना दिया जायेगा । एक और संशोधन जनता को बाण्ड जारी करने के सम्बन्ध में है । इस निधि से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी और इसीलिए आम जनता को बाण्ड जारी करना आवश्यक समझा गया है ताकि पोत परिवहन उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमारे पास अधिक धन हो । फिर कुछ अनुवर्ती परिवर्तन भी किए जा रहे हैं ताकि केन्द्रीय सरकार समिति के समाप्त होने पर उसकी सम्पत्ति तथा अन्य जिम्मेदारियों या दायित्वों को अपने अधिकार में ले सके ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर श्री विनायक प्रसाद यादव के नाम एक संशोधन है । श्री यादव, क्या आप इसे पेश कर रहे हैं ?

Shri Vinayak Prasad Yadav (Sahaasa) : Sir, I beg to move :

"that the Bill be circulated for eliciting opinion on it by 31st May, 1978."

उपाध्यक्ष महोदय : जब खण्डों पर विचार शुरू हो तो संशोधन पेश किये जाते हैं । इस स्टेज पर संशोधन तभी लिया जाता है जब यह विधेयक को परिचालित करने या संयुक्त समिति को सौंपने से सम्बन्धित हो ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ (जामनगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इस समय पोत परिवहन उद्योग संकट में है । पोत परिवहन विकास निधि समिति इस उद्योग की रक्षा के लिए बनाई गई है और यह इस उद्योग को न केवल आसान शर्तों पर ऋण देगी बल्कि रख-रखाव और नवीकरण आदि के लिए बचाव ऋण भी देगी । अब पोत मालिक इस उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा निधि को अन्यत्र कार्यों में काम में लाने के लिये अनुरोध कर रहे हैं । लेकिन सरकार को पोत मालिकों को बचाने की अपेक्षा अपनी वित्तीय स्थिति की रक्षा करने हेतु अपनी निधियां प्रयोग में लानी चाहियें ।

पोत परिवहन विकास निधि समिति सांविधिक निकाय है जिसमें सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व है । लेकिन इसमें जन प्रतिनिधियों को लेना चाहिये । जब पोत परिवहन उद्योग को 1,000 करोड़ रुपये तक ऋण दिया जा सकता है तो इस समिति में संसद का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये । इस समिति में संसद के दो सदस्य एक लोक सभा से और दूसरा राज्य सभा से होना चाहिये ।

पोत परिवहन विकास निधि समिति से ऋण लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है । अब तक केवल सरकारी कम्पनियां ही ऋण ले सकती थीं । अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई सरकारी कम्पनी ऋण लेने की हकदार नहीं है । अतः सरकारी समितियों और पंजीकृत फर्मों को भी इस समिति से ऋण लेने के योग्य बनाया जाये ।

इस समिति को आयकर और सम्पत्ति कर से मुक्त करने के लिए विधेयक में प्रावधान किया जा रहा है क्योंकि ये मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं है । इसलिए इन करों की छूट दी जानी चाहिए । किन्तु यह छूट सी-फारर्रों और मर्चेन्ट नेवी के अधिकारियों को भी दी जानी चाहिए ।

यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पोत परिवहन विकास निधि समिति अपने कार्यक्रम का विविधीकरण करने और गोदियों को ऋण देने पर विचार कर रही है । अब हमारे अधिकांश पोत विदेशी गोदियों में बनाए जाते हैं । जहां तक गोदियों का सम्बन्ध है, हम कई देशों से बहुत पिछड़े हुए हैं । पता नहीं हमारा यह देश अधिक गोदियां क्यों नहीं बनाता है । हमें अपने जहाज कम्पनी ही गोदियों में बनाने चाहिएं । अतः यह सराहनीय विचार है कि पोत परिवहन विकास निधि समिति शिपयार्डों को भी ऋण देने का विचार कर रही है ।

यहां यह संकेत करना भी उचित ही होगा कि "भारतीय बाटम" भारतीय भारवाहक ले जाया करेंगे । लेकिन कुछ मंत्रालय विदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करते समय इस पहलू को ध्यान में नहीं रखते हैं । वस्तुतः जब सी० एण्ड एफ० संविदा होनी चाहिए तो वे एफ० ओ० वी० संविदा या इससे उल्टा बना देते हैं । ऐसे मामले रोके जाने चाहिएं ताकि हम अपने पोत परिवहन उद्योग को वर्तमान शोचनीय स्थिति से बचा सकें ।

विधेयक में छोटे जहाजों या पोतों का उल्लेख नहीं है । देश में ऐसे 8,000 पोत हैं और इनमें एक लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं । अतः पोत परिवहन विकास निधि समिति को अगली पंचवर्षीय योजना में मछली पकड़ने वाली नौकाओं सहित ऐसे छोटे पोतों में मशीनें लगाने और खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करनी चाहिए ।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : अण्डमान से मुख्य भूमि तक पोत परिवहन सेवा के भाड़े और किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की जनता को बहुत परेशानी हुई है ।

इसलिए इस विधेयक का स्वागत किया जाता है क्योंकि इसमें देश की पोत परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए बहुत सी अच्छी बातें हैं । इसके साथ सम्पूर्ण वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की पूरी जांच करनी होगी । देश में लघु पोत परिवहन उद्यमियों की सहायता करने का कोई उपबन्ध नहीं है ।

शुष्क गोदी और पोतों की मरम्मत के लिए पोत कारखानों की दृष्टि से देश में अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं । ये दोनों बन्दरगाह अधिकारियों के नियंत्रण में हैं जो छोटे उद्यमियों से भी उसी दर से शुल्क लेते हैं जितना कि बड़े उद्यमियों से । अतः छोटे उद्यमियों के मामलों पर विचार करना और उन्हें प्रोत्साहन देना आवश्यक है ताकि वे देश में समुद्र तटीय सेवाएं आरम्भ कर सकें ।

हम विश्व के जहाजरानी वाले देशों में से एक हैं और हमारा पोत परिवहन में भार वहन का काम बहुत अधिक बढ़ गया है । अतः जहाज बनाने में हमें आत्म-निर्भर बनना चाहिए । साथ ही सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारियों की कमी महसूस हो रही है । अतः सरकार को इन कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं देनी चाहिएं । अण्डमान और निकोबार

द्वीप समूह जैसे बहुत से स्थानों पर जहाज मालिक अपने जहाजों को अन्तर्देशीय वाष्प पोत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करवाते हैं । ऐसा कर्मचारियों को कुछ सुविधाओं से वंचित रखने के लिये किया जा रहा है । क्योंकि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें अधिक सुविधाएं देनी पड़ती हैं । अतः एक ही क्षेत्रीय समुद्री सीमा में एक समान अधिनियम लागू किया जाना चाहिए । जिससे वेतन तथा अन्य सुविधाओं में अन्तर समाप्त हो जाये । वाणिज्य पोत परिवहन और देशीय आपातीय जलयान अधिनियम की पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि देश के पोत परिवहन उद्योग की सहायता के लिए अधिक प्रगतिशील विधेयक लाया जा सके ।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharasa) : The Minister for Shipping deserves Congratulations for bringing forth this amending Bill. The Parent Act was enacted as long back as in 1958. Since then, there has been abnomal rise in freight and fare and the quantity of Cargo carried through Ships. So it would have been more appropriate if a more comprehensive amending Bill was brought forth. This amending Bill relates only to Shipping Development Fund Committee and the amendments proposed are inadequate to meet the needs of the Shipping industry. Therefore, this amending Bill is incomplete and a more comprehensive Bill should be brought forth and it should be circulated to elicit the public opinion for a period of one month. Then a comprehensive amending the original Act can be placed before the House in this very session.

श्री आर० के० अमीन (सुरेन्द्र नगर) : इस संशोधी विधेयक में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने का प्रस्ताव है । अब तक समिति को जो धन प्राप्त होता रहा है, वह सरकारी ऋण से होता रहा है । अब जनता से अनुरोध किया जायेगा और बाण्ड जारी करने के माध्यम से धन एकत्रित किया जायेगा । पहले समिति में सरकारी अधिकारी होते थे । अब समिति में जन प्रतिनिधि लिए जाने चाहिएं क्योंकि यह जनता से धन संग्रह करती है ।

विधेयक के उद्देश्यों के अनुसार वहां काम बढ़ने के कारण सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है । लेकिन यह नहीं बताया गया है कि किस प्रकार के काम में वृद्धि हुई है । इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या प्रक्रिया में काट-छांट करने से समिति के कुल कार्यभार में कमी करना सम्भव है । सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने में हमें बहुत सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए । यदि सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने में कोई औचित्य है तो वृद्धि की जा सकती है ।

चूंकि समिति की निधियां बढ़ने से समिति का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है इसलिए इस समिति में जन प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाने चाहिए । इस समिति में कम से कम 2 संसद सदस्य भी शामिल किए जाने चाहिएं जो कि निधियों के उपयोग पर सतत निगरानी रखें ।

विधेयक में आयकर और सम्पत्ति कर से छूट देने की व्यवस्था की गई है । क्योंकि ये लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं । छूट देने के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए । मूल्यांकन करने की कोई निश्चित पद्धति होनी चाहिए । इस आधार पर अन्य संस्थाओं पर आयकर और सम्पत्ति कर लगाया जाता है उसी आधार पर वहां भी लगाया जाये, भले ही उस राशि का उसी निधि में अन्तरण कर दिया जाये । मंत्री महोदय को समिति में यह पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए कि आयकर और सम्पत्ति कर देने के बाद समिति कुल कितने धन का भुगतान करेगी । यह पता लगाना सम्भव है कि इन प्रवृत्तियों पर कितना धन खर्च किया जाता है ।

विधेयक में यह व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि आयकर और सम्पत्ति कर को साथ-साथ निधि में डाला जा सके ।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : इस विधेयक का स्वागत है । नौवहन विकास निधि की स्थापना से नौवहन उद्योग की क्षमता 5.3 लाख टन तक बढ़ाने में बड़ी सहायता की है । परन्तु गत कुछ वर्षों में तेल का मूल्य बढ़ने से नौवहन उद्योग में बड़ी मन्दी आ गई है । और यह उद्योग बड़ी कठिनाई में पड़ गया है । और यह इस कठिनाई से उबरने में असमर्थ है । नौवहन विकास निधि के कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर सरकार ने उसकी रक्षा की है ।

धारा 15 में पोत परिवहन विकास निधि समिति के गठन का उल्लेख है । इसमें कहा गया है कि इसमें एक चेयरमैन होगा तथा अन्य सदस्यों की संख्या 6 से अधिक नहीं होगी । अब सदस्यों की संख्या 12 करने का उपबन्ध किया गया है । ऐसी बात नहीं है कि यह 12 सदस्यों की समिति होगी । यह तो केवल एक समर्थकारी उपबन्ध है, जो कि सरकार को सदस्यों की संख्या 12 तक बढ़ाने के लिए है । किन्तु उनकी संख्या 12 से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ।

मैं इस प्रस्तावित संशोधन से सहमत नहीं हूं कि बोर्ड में दो संसद सदस्य रखे जायें । यह तो एक वित्तीय संस्था है और संसद सदस्यों को ऐसी संस्थाओं में नहीं रखा जा सकता ।

अच्छी बात है कि पोत परिवहन विकास निधि को बढ़ाया जा रहा है ताकि यह नए पोतों के निर्माण के लिए भारतीय शिपयार्डों को ऋण दे सके । मैं जानना चाहता हूं कि उन दो पोत स्थलों का क्या हुआ जिनके निर्माण की एक तकनीकी समिति ने सिफारिश की थी । एक पोत स्थल पारादीप में बनना था और दूसरा गुजरात में हजीरा में बनना था । समिति की सिफारिशें बिल्कुल स्पष्ट हैं और सरकार को इस बारे में निर्णय लेना चाहिए ।

यह बिल्कुल ठीक है कि अब समिति को सांविधिक रूप से मान्यता दी जा रही है । जिससे कि समिति कुछ निदेशकों की नियुक्ति कर सके जो कि समिति से ऋण लेने वाली कम्पनियों के बोर्ड में कार्य करेंगे । समझ में नहीं आता कि इन निदेशकों को कम्पनी कानून के संचालन से ऊपर क्यों रखा जाना चाहिए । फिर भी इस विधेयक का स्वागत है । क्योंकि इससे पोत परिवहन उद्योग की वर्तमान कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

श्री धीरेन्द्र कुमार बसु (कटवा) : इस विधेयक का स्वागत है किन्तु विधेयक का मुख्य उद्देश्य पोत परिवहन उद्योग के हितों की रक्षा के लिए पोत परिवहन विकास निधि का विकास करना है ।

ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने यह कार्य अधिकारियों पर छोड़ दिया है कि नीतियों का निर्माण वे ही करेंगे । 6 सदस्यों की समिति के स्थान पर विभाग ने 12 सदस्यों की समिति का सुझाव दिया है । तीन सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है जिससे कि उनकी संख्या 6 की बजाय 9 हो जाये । किन्तु समिति में 12 सदस्यों को रखने में कोई औचित्य नज़र नहीं आता ।

दूसरी बात यह है कि लाइनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए । पोत परिवहन निगम को कलकत्ता से सुन्दरबन तक स्टीमर चलाने के लिए आगे आना चाहिए ताकि सुन्दरबन का विकास हो सके । प्रधान मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा । किन्तु उस क्षेत्र में पोत परिवहन उद्योग के विकास के लिए इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है ।

मंत्री जी को हल्दिया तथा कलकत्ता पत्तनों के विकास के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण-पत्र जारी करने चाहिएं । इन परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए मंत्री जी को पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : सन्तोष की बात है कि सभी सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है । केवल एक ही बात की आलोचना की गई है कि समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है और केवल अधिकारियों को ही इस समिति में रखा जा रहा है । दूसरी आलोचना इस बात की की गई है कि आयकर अथवा सम्पत्ति कर में आवश्यक छूट दे दी गई है । मैं समझता हूं कि यदि सदस्यों ने कारणों और उद्देश्यों के विवरण को पढ़ा होता तो उन्होंने इन बातों पर इतना अधिक न बोला होता ।

जहां तक सदस्यों की संख्या बढ़ाने का सम्बन्ध है पोत परिवहन विकास समिति की गतिविधियां बढ़ गई हैं और इसलिए यह महसूस किया गया है कि समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाये । अब हम कम्पनी कार्य विभाग तथा कृषि विभाग से भी सदस्यों को इस समिति में सम्मिलित करने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि हमें यह आवश्यक महसूस होता है कि इन मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी इस समिति में लिए जाएं । किन्तु यह आवश्यक नहीं हो सकता कि 12 सदस्यों तक मनोनीत किए जायें । हम 8 या 9 सदस्य रख सकते हैं । इसके अतिरिक्त मूल अधिनियम की धारा 15 सरकार को इस बात के लिए बाध्य नहीं करती कि केवल सरकारी सदस्य ही मनोनीत किए जायें । हम गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी इसमें मनोनीत कर सकते हैं ।

श्री मनोरजन भक्त : इस समय तो केवल 6 सदस्यों का उपबन्ध है। वहां पूरे 6 सदस्य हैं या कोई स्थान रिक्त है।

श्री चांदराम : कोई स्थान रिक्त नहीं है। इस समिति की अब तक 176 बार बैठक हो चुकी है और 1977 में इसकी 13 बैठकें हुई है। इसने अब तक 1035 करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति दे दी है।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में सरकारी निदेशकों का सम्बन्ध है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सरकार के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है और इसे ध्यान में रखते हुए हम गैर-सरकारी पोत परिवहन कम्पनियों के बोर्ड में अपने निदेशक मनोनीत करने जा रहे हैं। हम अनावश्यक रूप से इस समिति को बड़ा नहीं करना चाहते। इसमें यह भी एक उपबन्ध है कि सरकार इस तरह के सदस्यों को किसी समय भी हटा सकती है।

भाड़े तथा किराये में वृद्धि करने का उल्लेख किया गया है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अब तक प्रधान भू-भाग से इन द्वीपों के बीच परिवहन सेवाओं को चलाने में हमें अब तक 3.5 करोड़ रुपये की हानि हुई है। ऐसा ही घाटा अन्तद्वीपों के बीच चलने वाली सेवाओं में भी हुआ है।

भाड़े तथा किराये को बढ़ाने का निर्णय मंत्रिमण्डल ने लिया है और यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमें अब तक घाटा होता रहा है । इस वर्ष हमें लगभग 5 करोड़ रुपये का घाटा होगा। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि किराये तथा भाड़े की दर में वृद्धि की जाये।

सरकार ने छोटे पोतों की सहायता के लिए एक दूसरी योजना बनाई है और छोटे पोतों की सहायता के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, और 1.5 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से दे दिए गए हैं। जहाज निर्माण सम्बन्धी आत्मनिर्भर के प्रश्न के बारे में मैं स्वयं भी चिंतित हूं और मेरी चिंता का कारण यह है कि युगोस्लाविया जैसे छोटे से देश से भी हमने 54 जहाज खरीदे हैं। बलगारिया से भी हमने जहाज खरीदे हैं। अभी तक हम जहाज बनाने का कारखाना नहीं बना सके। हम दो जगहों पर कारखाने बनाने पर विचार कर रहे हैं।

Shri Ugrasen (Deoria) : Where were the ships, which sank near America, manufactured ? Have you conducted any enquiry in this regard.

श्री चांद राम : आप डूबने से कसे बचा सकते हैं अच्छे से अच्छे जहाज भी तूफानों में डूब सकते हैं।

Shri Ugrasen : Officers of the Shipping Corportion should be pulled up.

श्री चांद राम : इस विधेयक के उद्देश्य और कारण स्पष्ट हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : श्री विनायक प्रसाद यादव का एक संशोधन है। क्या आप इस पर बल दे रहे हैं ?

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) : I withdraw it.

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वाणिज्य पोत्त परिवहन अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार चर्चा करते हैं। मैं खंड 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : सभा में कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बजायी जाये।

अब कोरम हो गया है।

खंड दो

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खंड 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खंड 4 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये

clause 4 to 8 were added to the Bill

खंड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

'1977' के स्थान पर '1978' प्रतिस्थापित किया जाये (संख्या 2)

(श्री चांद राम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

'Twenty-eight' (अठ्ठाइसवें) शब्द के स्थान पर 'Twenty-Nine' (उन्नतिसवें) शब्द रख दिया जाये (संख्या 1)

(श्री चांद राम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula, as amended was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill

श्री चांद राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में संशोधन करने का काम बहुत पहले से लंबित पड़ा है।

हमारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम यूनाइटेड किंगडम अधिनियम के अनुसार बनाया गया था, इसलिए भारतीय पोत परिवहन अधिनियम में कुछ संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं। अच्छी बात है कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड ने इस पर विचार किया है।

विधेयक का उद्देश्य पोत मालिकों को ऋण लेने तथा निधि से ऋण देने की क्षमता का विस्तार करना है। इसके अन्तर्गत पोत परिवहन उद्योग की ऋण की मांगों को पूरा करने के लिये ऋण लेने की शक्ति प्रदान की गई है। समुद्री लोगों को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सुरक्षा एक राष्ट्रीय मामला है। इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन किए गए हैं।

यदि इस अधिनियम में कोई संशोधन करने हैं तो वे संशोधन समुद्री लोगों, वहां के श्रमिकों के बारे में होने चाहियें और हमारे पोतों की सुरक्षा से सम्बन्धित होना चाहिये। मंत्री जी को इस सम्बन्ध में पहले पेश किए गए प्रस्तावों तथा सिफारिशों पर विचार करना चाहिये और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में व्यापक संशोधन करना चाहिये। फिर भी मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Ugrasen : While supporting the bill I would like to suggest that in addition to official members, representation of seamen working in the shipping companies should also be there in the committee on shipping companies being constituted by the Government. It is correct that no attention is paid to the greivances of seamen working in the Shipping Corporation. They do not get even medical leave. Their interests should be looked after and adequate representation should be given to the workers in the functioning of these corporations.

श्री चांद राम : श्री स्टीफन ने सीमेन के कल्यणार्थ कुछ सुझाव दिये हैं। हम चाहते हैं कि शिपिंग उद्योग का विस्तार हो। हम इस संबंध में एक विस्तृत विधेयक ला रहे हैं।

हम इस सम्बन्ध में उन माननीय सदस्यों को भी विश्वास में लेंगे जो इसमें रुचि रखते हैं;

सभापति महोदय : : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी पुनर्संरचना तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक

PUBLIC SECTOR IRON AND STEEL COMPANIES (RESTRUCTURING) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि पब्लिक सेक्टर की लोहा और इस्पात कम्पनियों के संकर्मों का बेहतर प्रबन्ध और उनमें अधिक दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनकी पुनर्संरचना करने का तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह केवल एक समर्थकारी विधेयक है जिसका उद्देश्य श्री मोहन कुमारमंगलम जब वे इस्पात मंत्री थे, द्वारा आरम्भ किए गए प्रयत्नों को फलदायी बनाना है, उन्होंने स्टील अथारटी आफ इंडिया को एक होल्डिंग कम्पनी के रूप में आरम्भ किया था जिसका वास्तविक उद्देश्य उत्पाद एककों को इस तरह का एकक बनाना था। इस विधेयक का यही एकमात्र उद्देश्य है । रिफ्रेक्टरीज के बारे में जो बात छूट गयी थी उसे कुछ संशोधनों के माध्यम से सही किया जा रहा है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पब्लिक सेक्टर की लोहा और इस्पात कम्पनियों के संकर्मों का बेहतर प्रबन्ध और उनमें अधिक दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनकी पुनर्संरचना करने का तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

श्री रामचन्द्र मलिक (जाजपुर) : मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे संशोधनों को स्वीकार करेंगे। विधेयक का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में कार्यकरण को अधिक दक्षतापूर्वक करना तथा बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था स्थापित करना है। हमारे इस्पात उद्योग में अनेक सरकारी कम्पनियां हैं। स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ मिला दिया जायेगा और यह उसके एक एकक के रूप में कार्य करेंगी। दुर्भाग्य से हमारे देश की इतनी कम्पनियों में से एक का काम भी ठीक ढंग से नहीं चलता।

माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को बहुत उपयुक्त समय पर पेश किया है। इस्पात की हमारे देश के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। किन्तु खेद है कि इस्पात कारखानों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता। राउरकेला के प्रशिक्षण शिविर में अनुसूचित जातियों के एक भी छात्र को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा । इन कारखानों में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहियें।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूं। इसमें मूल राष्ट्रीय नीति संबंधी बात आती है। इसलिए मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि इस पर शांति से विचार किया जाये। स्वतंत्रता से पूर्व इस्पात उत्पादन का कार्य गैर-सरकारी हाथों में था और उत्पादन बहुत कम था और हमने उसे बढ़ाने का भरपूर प्रयत्न किया लेकिन हमारे प्रयत्नों को विशेष सफलता नहीं मिली और हमारा इस्पात उत्पादन 45 लाख टन पर स्थिर रहा है और भिलाई को छोड़कर अन्य सभी इस्पात संयंत्रों का कार्यकरण संतोषजनक नही है। 1972 में योजना आयोग के सदस्य श्री पाठक की अध्यक्षता एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की गई। जिसका उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना था जिनके कारण हमारा इस्पात उद्योग इतनी बुरी स्थिति में है। उनके निष्कर्ष यह थे कि विभिन्न एककों तथा क्षेत्रों में समुचित समन्वय न होने के कारण ही इस्पात संयंत्रों की यह दुर्दशा है। उन्होंने तकनीकी विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने का सुझाव भी दिया था। श्री मोहन कुमार मंगलम ने कार्यभार सम्भालने के बाद इस बात पर विचार किया और उन्होंने इस पर व्यापक रूप से बातचीत की और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक इन खामियों को दूर नहीं कर दिया जाता तब तक बड़े पमाने पर निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार तथा समिति के अनुसार आवश्यक यह था कि उत्पादन एककों के विभिन्न पहलुओं जैसे डिजाइन आयोजना प्रयासों तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मुख्य परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने पर समूचे रूप से विचार किया जाना चाहिये ताकि एककों के प्रबन्धक अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालयों के चक्कर न लगाएं। अतः एक प्रकार की समेकित प्रबन्ध व्यवस्था होनी चाहिये। होल्डिग कम्पनी का सिद्धान्त सामने आया और स्टील अथोरिटी आफ इंडिया के रूप में होल्डिग कम्पनी की स्थापना की गई।

स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड उत्पन्न हो रहे मतभेदों को दूर कर रहा है । समूचे विशाल उद्यम को चलाने के लिए क्षमता का एक एकक से दूसरे एकक में अन्तरण किया जा रहा है। इसका क्या परिणाम निकला, हर एक को पता है। 1965 से 1974 तक हमारा इस्पात उत्पादन 45 लाख टन पर स्थिर रहा और जब स्टील अथौरिटी आफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई तो 4 वर्षों में इस्पात उत्पादन बहुत बढ़ गया। यहां तक कि प्रथम वर्ष अर्थात् 1973-74 में ही उत्पादन में 3प्रतिशत की वृद्धि हो गई। 1974-75 में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 1975-76 में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। अतः तीन वर्षों की अवधि में हमारा इस्पात उत्पादन 45 लाख टन से बढ़कर 76 लाख टन हो गया। जबकि हमारी कुल उत्पादन क्षमता 85 लाख टन है। यह एक आश्चर्यजनक सफलता है।

इस्पात का आयात बन्द हो गया और हमने 400 करोड़ रुपये के मूल्य के इस्पात का निर्यात किया। अब जब सरकार इसका पुनर्गठन करना चाहती है तो मंत्री जी को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि इसमें असफलता कैसे हुई और अब नई नीति की आवश्यकता क्यों है?

होल्डिंग कम्पनी के समूचे सिद्धांत को त्याग दिया गया है। सरकार स्टील अथौरिटी आफ इंडिया लिमिटेड से इस अधिकार को ले रही है तथा इसे सीधे मंत्रालय के अंतर्गत रखना चाहती है खनन कार्य भी सीधे मंत्रालय के अधीन रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय संविदाओं तथा प्रमुख परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने का कार्य भी इस विधेयक के द्वारा मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। रिफ्रैक्टरीज भी मंत्रालय को ही सौंपी जा रही हैं।

दस्तूर एंड कम्पनी का यहां बोलबाला है। मैकन कम्पनी का भी उद्भव हो गया है। दस्तूर एंड कम्पनी को इसका स्थान दिखाया गया है। दस्तूर एण्ड कम्पनी का खूब फलने फूलने का समय आ जायेगा। जिस क्षेत्र में स्टील अथौरिटी आफ इंडिया लिमिटेड प्रथम नम्बर पर सिद्ध हुई है अब वहां विपरीत स्थिति है। क्या यह शक्ति का विकेन्द्रीकरण है? यह तो किसी प्राप्ति को समाप्त करने वाली बात है। क्या जनता पार्टी की नीति यह है कि हर चीज को तोड़ दिया जाये? यह केन्द्रीकरण बदले की भावना से किया गया है। यह विकेन्द्रीकरण नहीं है। यह सब तोड़ मरोड़ नौकरशाहीकरण के लिए किया जा रहा है। यह कार्यालयकरण के लिए गैर-राष्ट्रीयकरण है। यह उस नीति के विपरीत है जो कि सफल सिद्ध हुई थी और जिसके सफल परिणाम निकले थे। राष्ट्रीय नीति को इस तरह से विपरीत करने के विचार का पूरी तरह विरोध किया जाना चाहिए।

मंत्री जी को इस ओर दुबारा विचार करना चाहिए। हमारा लक्ष्यपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ऐसा करना राष्ट्रीय हित में होगा। मंत्री जी को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए।

Shri Mritunjay Prasad Verma (Siwan): Sir, I can not understand as to why the prices of steel are going up every day. The phenomenon is really strange because production of steel has been increasing every year. It is all happening even when latest technique and modern equipment are being made available to the public sector units. I think one of the causes for the price increase is the losses being incurred by these units. This situation is a challenge for the Minister. If we are able to improve the quality and increase the quantity it will be a great achievement. Our previous Government has been exporting large quantities of iron ore to Japan.

Although much improvement has been made yet we are importing certain special qualities of steel. It shows that some shortcomings exist somewhere. These should be removed so that we are not compelled to depend on imports.

It is regrettable that local people are not employed in Steel Plants. These people should be offered employment opportunities. They should be appointed on higher posts also. This is very necessary in the case Tata Iron and Steel Plant at Jamshedpur.

It is hoped that the steel industry will flourish more and more with the new set-up. It is also expected that unhealthy competition will be eliminated with the integration.

With these words I support this Bill.

श्री आर० कोलनथाइवेलु (तिरुचेंगोड): इस बात पर पहले ही बल दिया गया है कि स्थानीय लोगों को इस्पात संयंत्रों में काम दिया जाये। पर इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि

केवल अकुशल कार्यों के लिए स्थानीय लोगों की भर्ती काफी नहीं जैसा कि कुछ लिमिटेड कम्पनियां कर रही हैं। प्रशासनिक कार्यों में भी उन्हें लगाया जाना चाहिए। प्रबन्ध समिति में भी कुछ स्थानीय सदस्य रखे जायें।

सेलम इस्पात संयंत्र का ढांचा ठीक-ठाक बन गया है। इस संयंत्र के कार्य में श्री मोहन कुमार मंगलम ने बहुत रुचि ली थी। इस संयंत्र के साथ छेड़-छाड़ नहीं की जानी चाहिए। वहां पर कार्य में अधिक गतिशीलता लाई जानी चाहिए ताकि तमिलनाडु को भी शीघ्र लाभ मिल सके। यह सर्व-विदित है कि तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि सेलम इस्पात संयंत्र पर तेजी से काम होगा तो निश्चय ही इस से तमिलनाडु राज्य का विकास होगा।

Shri Durga Chand (Kangra) : The integration of steel companies is a step in the right direction. At present our Steel Production is 10 million tons and it has been said that this will go upto 12.6 million tons in the near future.

But even this production can not be termed as adequate. Our consumption is much more. So we will have to increase our production still further as the demand will increase further.

There should be different wings in the Steel Authority of India so that needs of various plants are met and the production increased.

This Bill will be very conducive to the development of the Country's economy.

श्री वेणु गोपाल गौडर (वान्डीवाश) : विधेयक के उद्देश्यों सम्बन्धी जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उसमें यह स्पष्ट है कि अधिक कार्यकुशलता, तथा अच्छी प्रबन्ध व्यवस्था के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के फलस्वरूप विभिन्न इस्पात कम्पनियां एक ही एकक के अंतर्गत आ जायेंगी। यह प्रबन्धकों के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। छोटी इकाइयों की भी यह शिकायतें हैं कि वहां पक्षपात और भाई-भतीजावाद चल रहा है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सम्भव हो सके तो वर्तमान व्यवस्था को ही चलते रहने दें। यदि सभी कम्पनियां एक जगह इकट्ठी हो गई तो अधिकारी लोग कोई निर्णय नहीं करेंगे। पारस्परिक स्पर्धा की भावना समाप्त हो जायेगी तथा भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात की भावना पनपने लगेगी।

कार्य को क्रियान्वित करने तथा विदेशों को ठेका आदि देने के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं। नियमों का निर्माण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि इस तरह की स्थिति पैदा ही न हो। मेरा तो यह मत है कि इस्पात उद्योग वर्तमान व्यवस्था के अनुसार काफी दक्षता से कार्य कर सकेगा।

सेलम संयंत्र के बारे में अभी तक सब कुछ कागज पर ही हो रहा है। इस कार्य को शीघ्र ही करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : Sir, my friend Shri Stephen is not correct when he says that under the garb of reorganisation, centralisation and bureaucratisations is being encouraged Although he is a senior Member but for his information and also for the information of the House, I may submit that this is not the first but it is the sixth attempt in this direction. The first attempt was made by Shri Kumaramangalam. So no doubts should be raised about the reorganisation.

It is strange that there is no uniformity in prices in the different steel companies. In 1960, the rate of Tata was Rs. 1180 per tonne, that of Hindustan steel Rs. 1900 per tonne, Bokaro Rs. 2100 and Vishakhapatnam steel plant Rs. 6,600 per tonne.

I would like to know the reasons for this variations. I think reorganisation is necessary for bringing about uniformity. Moreover it will also help in putting an end to regional controversies. The steel industry is being divded into six parts and all those parts would be so expanded that the steel requirements of the country could be fully met.

My other submission is that the question of running small steel units is also linked with the reorganisation. These units and sick and are not functioning properly. So in view of all these things, I think reorganisation is necessary because it is going to help in improving the administrative efficiency and also in reducing the expenditure.

With these words, I will request my friend Shri Stephen to part with his resentment and support this measure.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं। मुझे निराशा इस बात की है कि मंत्री जी ने विधेयक पुरःस्थापित करते समय कहा था कि विधेयक पर विचार करते समय हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उन्होंने विधेयक पेश तो कर दिया लेकिन यह नहीं बताया कि इस विधेयक के पीछे क्या उद्देश्य है। इस तरह के गंभीर मामले में समूची सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

श्री बीजू पटनायक : मुझे पता नहीं है कि जब मैंने विधेयक पुरःस्थापित किया तो आप यहां उपस्थित थी अथवा नहीं।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : परम्परा यह है कि जब आप कोई विधेयक विचारार्थ पेश करते हैं तो बताना पड़ता है कि यह विधेयक पेश क्यों किया जा रहा है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : उस समय मैं उपस्थित थी। आपने पांच-दस मिनट बोला और आप समझते हैं कि यह विस्तृत व्याख्या थी। जब आपने विधेयक पेश किया तो आपने कुछ नहीं कहा।

श्री ओ० वी० अलमेशन (अर्कोनम) : हमारा भी यही आरोप है।

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्यों के विचारों को सुनकर मैं उत्तर दूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम किस-विषय पर बोलें ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मुझे उनके उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु उनको सुनने के बाद हमें भी तो उत्तर देने की स्थिति में होना चाहिए। उन्हें आज कई प्रकार के अलंकारों से विभूषित किया जा रहा है— (**व्यवधान**)

स्टील अथौरिटी आफ इंडिया लिमिटेड एक होल्डिंग कम्पनी थी जो कि विभिन्न इस्पात कम्पनियों के शाखाओं के इस्पात उत्पादन की गतिविधियों में समन्वय रखती थी। अब आप इस्पात का उत्पादन करने वाली विभिन्न कम्पनियों को एक प्रबन्ध व्यवस्था के अंतर्गत रखना चाहते हैं। मैं नहीं समझती कि एक प्रबन्ध व्यवस्था से कैसे अधिक क्षमता उत्पन्न होंगी। विकेन्द्रीकरण के कारण कुछ निर्णय शीघ्रता से लिए गए हैं। अब आप सब चीजों का केन्द्रीकरण कर देंगे। यह खतरनाक बात सिद्ध होगी। आपने 10 मिनट पूर्व 20 संशोधन पेश किए हैं। आप यह विधेयक वापस ले लें।

श्री बीजू पटनायक : श्रीमान इस विधेयक को पारित करने के लिए सभा का समय बढ़ा दिया जाये। क्योंकि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ हो जायेगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप इस तरह जल्दबाजी में यह विधेयक पारित नहीं करवा सकते ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : शुरू से ही मंत्री जी इस विधेयक को पारित करवाने में जल्दबाजी कर रहे हैं ।

श्री बीजू पटनायक : मैं तो केवल सभा से अनुरोध कर रहा हूं ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : इस विधेयक को निपटाने के लिए $2\frac{1}{2}$ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लगभग $1\frac{1}{2}$ घंटा समाप्त हो चुका है और अब केवल एक घंटा रह चुका है। हममें से कुछ इस विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री बीजू पटनायक : मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल समय बढ़ाने के लिए कह रहा हूं ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : इसके लिए हम सहमत नहीं हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम निश्चित समय के एक मिनट बाद भी नहीं बैठना चाहते।

श्री बीजू पटनायक : फिर तो सभा का मतदान लिया जाये। या सभा का समय बढ़ा दिया जाये ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : आप सभा का समय नहीं बढ़ा सकते । हम इसके लिए तैयार नहीं हैं ।

सभापति महोदय : अब तो हमारे सामने दो ही विकल्प हैं या तो हम 6 बजे सभा स्थगित कर दें या आज इसका समय 1 घंटा 5 मिनट बढ़ा दिया जाये।

श्री ओ० वी० अलगेशन : नहीं श्रीमान जी। इसके लिए हम तैयार नहीं है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करनी है इसलिए यह विधेयक आज ही पूरा होना चाहिए।

श्री सी०एम० स्टीफन : हमें परम्पराओं का ध्यान रखना चाहिए । यदि अध्यक्ष समय निर्धारित कर दें तो हम बैठ सकते हैं । आपको विपक्ष के विचारों की भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री बीजू पटनायक : मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि वह सरकार की सुविधा का भी ध्यान रखे ।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसके लिए हम तैयार नहीं हैं।

श्री बीजू पटनायक : तो फिर इसे सभा के मतदान के लिए रखा जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसलिए इस पर सोमवार को विचार करेंगे ।

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : This Bill should be completed today itself. It is my humble appeal to the opposition that they should extend their cooperation.

श्री सी० एम० स्टीफन : हम तैयार नहीं हैं।

Mr. Chairman : It will be proper if you reach at consensus.

श्री सी० एम० स्टीफन : विरोधी दलों का कोई भी सदस्य यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसके लिए आज की बैठक का समय बढ़ाया जाये।

श्री बीजू पटनायक : अभी बजट पर भी चर्चा होनी है। विपक्ष को सरकार की कठिनाई को समझना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए। जब सरकार कोई विधेयक पेश करती है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। किन्तु इस तरह सभा की कार्यवाही को नहीं रोकना चाहिए।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : सामान्य प्रथा यह है कि जब सरकार सोचती है कि कोई महत्वपूर्ण मामला है जिसे उसी दिन निपटाया जाना चाहिए तो फिर सरकार को विपक्ष से भी विचार विमर्श करना चाहिए। या इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष लाया जा सकता है । हमें देर से बैठने के लिए कहा जा रहा है जबकि हमारे अधिकांश सदस्य जा चुके हैं। यदि सरकार इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण समझकर इसे बजट से पहले ही पारित कराना चाहती है तो उसके भी तरीके हैं जैसा कि संसद में होता रहा है। जब अग्रिम रूप से बता दिया जाये कि देर से बैठना है तो फिर ठीक है। ऐसी व्यवस्था अग्रिम रूप से कर दी जानी चाहिये ।

सभापति महोदय मैं देखना चाहता हूं कि समझौता होता है या नहीं।

श्री ओ० वी० अलगेशन : नहीं श्रीमान जी हम न कह रहे हैं।

श्री बीजू पटनायक: मेरा अनुरोध है कि जब तक यह विधेयक पारित न हो तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : फिर तो हम बाहर चले जायेंगे। इस तरह आप कैसे सहयोग कर सकते हैं ?

श्री बीजू पटनायक : सरकार को इसे अगले दिन के लिए स्थगित करने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु बहुत अन्तर पड़ रहा है। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर तीन दिन लग जायेंगे । उसके पश्चात् बजट भी पारित करना है।

श्री ओ० वी० अलगेशन : यदि सरकार इस मामले में गंभीर होती तो उन्होंने इस विधेयक को प्राथमिकता देनी थी।

श्री बीजू पटनायक: श्रीमान जी सरकार को यह पता नहीं था कि इस बात पर अनावश्यक रूप से इतना वाद विवाद होगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : ऐसा पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। हम इसे एक उदाहरण नहीं बनने देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। यदि कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष यह बात रख ली होती तो वह इसके लिए कुछ निश्चित समय निकाल लेती।

श्री बीजू पटनायक : कार्य मंत्रणा समिति ने तो 2 1/2 घंटे का समय दिया था। किन्तु कुछ समय अन्य बातों ने ले लिया।

(Shri Larang Sai) : Mr. Chairman this Bill should be passed today itself. If the Hon. members want, the time be can extended.

सभापति महोदय: मैं जानना चाहता हू कि सभा की इसमें क्या राय है। क्या 7 बजकर 5 मिनट तक बैठा जाये।

श्री सी०एम० स्टीफन : नहीं ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

सभापति महोदय: इस पक्ष की क्या राय है ?

श्री बीजू पटनायक : हां समय बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय : सभा का समय बढ़ाकर 7 बजकर 5 मिनट करना होगा।

श्री सी० एम० स्टीफन: आप इस तरह सभा की राय कैसे जान सकते हैं। वे हां कहते हैं और हम नहीं कह रहे हैं। आप बिना सूचना के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए नहीं रख सकते। यह बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण बात है··· **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : हमेशा यह प्रथा रही है कि जब कभी सभा का समय बढ़ाना हो तो संसदीय कार्य मंत्री या उसके साथी विपक्ष के विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करते थे। किन्तु आज इस तरह नहीं किया जा रहा है। आप कहते हैं कि सात बजे तक बैठे रहिए। हमारे अपने कुछ कार्य हैं। हमें कुछ बैठकों में जाना है। हम इस तरह सात बजे तक नहीं बैठ सकते । मेरा अनुरोध है कि इस तरह की प्रक्रिया को न अपनाया जाये। सभा का समय बढ़ाने से सचिवालय के कर्मचारियों को भी परेशानी होती है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी ही बात पर मत अड़िये। कोई निर्णय ले लीजिए।

श्री सी० एम० स्टीफन: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप मौखिक रूप से कोई प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए नहीं रख सकते। इसके लिए भी कोई निश्चित प्रक्रिया है । प्रस्ताव कहां है ?

Shri Larang Sai : I request all the friends to agree to sit late. This is an important Bill.

श्री सी० एम० स्टीफन : आप प्रस्ताव इस रूप में पेश नहीं कर सकते····· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं सभा की राय के अनुसार चलूंगा आप जैसा चाहें करें····· **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन: हमने इन्कार कर दिया है। आप डिविजन की बात कैसे कर सकते हैं ।

श्री बीजू पटनायक: सभापति महोदय (व्यवधान) जनता पार्टी इस तरह का कोई उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहती। मैं चाहता हूं कि किसी तरह से हम देर तक बैठने के लिए सहमत हो जायें··· **(व्ववधान)**

श्री सी० एम स्टीफन: हम ऐसा नहीं करेंगे ।

श्री बीजूपटनायक: मैं आपसे बात नहीं कर रहा··· **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : आप हमें लोकतन्त्र के सिद्धांत मत सिखाइये··· **(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : हम भी आपकी तरह चिल्ला सकते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन: चिल्लाना शुरू मैंने नहीं किया''' (**व्यवधान**)

सभापति महोदय: कृपया आप सब बैठ जाइए और इस तरह इस मामले को विवादग्रस्त न बनाएं।

श्री बीजू पटनायक: श्री स्टीफन के सिवाय बाकी सभी सदस्य सहमत हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप मुझसे बोल रहे हैं (**व्यवधान**) संसदीय कार्य मंत्री को नेताओं के साथ बात करनी चाहिए। औपचारिक प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए।

Shri Larang Sai : Sir, I move that the time of the House be extended by one hour and 5 minutes on Monday.

श्री ओ० वी० अलगेशन: हम इनकी बातों के आगे नहीं झुकना चाहते।

श्री बीजू पटनायक: हम 19 महीने तक उनकी जेलों मे उनके आदेशों के आगे झुके रहे और वह मंत्री जी की बात के बारे में इस तरह कह रहे हैं।''' (**व्यवधान**)

सभापति महोदय: मंत्री जी ने प्रस्ताव पेश कर दिया है। क्या यह सभा को स्वीकार्य है?

प्रो० पी० जी० मावलंकर: सोमवार को हम केवल एक घंटा देर तक बैठेंगे न कि एक घंटा और 5 मिनट।

सभापति महोदय: अब इस विधेयक पर विचार करने के लिए 1 घंटा 5 मिनट ही रह गए। मेरा ख्याल है कि सब सहमत हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 24 फरवरी, 1978/5 फाल्गुन, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, February 24, 1978/Phalguna 5, 1899 (Saka).

MGIPRRND—Sec. VIII—34 LSS/78—27-4-78—210

यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी /अंग्रेजी में अनुवाद है।

translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—1244 LSS/77